लोक-सभा बाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd LOK SABHA DEBATES

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २८, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXVIII, 1964/1886 (Saka)

[२१ मार्च से २ अप्रैल, १९६४/१ चैत्र से १३ चैत्र, १८८६ (शक)]

[March 21 to April 2, 1964/Chaitra 1 to 13, 1886 (Saka)]

Preservation Unit
Fumigated
On 14.12.87
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८५-८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1885-86 (Saka)

(खण्ड २८ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

(Vol. XXVIII contains Nos. 31 to 40)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SHABA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय-सूची

अंक ३३—मंगलवार, २४ मार्च, १९६४/४ चैत्र, १८८६ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		२५२१—४१
*तारांकित प्रश्न संख्या		
७१४	वन संसाधन	२५२१—२३
७१५	कृषि वस्तुओं की उत्पादन लागत	२५२३—२५
७१६	भूमि संरक्षण	२५२५—२८
७१७	कपास का उत्पादन	२५२८—३०
७१८	उपभोक्ता सहकारी समितियां	२५३०—३३
७१९	संयुक्त अरब गणराज्य से चावल का आयात	२५३३—३६
७२३	डाक का विलम्ब से बांटा जाना	२५३६—३९
७२४	बम्बई-सिकन्दराबाद एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना	२५३९—४१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		२५४१—८१
तारांकित प्रश्न संख्या		
७२०	जहाज निर्माण के संबंध में भारत-यगोस्लाविया का सहयोग	२५४१
७२१	पशु बीमा	२५४१
७२२	चीनी का मूल्य	२५४२
७२५	अलामुरु के निकट सड़क-पुल दुर्घटना	२५४२—४३
७२६	अजनी रेल यार्ड में विस्फोट	२५४३
७२७	पाकिस्तान-चीन विमान करार	२५४४
७२८	कृषि शिक्षा	२५४४
७२९	पशुधन की उत्पादिता	२५४५
७३०	मालगाड़ी के वैगनों का पटरी से उतर जाना	२५४५
७३१	बर्मा से चावल का आयात	२५४५—४६
७३२	लखनऊ में रेलवे कैरिज स्टोर में आग	२५४६
७३३	दिल्ली दुग्ध योजना	२५४६

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 33—*Tuesday, March 24, 1964/Chaitra 4, 1886 (Saka)*

	Subject	Pages
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—		2521—41
**Starred Question Nos.*		
714	Forest Resources	2521—23
715	Cost of Production of Agricultural Commodities	2523—25
716	Soil Conservation	2525—28
717	Production of Cotton	2528—30
718	Consumer Cooperative Societies	2530—33
719	Rice Import from U.A.R.	2533—36
723	Delayed Delivery of Mail	2536—39
724	Derailment of Bombay-Secundrabad Express	2539—41
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—		2541—81
Starred Question Nos.		
720	India-Yugoslavia Ship-building Cooperation	2541
721	Cattle Insurance	2541
722	Price of Sugar	2542
725	Accident on Road Bridge Near Alamuru	2542-43
726	Explosion at the Railway Yard at Ajni	2543
727	Pakistan-China Air Agreement	2544
728	Agricultural Education	2544
729	Productivity of Livestock	2545
730	Derailment of Wagons of a Goods Train	2545
731	Import of Rice from Burma	2545-46
732	Fire in Railway Carriage Store	2546
733	Delhi Milk Scheme	2546

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४१५	कुलू में भेड़ प्रजनन फार्म	२५४६—४७
१४१६	रेलवे इंजन	२५४७
१४१७	उड़ीसा में सड़कें और पुल	२५४८
१४१८	उड़ीसा में सामुदायिक विकास खंड	२५४८—४९
१४१९	उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ	२५४९
१४२०	उड़ीसा में टेलीफोन और टेलीफोन एक्सचेंज	२५५०
१४२१	उड़ीसा में डाकखानों को वर्गोन्नत करना	२५५०—५१
१४२२	बदागरा में प्रकाशस्तम्भ	२५५१
१४२३	सुलतानपुर स्टेशन के समीप लोको शेड	२५५१
१४२४	स्टेशनों पर नोटिस बोर्ड तथा साइनबोर्ड	२५५२
१४२५	रेलवे कार्यालयों के नामपट्ट	२५५२
१४२६	डाक और रेलवे डाक सेवा का रिहायशी प्रशिक्षण केन्द्र	२५५२
१४२७	क्षय रोगी	२५५३
१४२८	खण्ड मुख्यालयों में तार सुविधायें	२५५३
१४२९	केरल में टेलीफोन सुविधाएं	२५५३—५४
१४३०	मल्टी-लिंक आपरेटर डायलिंग सिस्टम	२५५४—५५
१४३१	डकोटा विमानों की बिक्री	२५५५
१४३२	अनिवार्य अनाज शुल्क योजनायें	२५५५
१४३३	खाद्यान्न जांच समिति	२५५६
१४३४	राष्ट्रीय गुलाब उद्यान, नई दिल्ली	२५५६
१४३५	खुरदा डिवीजन में रेलवे डाक सेवा भवन	२५५६—५७
१४३६	उपभोक्ता स्टोर	२५५७—५८
१४३७	समुद्री इंजीनियर (मैरीन इंजीनियर)	२५५८
१४३८	हिन्दी सन्देश	२५५८—५९
१४३९	दिल्ली में लगाए गए टेलीफोन	२५५९
१४४०	दिल्ली से सीधा ट्रंक डायल द्वारा टेलीफोन व्यवस्था	२५५९
१४४१	देवनागरी दूरमुद्रक	२५६०
१४४२	कृषि प्रशासन समिति	२५६०—६१
१४४३	रेलवे स्टेशन	२५६१
१४४४	कोलाघाट में रेलवे पुल	२५६१
१४४५	कानपुर में ऊपरी पुल	२५६१—६२
१४४६	पर्यटन योजना	२५६२
१४४७	गन्ने का उत्पादन	२५६२—६३
१४४८	अमरीका से दूध	२५६३
१४४९	पंजाब द्वारा आयातित गुड़	२५६३
१४५०	कृषि अनुसंधान परियोजनायें	२५६४
१४५१	खाद्यान्नों की प्रति एकड़ उपज	२५६४
१४५२	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर रेलगाड़ियों का पटरी से उतर जाना	२५६४—६५
१४५३	फसलों पर विमान से छिड़काव	२५६५

Unstarred Question Nos.	Subject	Pages
1415	Sheep Breeding Farm in Kulu	2546–47
1416	Locomotives	2547
1417	Roads and Bridges in Orissa	2548
1418	C.D. Blocks in Orissa	2548–49
1419	National Highways in Orissa	2549
1420	Telephones and Telephone Exchanges in Orissa	2550
1421	Upgrading of Post Offices in Orissa	2550–51
1422	Lighthouse at Badagara	2551
1423	Loco Shed near Sultanpur Station	2551
1424	Notice Boards and Sign-Boards on Stations	2552
1425	Name Plates of Railway Offices	2552
1426	Postal and R.M.S. Residential Training Centre	2552
1427	T.B. Patients	2553
1428	Telegraph Facilities at Block Headquarters	2553
1429	Telephone Facilities in Kerala	2553–54
1430	Multi-link Operator dialling system	2554–55
1431	Sale of Dakotas	2555
1432	Compulsory Grain Levy Schemes	2555
1433	Foodgrains Enquiry Committee	2556
1434	National Rose Garden, New Delhi	2556
1435	R.M.S. Buildings in Khurda Division	2556–57
1436	Consumer Stores	2557–58
1437	Marine Engineers	2558
1438	Hindi Messages	2558–59
1439	Telephones installed in Delhi	2559
1440	Direct Trunk Dialling with Delhi	2559
1441	Devanagri Teleprinters	2560
1442	Agricultural Administration Committee	2560–61
1443	Railway Stations	2561
1444	Railway Bridge at Kolaghat	2561
1445	Over-Bridges in Kanpur	2561–62
1446	Master Plan on Tourism	2562
1447	Production of Sugarcane	2562–63
1448	Milk from U.S.A.	2563
1449	Gur Imported by Punjab	2563
1450	Agricultural Research Projects	2564
1451	Yield Per Acre of Foodgrains	2564
1452	Derailments on N.E.F. Railway	2564–65
1453	Aerial Spraying of Crops	2565

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४५४	'बाक्स' माल डिब्बे	२५६५
१४५५	मध्य पूर्व से कच्चा तेल	२५६६
१४५६	उत्तर प्रदेश को उर्वरक का संभरण	२५६६
१४५७	लक्ष्मीकान्तपुर आने वाली स्थानीय गाड़ी का पटरी से उतर जाना	२५६७
१४५८	बीज परीक्षण के लिए प्रशिक्षण	२५६७
१४५९	सड़क सूचक चिन्ह	२५६७—६८
१४६०	दिल्ली परिवहन के कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग	२५६८
१४६१	असैनिक उड्डयन विकास निधि	२५६८
१४६२	ज्वार का उत्पादन	२५६९
१४६३	राजस्थान में खाद्यान्नों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना	२५६९
१४६४	गेहूं का उत्पादन बढ़ाने की तकनीक	२५७०
१४६५	अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति रेलवे कर्मचारी संस्था	२५७०
१४६६	जनता गाड़ियां	२५७०
१४६७	दिल्ली का चिड़ियाघर	२५७१
१४६८	केन्द्रीय सड़क निधि	२५७१
१४६९	रेलवे दुर्घटनायें	२५७१—७२
१४७०	दक्षिण पूर्व रेलवे कारखाने में चोरी के मामले	२५७२
१४७२	वरिमगाम से कांडला तक बड़ी लाइन	२५७२
१४७३	पर्यटक	२५७२—७३
१४७४	काली मिर्च की खेती	२५७४
१४७५	रेलवे में अनुसूचित जाति के कर्मचारी	२५७४
१४७६	उत्तर रेलवे द्वारा संगठित कार्निवल	२५७४
१४७७	खेती के औजार	२५७५
१४७८	रेलवे कर्मचारी	२५७५
१४७९	हिमालय के निचल क्षेत्रों में जंगल लगाना	२५७५—७६
१४८०	रेलवे परिपत्र	२५७६
१४८१	मंत्रणा समितियों की कार्यवाही	२५७६
१४८२	रेलव मंत्रालय में समितियां	२५७६—७७
१४८३	टेलीप्रिंटर बनाने का कारखाना	२५७७
१४८४	एयर इंडिया के लिए नया 'बोइंग' विमान	२५७७
१४८५	वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी	२५७८
१४८६	मंगलौर–हसन रेलवे लाइन	२५७८
१४८७	पुल निर्माण के लिए हंगरी से सामान	२५७८
१४८८	धान की फसल	२५७८—७९
१४८९	मासिक रेलवे पास	२५७९—८०
१४९०	प्रसंकर मक्का के बीज	२५८०
१४९१	ऊंट प्रजनन केन्द्र	२५८०—८१

Unstarred Question Nos.	Subject	Pages
1454	Box wagons	2565
1455	Crude Oil from Middle East	2566
1456	Supply of Fertilizers to U.P.	2566
1457	Derailment of Lakshmikantapur-bound Local Train	2567
1458	Training for Testing of Seeds	2567
1459	Road-signs	2567–68
1460	Use of Hindi in Delhi Transport Authority Office	2568
1461	Civil Aviation Development Fund	2568
1462	Production of Jowar	2569
1463	Movement of Foodgrains in Rajasthan	2569
1464	Technique to increase Wheat Production	2570
1465	All India S.C. and S.T. Railway Employees Association	2570
1466	Janata Trains	2570
1467	Delhi Zoological Park	2571
1468	Central Road Fund	2571
1469	Railway Accidents	2571–72
1470	Theft Cases in S.E. Railway Workshops	2572
1472	B.G. Line from Viramgam to Kandla	2572
1473	Tourists'	2572–73
1474	Pepper Cultivation	2574
1475	Scheduled Caste Employees in Railways	2574
1476	Carnival Organised by Northern Railway	2574
1477	Agricultural Implements	2575
1478	Railway Employees	2575
1479	Afforestation of Sub-Himalayan Areas	2575–76
1480	Railway Circulars	2576
1481	Proceedings of Advisory Committees	2576
1482	Committees in Railway Ministry	2576–77
1483	Teleprinter Manufacturing Plant	2577
1484	New Boeing for Air India	2577
1485	Scientific and Technical Personnel	2578
1486	Mangalore-Hassan Railway Line	2578
1487	Hungarian Equipment for Bridge Construction	2578
1488	Paddy Crop	2578–79
1489	Monthly Railway Passes	2579–80
1490	Hybrid Maize Seed	2580
1491	Camel Breeding Centre	2580–81

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में	२५८१—८२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	२५८३—८६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	२५८६—८७
न्याय प्रशासन में पुनर्वास मंत्रालय द्वारा किए गए हस्तक्षेप के बारे में पंजाब उच्च न्यायालय का निर्णय	
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	२५८६—८७
श्री मेहर चन्द खन्ना	२५८७
सदस्य की गिरफ्तारी	२५८७
सदस्य की दोषसिद्धि	२५८७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५८७—८८
तारांकित प्रश्न संख्या ६१४ के उत्तर में शुद्धि	२५८८
अनुदानों की मांगें	२५८८—२६१०
परिवहन मंत्रालय	२५८८—२६००
श्री मुहीउद्दीन	२५८८—८९
श्री बासप्पा	२५८९—९१
श्री नी० श्री कान्तन नायर	२५९१—९२
श्री पू० चं० देवभंज	२५९२
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	२५९२—९३
श्री राज बहादुर	२५९३—२६००
विधि मंत्रालय	२६०१—१०
श्री दाजी	२६०२—०३
श्री यशपाल सिंह	२६०३—०४
श्री कृ० ल० मोरे	२६०४—०५
श्री उ० मू० त्रिवेदी	२६०५—०६
श्री सिंहासन सिंह	२६०६
श्री रा० बरुआ	२६०६—०७
डा० राम मनोहर लोहिया	२६०७—०८
श्री नि० चं० चटर्जी	२६०९
श्री स० मो० बनर्जी	२६०९—१०

Subject	Pages
Re Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	2581–82
Re Motion for Adjournment	2583–86
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	2586–87
Judgment of Punjab High Court *re* Rehabilitation Ministry's interference in administration of justice	
Shrimati Renu Chakravartty	2586–87
Shri Mehr Chand Khanna	2587
Arrest of Member	2587
Conviction of Member	2587
Papers laid on the Table	2587–88
Correction of answer to Starred Question No. 614	2588
Demands for Grants	2588—2610
Ministry of Transport	2588—2600
Shri Mohiuddin	2588–89
Shri Basappa	2589–91
Shri N. Sreekantan Nair	2591–92
Shri P. C. Deo Bhanj	2592
Shrimati Renu Chakravartty	2592–93
Shri Raj Bahadur	2593—2600
Ministry of Law	2601—10
Shri Daji	2602–03
Shri Yashpal Singh	2603–04
Shri K. L. More	2604–05
Shri U. M. Trivedi	2605–06
Shri Sinhasan Singh	2606
Shri R. Barua	2606–07
Dr. Ram Manohar Lohia	2607–08
Shri N. C. Chatterjee	2609
Shri S. M. Banerjee	2609–10

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English / Hindi.]

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, २४ मार्च, १९६४ / ४ चैत्र, १८८६ (शक)
Tuesday, March 24, 1964/Chaitra 4, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

{ **अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

वन संसाधन

\+

श्री विश्राम प्रसाद :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री रामपुरे :
*७१४. **श्री कोया :**
श्री इम्बीचिबावा :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लकड़ी पर आधारित नये उद्योगों की स्थापना की योजना बनाने के लिए वन संसाधनों का पूरा ब्योरा तैयार करने की कोई परियोजना आरम्भ की है ।

(ख) क्या सरकार ने लकड़ी पर आधारित इन उद्योगों के लिए वन संसाधनों का कोई पूर्व विनियोजन सर्वेक्षण आरम्भ किया है ;

(ग) यह सर्वेक्षण कब पूरा होगा ; और

(घ) क्या कोई विदेशी सहायता भी आर्थिक या तकनीकी---स्वीकार की गई है और और यदि हां, तो उस देश का क्या नाम है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). "वन संसाधनों का पूर्व विनियोजन सर्वेक्षण" नामक एक परियोजना भारत सरकार के हाथ में है जिसका उद्देश्य लगभग ११,५०० मील में वन संसाधनों को पूर्व विनियोजन सर्वेक्षण करना है ।

(ग) आरंभ होने के बाद सर्वेक्षण के पूरा होने में लगभग ३।। वर्ष लगेंगे ।

(घ) जी हां । संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से ।

Shri Vishram Prasad : How far can this survey enable us to meet the shortage of wood required by our industries and become self-sufficient ? What would be the scope for further progress ?

Dr. Ram Subhag Singh : In view of the large variety of wood needed by the Indian industries, it would be proper to say that we can be self-sufficient to fulfil their present demands. It is because their demand if increasing every-day. We would try to enhance the forest resources on the basis of this survey so that their requirements can be met.

Shri Vishram Prasad : Has Govt. on hand any research on afforestation scheme which can enable us to make good this shortage by plantation in India so that we can have wood according to our needs ?

Dr. Ram Subhag Singh : There are several such schemes at present. For example, encalyptus forests for paper industry and matchwood forests for match-stick industry are being planted. Teak and 'Sakhua' are planted for hard wood. There is a proposal to have more of afforestation according to the requirements of the industries.

Shri Sidheshwar Prasad : Has your attention been drawn during the survey of forest wealth to the fact that trees are being racklessly cut down ? What steps have been taken by Govt. to check this ruthless waste of forest wealth ?

Dr. Ram Subhag Singh : Much precaution is exercised in this matter. The hon. Member must be aware that in his own place people were prohibited to carry without permission such weapons with which trees could be mercilessly cut down. But at the same time he would realise that forests can be protected keeping in view the requirements of people living near the forests and the same is being done.

श्री ह० प० चटर्जी : अपने आयोजकों के अनुसार तीसरी योजना में हमें प्रति वर्ष ४५ लाख टन औद्योगिक लड़की की आवश्यकता है जो १९७५ तक ९५ लाख टन हो जायेगी । तीसरी योजना में इसका उल्लेख है । हमें ६०० लाख टन जलाने की लकड़ी की भी जरूरत होगी, जो ४,००० लाख टन गोबर के बराबर है जो हम हर वर्ष जला देते हैं; जो १९७५ तक १००० लाख टन प्रतिवर्ष हो जायेगी । इसमें तथा वर्तमान वार्षिक उत्पादन में बड़ा अन्तर है । इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए मंत्री महोदय का क्या करने का विचार है ? इस समय प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है और प्रति वर्ष उन्हें कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

अध्यक्ष महोदय : एक अनुपूरक में इतने प्रश्न नहीं ।

डा० राम सुभग सिंह : इस समय भी हमें इमारती लकड़ी तथा जलाने की लकड़ी की कमी है। हम नेपाल तथा बर्मा के पड़ौसी देशों से बहुत भारी मात्रा में बढ़िया इमारती लकड़ी आयात कर रहे हैं। जलाने वाली लकड़ी के बारे में जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है, हम गोबर जला रहे हैं। इन सभी भागों को विभिन्न अन्य साधनों से पूरा किया जायेगा। जहां तक ईंधन का सम्बन्ध है, बिजली का भी इस्तेमाल तो हो सकता है और शहरी इलाकों में किया जा रहा है। इमारती लकड़ी के बारे में भी यही स्थिति है क्योंकि कंक्रीट के खंभे आदि बनाये जा रहे हैं। परन्तु मैं इसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इमारती लकड़ी तथा जलाने की लकड़ी की आवश्यकता को और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए ही एक नई वनरोपण नीति अपनाई गई है और प्रत्येक स्थान पर जंगल लगाये जा रहे हैं।

Dr. Govind Das : The hon. Minister is aware that Madhya Pradesh occupies a distinctive place so far as the forest wealth of the country is concerned. It is a part of the research being made to see what kind of industries can be set up in Madhya Pradesh in view of the quality of wood available there ?

Dr. Ram Subhag Singh : A newsprint factory named NEPA, has been set up there near Burhampur. We are considering to set up other factories also there in consultation with the State Government. A match factory may be established there. I will give detailed information when it is received.

Shri Parashar : Would this survey be carried out from the point of view of separating the national forest wealth for national development from the quantity of wood which is required by the farmers for agricultural purposes and the common people for burning as is done in other Countries also ?

Dr. Ram Subhag Singh : The hon. Member should realise the difficulty that there are about 35 crore farmers here and they need wood for various things as ploughs, roofs, cots and 'datun'. In my opinion, it would not be possible to earmark separate forests for them and declare the rest as national forests. As far Madhya Pradesh, and the hon. Member comes from there, people living near the forests or in the forests have got the exemption right and we are proceeding accordingly.

कृषि वस्तुओं की उत्पादन लागत

\+

*७१५. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दे० जी० नायक :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वस्तुओं के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के हेतु आवश्यक आंकड़े देने के लिए उत्पादन लागत सम्बन्धी अध्ययनों के क्षेत्र का विस्तार करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) कृषि प्रबन्ध के बारे में विस्तृत आधार पर अध्ययन करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। अन्य बातों के साथ साथ इन अध्ययनों से प्रमुख फसलों की उत्पादन लागत के बारे में जानकारी मिलेगी। मूल्य नीति तथा अन्य सम्बन्धित कृषि नीतियों पर विचार करने के लिये ऐसी जानकारी के उपयोगी होने की संभावना है।

श्री श्रीनारायण दास : इस बारे में अन्तिम निर्णय करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : जब मैंने मुख्य उत्तर में यह कहा कि यह विचाराधीन है तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम ने अभी काम आरंभ ही नहीं किया है। हम इसे शासकीय स्तर पर आरंभ कर चुके हैं और कृषि प्रबन्ध के बारे में अध्ययन हो रहे हैं। कुछ प्रतिवेदन प्रकाशित भी हो चुके हैं। इसके इलावा हम ने कृषि सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी और वह समिति इस सारे प्रश्न की जांच कर रही है कि विभिन्न फसलों की उत्पादन लागत का सर्वोत्तम अध्ययन कैसे किया जाये तथा क्या नई व्यवस्था की जाये।

श्री श्रीनारायण दास : क्या यह सारा काम अर्थ-व्यवस्था तथा संख्यकी निदेशालय कर रहा है या इस बारे में सरकार आर्थिक विकास संस्था जैसे अन्य गैर-सरकारी निकायों का सहयोग ले रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : जब हमने कृषि सचिव की अध्यक्षता में यह समिति बनाई थी तो हमने योजना आयोग के सांख्यकी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय तथा कृषि अनुसन्धान संख्यकी संस्था के प्रतिनिधियों को बुलाया था। अन्य गैर-सरकारी निकायों का सहयोग लेने का भी हमारा इरादा था परन्तु उस समय उनके प्रतिनिधि उस बैठक में नहीं थे ; परन्तु हम ऐसा करेंगे।

श्री शं० शा० मोरे : क्या सरकार उत्पादन लागत में कृषक के निजी श्रम को शामिल करने के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंच गई है ?

डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में मैं भी महसूस करता हूं कि इस पर विचार होना चाहिये क्योंकि यदि हम कृषक के निजी श्रम को निकाल देते हैं तो वह कुल उत्पादन लागत नहीं होगी।

श्री राम सहाय पाण्डेय : उत्पादन लागत के बारे में तथ्य और आंकड़े एकत्रित करने के लिए क्या मंत्रालय के लिए यह अच्छा नहीं होगा कि वह सभी राज्यों को यथासंभव शीघ्रता से आवश्यक आंकड़े एकत्रित करने के लिए लिखे ?

डा० राम सुभग सिंह : वह तो हम कर रहे हैं। सच तो यह है कि समिति मध्य प्रदेश में अध्ययन कर रही है जहां से माननीय सदस्य आते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि कृषि मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में इस समिति ने जिसका माननीय मंत्री ने अभी उल्लेख किया है, किन किन वस्तुओं की उत्पादन लागत का हिसाब लगाया है और जिन वस्तुओं के लिए अध्ययन किया गया है क्या उनमें से किसी का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह कृषि प्रबन्ध अध्ययन १९५४–५५ से हो रहा है और उन्होंने कुछ आंकड़े दिये हैं। जिन्हें न्यूनतम मूल्य निश्चित करते समय ध्यान में रखा जाता है। इसके इलावा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् पटसन तथा कपास की उत्पादन लागत का अध्ययन कर रही है। और कृषि मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में जो समिति नियुक्त की गई है वह इस समय सारे मामले की जांच कर रही है और हो सकता है कि वह कुछ अन्य समितियों को विभिन्न बातों का अध्ययन करने को कहे।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार का विचार कोई उच्चतम सीमा तय करने का है जिसके अनुसार परिवर्तनों का निर्धारण किया जाएगा।

डा० राम सुभग सिंह : यह प्रस्ताव हमारे सामने है क्योंकि कुछ और व्यक्तियों ने भी यह सुझाव दिया है। अनेक दृष्टिकोणों से सारी चीज की जांच की जा रही है। कपास में उच्चतम सीमा निश्चित की जा चुकी है।

श्री अ० प्र० जैन : इसे हम मोटे आधार के रूप में इस्तेमाल करने के इलावा क्या यह सच नहीं है कि विश्व भर में कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत का हिसाब लगाने के लिये किये गये प्रयोगों के सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकले हैं?

डा० राम सुभग सिंह : यह ठीक है।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि इंग्लैंड और अमरीका में तथा बेल्जियम, हालैण्ड तथा डेन्मार्क जैसे छोटे देशों में न केवल कृषि की लागत का पता लगाने के लिए प्रयोग किये गये हैं बल्कि प्रति वर्ष जो वास्तविक परिस्थितियां होती हैं उन्हें देखते हुए समय समय पर उसमें परिवर्तन भी किये जाते हैं। क्या कारण है कि माननीय मंत्री कहते हैं कि संसार में कहीं भी इसमें सफलता नहीं मिली है क्योंकि भूतपूर्व मंत्री ने भी ऐसा ही कहा था?

डा० राम सुभग सिंह : मैं इस जानकारी को भी स्वीकार करता हूं।

श्रीमती सावित्री निगम : यह अच्छा है कि माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि एक उत्पादन लागत अध्ययन एकक बनाया जाएगा। क्या मैं जान सकती हूं कि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को देखते हुए कृषि वस्तुओं का न्यनतम मूल्य बढ़ा कर किसानों को आन्तरिक सहायता देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्या ने कल के अखबारों में शायद पढ़ा होगा कि मेरे आदरणीय सहयोगी श्री थामस ने मद्रास में चावल के न्यूनतम मूल्य में २ रुपये की वृद्धि की घोषणा की है।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं सभी वस्तुओं के बारे में पूछ रही हूं।

डा० राम सुभग सिंह : सूचना मिलने पर मैं जानकारी दे सकता हूं।

भूमि संरक्षण

***७१६. श्री भागवत झा आजाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं के जलागम क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही में तेजी लाने के लिये संघ सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २५७२ / ६४]

श्री भागवत झा आजाद : तीसरी योजना में इस प्रयोजन के लिये ११ करोड़ रुपये की जो राशि रखी गई थी, जैसा कि विवरण में बताया गया है, उसमें से अब तक कितनी खर्च की गई है ?

डा० राम सुभग सिंह : तीसरी योजना में ४ लाख एकड़ का लक्ष्य था जिसमें से १९६२-६३ तक लगभग १.३० लाख एकड़ भूमि में भूमि संरक्षण का काम किया गया है। मैं एकड़ों में बता रहा हूं कि कितना काम किया गया है । १९६३-६४ में संभावना है कि १.५८ लाख एकड़ों में यह काम होगा ।

श्री भागवत झा आजाद: क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी परियोजना के निस्पादन के लिये एक ही एजेंसी बनाने के बारे में, जसा कि विवरण में उल्लिखित है, राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० राम सुभग सिंह : कुछ राज्यों में इस परामर्श के अनुसार काम हुआ है और अन्य राज्यों में भी, विशेषत: दामोदर घाटी निगम क्षेत्रों मे, भूमि संरक्षण कार्यक्रम का अधिकतर काम उनके भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है । जो सुझाव दिया गया है उसके अनुसार तो यह इतना समन्वित नहीं है परन्तु फिर भी ध्यान देने योग्य है ?

श्री हे० वी० कौजलगी : क्या मैं जान सकता हूं कि गहरी काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : महाराष्ट्र तथा मैसूर के काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में ये नदी घाटी परियोजनायें नहीं चल रही हैं यद्यपि महाराष्ट्र में एक थोड़ योजना है जिसे १९६३-६४ में ही स्वीकार किया गया था परन्तु वहां अभी काम आरम्भ नहीं हुआ है । परन्तु रास्क खेती की प्रणालियों का अनुसरण किया जा रहा है और महाराष्ट्र तथा मैसूर दोनों में काफी प्रगति हुई है ?

Shri Yashpal Singh : How many training institutes for this purpose have been set up by the Govt. and is it a fact that sufficient trained hands required for conservation are not yet available ?

Dr. Ram Subhag Singh : This work is very expansive. About 163.19 million acres are to be treated. We have a very good training Centre at Dehra Dun and, besides that, at many other places also but the trainees are not yet equal to our requirements. All these things are, therefore, to be expanded.

श्री ह० प० चटर्जी : माननीय मंत्री ने दामोदर घाटी निगम का उल्लेख किया है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दामोदर घाटी निगम के स्वर्गीय भूमि संरक्षक

श्री आर एम० गौरी ने बताया था कि एक हिसाब से पंचेट बांध २५ वर्षों में भरेगा और दूसरे से ३० वर्षों में और उन्होंने वनरोपण की एक योजना की सिफारिश की थी जिस पर लगभग १९.१६ करोड़ रुपये खर्च होंगे.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब प्रश्न की ओर आयें। वह जानकारी दे रहे हैं, मांग नहीं रहे।

श्री ह० प० चटर्जी : मैं प्रश्न पूछने ही वाला हूं--और जिससे दसवें वर्ष के बाद से लगभग १½ करोड़ रुपये का लाभ होगा। दूसरी चीज यह है कि भुवनेश्वर में हमारे सभी वन विशेषज्ञों ने सिफारिश की है कि. . .

अध्यक्ष महोदय : अब उन्हें सीधे प्रश्न करना चाहिये। प्रश्न से पहले उन्हें इतनी लम्बी भूमिका नहीं बांधनी चाहिये और सारी सभा को प्रतीक्षा नहीं रखानी चाहिये।

श्री ह० प० चटर्जी : ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके बिना शायद मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर न दे सकें।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह समझते हैं कि मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे सकेंगे तो उन्हें प्रश्न ही नहीं पूछना चाहिये।

श्री ह० प० चटर्जी : भुवनेश्वर में हमारे सभी वन विशेषज्ञों ने सिफारिश की है कि नदी घाटी परियोजनाओं पर खर्च होने वाले धन का १० प्रतिशत वनरोपण के लिये दिया जाना चाहिये। यदि हां, तो क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि इस बारे में क्या किया जा रहा है क्योंकि यह बहुत गंभीर बात है और हमारे सारे बांध कुछ ही वर्षों में भर जायेंगे और उन पर हम ने हजारों करोड़ों रुपये खर्च किये हैं?

डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हमारे अधिकतर बांधों को संकट का सामना है। इसलिये हम इस बात पर बल देते रहे हैं कि जब भी कोई बड़ी नदी घाटी परियोजना ली जाए, बांध के साथ साथ, भूमि संरक्षण के उपायों का भी सूझबूझ से अध्ययन होना चाहिये तथा एक साथ इस बारे में प्रयास अवश्य होने चाहियें। परन्तु जहां तक दामोदर घाटी निगम का सम्बन्ध है, वे पहले ही चार बड़े बांध बना चुके हैं। वहां भूमि संरक्षण कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में आरम्भ किया गया था। तीसरी योजना में सभी बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं के लिये समस्त आवंटन केवल लगभग ११ करोड़ रुपये था। अतः बावजूद इस बात के कि मैं उस पत्र को जानता हूं जिस का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, इस राशि में से ९ करोड़ रुपये की राशि नहीं दी जा सकती थी। परन्तु यह एक महत्वपूर्ण विषय है और सरकार इसका ध्यान रखेगी।

Shri Sheo Narain : May I know whether the Central Govt. depends entirely on the State Governments in the matter of soil conservation programme or does it give some assistance to them ?

Dr. Ram Subhag Singh : As pointed out in the statement, the scheduled areas are in fact given 75 percent grant and 25 per cent loan.

Mr. Speaker : There is no need to explain what is already given to the statement.

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या मैं जान सकता हूं कि हीराकुंड तथा मच्छकुंड के जलागम क्षेत्र में कुल कितना क्षेत्र भूमि संरक्षण के अन्तर्गत लाया गया है तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना मे अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

Dr. Ram Subhag Singh : Hirakud has been allocated Rs. 2 crores. Machkund area is also surveyed. 3.09 lakh acres have been surveyed. In Hirakud, survey has been made of 12.34 lakh acres. I will give other details later on.

श्री रा० गी० दुबे : कतिपय जलागम क्षेत्रों में अब तक कार्यान्वित किये गये भूमि संरक्षण के उपायों का वास्तविक परिणाम क्या रहा है ?

डा० रामसुभग सिंह : जहां कहीं भूमि संरक्षण के उपाय किये गये हैं, आगरा के समीप बलेसर क्षेत्र में या कुनिहार क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) में या अन्य स्थानों में, परिणाम बड़े उत्साहवर्द्धक हैं क्योंकि जो भूमि पहले बेकार थी उसका अब लाभदायक उपयोग किया जा रहा है । वनीय वृक्ष उग रहे हैं ।

कपास का उत्पादन

***७१७. श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९६३–६४ में देश में कपास के उत्पादन का निर्धारण किया है ;

(ख) अभी तक हमारे देश द्वारा प्रति वर्ष कुल कितनी कपास का आयात किया जाता है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में देश कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं । १९६३–६४ के उत्पादन का शासकीय प्राक्कलन मई-जून, १९६४ में उपलब्ध होगा जबकि १९६३–६४ के कपास के अन्तिम अखिल भारतीय प्राक्कलन के तैयार हो जाने की संभावना है ।

(ख) पिछले पांच वर्षों में भारत द्वारा किया गया कपास का औसत आयात प्रति वर्ष लगभग ८,३६,००० गांठें (प्रत्येक ४०० पौंड) रहा है ।

(ग) सामान्य वर्षों में भारत मध्यम तथा १–१/१६" तक लम्बे रेशे की कपास की अपनी आवश्यकताओं में आत्म-निर्भर होता है । सामान्यतः १–१/१६" से लम्बे रेशे वाली कपास का आयात किया जाता है और यद्यपि इस तरह की कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं, आवश्यकताओं के बराबर उत्पादन को बढ़ाने में समय लगेगा ।

Shri Yashpal Singh : What is being done by Government to increase the production of long staple cotton ?

Dr. Ram Subhag Singh : There has recently been a considerable increase in long staple cotton. Improved seeds, manure, water etc. are provided for this purpose. The increase has been significant in Ganganagar area of Panjab where there are irrigation facilities.

Shri Yaspal Singh : When will India be self sufficent in this matter.

Dr. Ram Subhag Singh : If we import 8,36,000 bales, we also export about two to three lakh bales of small staple cotton. Its production is greater than the requirement of the industry which comes to about 54 lakhs. More of it is needed here. The present increase is from 45 lakh bales to 55 to 57 lakh bales and this progress is not little.

Shri Vishram Prasad : What is the quantity of long staple cotton in the total cotton produced ?

Dr. Ram Subhag Singh : I said in reply to the main question that the final estimate would be available in May-June and then I would be able to give a definite reply. According to one estimate 60 lakh bales would be produced this year and another estimate put it at 57 lakh bales. This decrease is due to cold wave and floods. That is why I have given the moderate figure of 55 lakh bales because production this year will not fall short of that. Long staple cotton is not produced in dry areas like Madhya Pradesh and Gujarat. It is produced only in irrigated land. I will give its proportion later on but there has been considerable increase.

Shri Gulshan : The sowing season is only a few days ahead in Panjab. The incidence of locust storms and damage caused thereby to the crops is very heavy in Panjab after sowing. Is Govt. taking any steps to prevent the locusts swarms ?

Dr. Ram Subhag Singh : I have myself seen the swooping of locusts in Panjab in 1962. Arrangements were made for giving power sprayers and aerial spraying. The farmers are given 25 per cent pesticide as subsidy and if more is asked for, we shall consider it. It is being utilised in a large quantity specially in Panjab.

श्री लीलाधर कटकी : क्या सरकार जानती है कि आसाम राज्य में गारो पहाड़ियों तथा कुछ अन्य पहाड़ियों में लम्बे रेशे की कपास उगाई जाती है, . लम्बे रेशे की कपास ही अपनी जरूरत को देखते हुए , जिसका अब हम आयात कर रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे क्षेत्रों में लम्बे क्षेत्रों रेशे की कपास के उत्पादन का प्रसार करने के लिये सरकार क्या उपाय करती रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं जानता हूं कि पूर्वी भारत में, विशेषत: गारो पहाड़ियों, मनीपुर, नागालैंड पहाड़ियों, तथा हमारे पड़ौसी देश भूटान में कुछ अच्छी कपास पैदा होती है यद्यपि यह अपनी आवश्यकताओं के लिये ही पूरी नहीं है क्योंकि वहां वे उत्तम कोटि का कपड़ा बनाते हैं, विशेषत : मनीपुर में, और वे अन्य राज्यों से कपास मंगवा रहे हैं । इस बार मैं ने निर्णय किया है और उसे मैं कार्यान्वित करूंगा कि कपास उगाने के लिये इन पहाड़ी क्षेत्रों को कुछ सुविधा अवश्य दी जानी चाहिये ।

श्री बालकृष्णन : क्या सरकार कपास की उच्चतम सीमा निर्धारित करने जा रही है ताकि किसानों के उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन मिल सके ?

डा० राम सुभग सिंह: कपास की निम्नतम तथा उच्चतम कीमतों की घोषणा हो चुकी है और वे लागू हैं ।

श्री इकबाल सिंह : क्या यह सच है कि १९६०–६१ से कपास का क्षेत्र तथा उत्पादन या तो पहले जितने रहे हैं या कम हो गये हैं ; यदि हां, तो क्या कारण है ?

डा० राम सुभग सिंह : उत्पादन उतना नहीं है क्योंकि पिछले से पिछले वर्ष उत्पादन ४५ लाख गांठें था, पिछले वर्ष लगभग ५४ या ५५ लाख गांठें था और इस वर्ष इस से अधिक है । इस

लिये क्षेत्र यदि उतना ही है । यदि प्रति एकड़ उपज बढ़ती है तो हमें सन्तोष होगा क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है ।

Shri Rameshwaranand : The production of cotton in Karnal, Ambala Hissar, Rohtak etc. used to be quite adequate but now it has considerably fallen down due to floods. Is Govt. taking any step to control the floods ?

Dr. Ram Subhag Singh : Swamiji must be knowing that the Panjab Govt. has constructed many nallahs and is trying to construct more for controlling floods and if he has any specific suggestion, I would convey it to the Panjab Government.

Shri Rameshwaranand : They have added to the floods.

Mr. Speaker : You may kindly sit down.

श्री अ० प्र० जैन : क्या मैं सरकार का उद्देश्य जान सकता हूं (क) क्या उसकी आर्थिक पहलुओं का ध्यान रखे बिना सभी तरह की कपास का उत्पादन करने की निरंकुश धारणा है,

(ख) या आर्थिक पहलुओं तथा अधिक उत्पादन पर आधारित कुछ चुनी हुई किस्मों की कपास पैदा करना ?

डा० राम सुभग सिंह : चुनी हुई किस्में ।

श्री हेम बरूआ : वह (क) और (ख) का प्रयोग कर रहे हैं । बीमारी उन तक भी पहुंच रही है ।

अध्यक्ष महोदय : इसे शुरू करने वाले वह है । बीमारी फैल गई है । प्रत्येक अनुपूरक से पहले एक लम्बा वक्तव्य दिया जाता है ।

श्री अ० प्र० जैन : ये दो विकल्प हैं। इसे मैं स्पष्ट करना चाहता था ।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मुश्किल है । आधा घंटा गुजर गया है और अभी केवल चार सवाल हुये हैं ।

वह प्रश्न का उत्तर दे दें ।

डा० राम सुभग सिंह : उत्तर मैं ने दे दिया है । मैं ने कहा था कि हमारा उद्देश्य चयनात्मक होगा यद्यपि इस समय प्रत्येक किसान पर इसे प्रवर्तित करना संभव नहीं हैं कि वह इस किस्म का उत्पादन करे ।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

*७१८. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
डा० पू० ना० खां :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आये हैं कि उपभोक्ता सहकारी समितियों ने उपभोक्ता वस्तुओं को निर्धारित मूल्यों से अधिक पर बेचा है ;

(ख) यदि हां, तो १९६३–६४ में अब तक सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आये हैं।

(ग) कौन सी वस्तुएं अधिक मूल्यों पर बेची गई हैं ; और

(घ) इन मूल्यों पर बेचे जाने के क्या कारण हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख): जी हां। दो मामले सरकार के ध्यान में आये हैं।

(ग) चीनी ।

(घ) एक समिति ने उन लिफाफों के लिये ज्यादा मूल्य लिया था जिन में ग्राहकों को चीनी दी गई थी ।

दूसरी समिति ने थोक की दूकान से अपनी परचून की दुकान तक के परिवहन व्यय को यह समझ कर मूल्य में जोड़ दिया था कि वह ऐसी लागत वसूल कर सकती है ।

श्री सुबोध हंसदा: क्या मैं उन समितियों के नाम जान सकता हूं ?

श्री श्यामधर मिश्र : नाम ये हैं : (१) भारत सेवक समाज सहकारी स्टोर, नांगलोई, दिल्ली, और (२) अलीपुर बहुप्रयोजनीय समिति, अलीपुर, दिल्ली ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि "आर्गेनाइजर" नामक साप्ताहिक समाचार पत्र में यह समाचार छपा था कि दिल्ली की एक उपभोक्ता सहकारी समिति ने लोहे तथा इस्पात को चोरबाजार में बेचा, ऐसा सामान जो कृषि प्रयोजनों के लिए नियत था और यदि हां, तो यह कहां तक सच है ?

श्री श्यामधर मिश्र : इस तरह की किसी उपभोक्ता समिति को लोहा तथा इस्पात नहीं दिया गया है । इसलिए यह अवश्य कोई विपणन समिति होगी। मुझे इसका पता नहीं है ।

Shri M. L. Dwivedi : Has the attention of the hon. Minister not been drawn to the profiteering by the Delhi Central Co-operative Store which sold gur at the exorbitant rate of Rs. 85 per maund ? If he knew about it, why has he not mentioned it in his reply ?

Shri Shyam Dhar Misra : This was replied by the hon. Food Minister a few days ago. He had stated that the Store had not committed any crime as the rate was not prescribed. It does not, therefore, arise at this time.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether the Delhi Central Co-operative Store is allowed to import certain commodities of daily use and have you received any such complaints that those imported things were sold at higher prices ? If so, is Govt. considering to revoke the licence given to this Store ?

Shri Shyam Dhar Misra : There are no such complaints that the Delhi Central Co-operative Store sell certain imported items at higher rates. They must earn some profit at least and therefore they have to charge a little more. But there are no prescribed rates which they must sell at.

Shri Yashpal Singh : How many members of the management of consumers co-operative stores have been challaned and punished in various States ?

Shri Shyam Dhar Misra : As soon as notice was received, we made enquiries from the State Governments as to how many such cases had come to light. They sent a negative reply that no such charges had come to light there. However, there was a charge against one consumer store of Andhra Pradesh. An enquiry was made and the charge was found to be baseless. So far as I know, no challan has been issued anywhere.

श्री हेम बरुआ: जैसा कि पंजाब के मुख्य मंत्री के बारे में चल रही कार्यवाही से स्पष्ट है, सहकारी समितियां भ्रष्टाचार के स्रोत हैं . . .

श्री अ० प्र० जैन: श्रीमन्, यह लम्बी भूमिका है ।

श्री हेम बरुआ : इसे देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इसके लिये क्या उपाय किये हैं कि ये समितियां भ्रष्टाचार के केन्द्र न बनें . . . (**अन्तर्बाधायें**)

श्री श्यामधर मिश्र : यह बड़ा सामान्य प्रश्न है । मैं यह तो नहीं कहता कि सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार नहीं है, वह तो कहीं भी हो सकता है ; परन्तु माननीय सदस्य का यह निष्कर्ष कि सभी समितियां भ्रष्टाचार से भरी पड़ी हैं ठीक नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं ने ऐसा कहा है ?

श्री श्यामधर मिश्र: बोगस समितियों को अच्छा बनाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं . . . (**अन्तर्बाधा**)

श्री हरि विष्णु कामत : बोगस समितियों को आप कैसे अच्छा बना सकते हैं ? बोगस तो बोगस हैं, ऐसा ही कहा जाता है ।

Shri Kachhavaiya : Is it not a fact that the Delhi Central Co-operative Store has earned much undue profit from the sale of gur and much criticism been levelled against it here and outside and everybody has asked for judicial probe into it but since the Chairman of this store is a prominent Congressman of Delhi, no action is being taken against him lest he should be disappointed ?

Shri Shyam Dhar Misra : It has been replied in detail by the hon. Food min ster a few days ago but still those old questions are being repeated.

Shri Kachhavaiya : Is it not a fact that the Chairman is being protected because he is a leading Congress member of Delhi ?

श्री उ० मू० त्रिवेदी : जब दिल्ली सैंट्रल कोआपरेटिव स्टोर्स के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के प्रश्न पर चर्चा की गई थी तो विधि मंत्री ने कहा था कि इस विषय से सम्बन्धित प्रत्येक चीज के बारे में उचित जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। या सारी सूचना उन्हें दे दी गई है ताकि अपराधियों पर मुकदमा चलाया जा सके ?

श्री श्यामधर मिश्र : इस प्रश्न के बारे में खाद्य तथा कृषि मंत्री ने बड़े ब्यौरे से बताया था और इसका सम्बन्ध खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से है ; यह एक विशेष संभरण से सम्बन्धित है । मेरे विचार में उन्होंने इसका काफी विस्तार से उत्तर दिया है और यदि किसी उत्तर की और जरूरत है तो इन उस मंत्रालय से किया जाए ।

श्री स० मो० बनर्जी: क्या इस बदनाम सहकारी समिति को इस विशेष विभाग से कुछ वित्तीय सहायता मिल रही है और यदि हां, तो १९६२-६३ से उसे कितना धन दिया गया है ?

श्री श्याम धर मिश्र: जैसा कि मैं ने श्री सुबोध हंसदा के प्रश्न के उत्तर में कहा था, दो सहकारी समितियां इस मामले में ग्रस्त थीं —एक तो भारत सेवक समाज सहकारी समिति और दूसरी अलीपुर बहुप्रयोजनीय सहकारी समिति । पहली समिति दिल्ली उपभोक्ता सहकारी स्टोर्स से सम्बद्ध है और अंश पूंजी तथा कुछ राज सहायता दी गई है । बहुप्रयोजनीय सहकारी समिति को कुछ राज सहायता तथा अंश पूंजी के रूप में भी सहायता दी जाती है । मैं नहीं जानता कि यहां अंश पूंजी दी जाती है या नहीं ।

श्री नाथ पाई: क्या माननीय मंत्री का ध्यान उस गोष्टी की सामान्य राय की ओर गया है जो गत सप्ताह राजधानी में हुई थी जिस में हिस्सा लेने वाले सभी व्यक्ति, जिन में कुछ मंत्री भी थे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस देश में सहकार आन्दोलन बुरी तरह से असफल रहा है—हिस्सा लेने वाले एक प्रमुख व्यक्ति ने ठीक यही बात कही थी ?

श्री श्यामधर मिश्र : हो सकता है कि यह हिस्सा लेने वाले किसी प्रमुख व्यक्ति का मत हो या वह प्रमुख न भी हो । यह सरकार का मत नहीं है । यह असफल नहीं हुआ ; यह सफल हो रहा है । असफलता के बावजूद इसे सफल होना है और हो रहा है ।

Rice Import from U.A.R.

***719. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme for importing rice from U.A.R. ;

(b) if so, the quantity of rice to be imported and when it would reach India ; and

(c) the rate at which it would be imported and the rate at which the same will be sold here ?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Food and Agriculture (Shri Shinde) : (a) and (b) An agreement was signed on the 25th December, 1963 for the import of 35,000 metric tons of rice from the U.A.R. The shipments were to be at a monthly rate of 10,000 metric tons starting from February, 1964.

(c) It is not in the public interest to disclose the purchase price. The price at which it would be sold in India will depend on the quality and will be settled later.

श्री रंगा: श्रीमान, जनहित क्या है ? उन्हें यह जानकारी देनी चाहिये कि संयुक्त अरब गणराज्य से उन्होंने किस भाव पर चावल खरीदा है । यह बड़ी अनोखी बात है

Shri Onkar Lal Berwa : Sir, first of all I want to know what is this public interest on account of which the hon. Minister says that it is not proper to disclose ? In my opinion, he should have told how much rice has been purchased and at what rate.

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस): यह सरकार के लेखे में है और उस नाते हम अन्य देशों के साथ व्यवहार करते हैं। यह बताना हमारे हित में नहीं है कि एक देश से किस भाव पर हम ने चावल खरीदा है । इस से उलझन वाली स्थिति पैदा हो जाएगी।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know what is the shortage of rice in the country and from which other countries, besides U.A.R., rice is being imported ?

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान, औचित्य प्रश्न पर। यदि मुझे ठीक याद है लगभग डेढ़ वर्ष पहले जब भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे तो आपने कहा था कि अन्तिम निर्णायक आप ही हैं ; मंत्री महोदय यह दावा कर सकते हैं कि बताना लोक हित में नहीं है परन्तु उस अवसर पर आपने हस्तक्षेप किया था और यह कह कर कि लोक हित के बारे में अंतिम निर्णयक आप हैं मंत्री नहीं आपने उन्हें उत्तर देने पर बाध्य किया था । यह सरकार के हित में हो सकता है परन्तु सरकार के हित तथा लोक हित को एक ही नहीं मान लिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं चुप रहता हूं तो उसका मतलब है कि उन से सहमत हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : यह कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है ।

अध्यक्ष महोदय: बहुत सी चीजें दुर्भाग्य पूर्ण होती हैं परन्तु फिर भी होती हैं।

श्री रंगा : देश में प्रचलित मूल्यों को देखते हुए हम जानना चाहते हैं कि संयुक्त अरब गणराज्य से किस भाव पर चावल खरीदा गया है । मंत्री महोदय कहते हैं कि यह बताना जनहित में नहीं है । ऐसा क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि कैसे इसकी व्याख्या करूं। यदि सत्तारूढ़ दल ने सरकार चलानी है तो उसे यह लाभ प्राप्त है और उसे कुछ विशेषाधिकार दिये जाने चाहियें तथा प्रशासन को चलाने के लिये उसे यह सुविधा अवश्य होनी चाहिए।

श्री रंगा : यह प्रतिरक्षा या गृह-कार्य नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह जरूरी नहीं है । यदि कुछ फर्मों या अन्य पक्षों के साथ निजी करार भी किये जाते हैं, उन्हें भी वे गुप्त रखना चाहते हैं और कभी यह शर्त होती है कि ऐसी-ऐसी चीजें किसी को न बताई जायें क्योंकि उन फर्मों या उन देशों का औरों से भी लेन-देन हो सकता है और तब उन्हें बड़ी परेशानी होती है । इसलिये, हमको यह समझना चाहिये कि प्रतिरक्षा के अतिरिक्त और भी अन्य कुछ मामले हैं जिनमें वे यह अनुभव करते हैं कि किसी जानकारी विशेष को देना लोक हित में नहीं होगा ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मंत्री महोदय को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये थी कि जानकारी प्रगट न करने का कारण यह है कि उन्होंने सम्बन्धित पार्टी से यह समझौता किया है कि यह बात प्रकट नहीं की जानी है।

अध्यक्ष महोदय : सामान्यतया उनका यह विशेषाधिकार है कि वह इस बात का दावा करें कि किसी जानकारी विशेष को प्रगट करना लोक हित में नहीं है और मुझे उन्हें इस विधेयक को लागू करने की अनुमति देनी होती है । जब कभी कोई सन्देह होता है तो

वास्तव में मैं इस बात की जांच कर सकता हूं और अपने को संतुष्ट कर सकता हूं। अन्यथा तो यह उनका विशेषाधिकार है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि सदन के अधिकारों और विशेषाधिकारों के रक्षक के रूप में आप इस बात को सुनिश्चित करें कि सरकार प्रत्येक अवसर पर इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग न करे ।

श्री नाथ पाई : मैं पुनः यही नम्र निवेदन करता हूं कि सदन को जिस जानकारी को जानने का न्यायसंगत अधिकार है उस जानकारी को प्रगट न करने के लिये मंत्रियों को इस विशेषाधिकार को एक आश्रय अथवा बचाव करने वाले आवरण के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिये । जानकारी को न देने अथवा अपनी अनभिज्ञता को छिपाने के, दोनों में से किसी भी मामले में, वे तुरन्त यह कह देते हैं कि जानकारी प्रगट करना लोक हित में नहीं है । यह कोई पहला ही अवसर नहीं है जब कि जो जानकारी हमें दी जानी चाहिये उसे पाने के लिये हम आपका संरक्षण मांग रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या संयुक्त अरब गणराज्य के साथ करार में ऐसी कोई शर्त है कि दोनों ही देश मूल्यों को प्रगट नहीं करेंगे अथवा केवल हम पर ही शर्त लागू हैं और वे मूल्यों को बता सकते हैं ?

श्री अ० म० थामस : करार की ऐसी कोई शर्त नहीं है । परन्तु जैसा कि मैं ने बताया है संयुक्त अरब गणराज्य ने और भी दशों के साथ करार किये हुए हैं । हम भी अन्य देशों के साथ सौदे करते हैं । इसलिये वह देश यह नहीं बताना चाहेगा कि किसी देश विशेष को उन्होंने किस मूल्य पर कोई वस्तु बेची है और हम भी यह नहीं प्रगट करना चाहेंगे कि हमने किस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी है । जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं इससे अन्य देशों के साथ हमारे सौदा करने के कार्य में परेशानी वाली स्थिति पैदा हो सकती है । मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही स्वस्थ प्रथा है और यह हमारी वित्त व्यवस्था के बहुत हित में है कि हम ऐसी बातों को प्रगट न करें ।

अध्यक्ष महोदय : क्या संयुक्त अरब गणराज्य की यह, व्यक्त अथवा अव्यक्त, इच्छा है कि इस बात को प्रगट न किया जाये अथवा भारत सरकार स्वयं अपने विवेक का उपयोग कर यह कहती है कि इसे प्रगट करना लोक हित में नहीं होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इन बातचीतों के प्रारम्भ होने से कुछ महीने पहले मैं स्वयं संयुक्त अरब गणराज्य में था । मूल्य के सम्बन्ध में समझौता करना एक नाजुक तथा कठिन कार्य है । कभी कभी ऐसी रियायत दी जाती हैं जिन्हें कि वे अन्य देशों को प्रगट नहीं करना चाहते और वह यह नहीं चाहते कि सबको यह बात बताई जाये कि किस मूल्य पर कोई खरीदारी की जा रही है । और फिर, जब हम बहुत से देशों से कोई वस्तु खरीद रहे हों, तब, अगर हम किसी एक विशेष देश से खरीद के मूल्य को बता देते हैं और फिर हम अन्य किसी देश से उससे बहुत कम मूल्य पर खरीदारी कर रहे हों तो कभी कभी उन देशों के बीच तनाव भी पैदा हो सकता है और इस बारे में दबाव डाले जा सकते हैं कि कोई देश किसी दूसरे देश को इतने कम मूल्य पर विक्रय क्यों कर

रहा है । इसलिये यह एक आम प्रथा है कि बेचने वाला तथा खरीदने वाला दोनों ही देश अपने अपने हित में खरीद की शर्तों को सार्वजनिक रूप से प्रगट नहीं करते । जैसा कि स्वयं आपने बताया था, यदि कोई आपत्तिजनक बात हो तो निश्चित ही उसकी जांच की जा सकती है, परन्तु यह ऐसी बात है जो बताई नहीं जा सकती । इसलिये, निसर्गतः, इन बातचीतों के दौरान जब हम यह जानना चाहते हैं कि वे अन्य देशों को किस मूल्य पर विक्रय कर रहे हैं तो हम यह देखते हैं कि वे इस बात को हमें नहीं बताते और हमसे भी यह कहते हैं "यह देश आपसे जो मूल्य ले रहा है आप भी उसे न बतायें ।"

अध्यक्ष महोदय : सदस्यगण केवल इस बात के लिये चिन्तित हैं कि अन्य देश जो मूल्य दे रहे हैं उससे अधिक मूल्य हम न दें ।

श्री स्वर्ण सिंह : इस सम्बन्ध में हम पूर्णतः संतुष्ट हैं ।

श्री रंगा : श्रीमन्, आप भी इस बात को जानते हैं कि जब हमने अमेरिका को चीनी बेची थी तो हमने यह बताया था कि हम किस मूल्य पर विक्रय कर रहे हैं । अमेरिका और हमारे बीच एक समझौता था, परन्तु उस समय यह सब आपत्तियां नहीं उठाई गई थीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या माननीय मंत्री सदन को यह बता सकते हैं कि क्या संयुक्त अरब गणराज्य ने चावल के लिये अन्य कुछ देशों के साथ जो सौदे किये थे उनमें उनके बीच जिन मूल्यों का समझौता हुआ था उन्हें उन अन्य देशों की सरकारों ने भी प्रगट नहीं किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी, नहीं, जहां तक हमें जानकारी है वे प्रगट नहीं किये गये हैं ।

श्री नाथ पाई : इस प्रकार के मामलों में, किस प्रकार वह यह दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी संतुष्टि कर ली है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अब अगले प्रश्न को लिया जाये ।

Shri Onkar Lal Berwa : Sir, I have not asked any supplementary question. I gave notice for this question and I have not been allowed to ask any supplementary ?

Mr. Speaker : I am sorry for that. If the hon. Member has not been able to ask a supplementary, he would be given a chance next time.

डाक का विलम्ब से बांटा जाना

*७२३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में ही डाक की विभिन्न वस्तुओं को धीमी गति से गन्तव्य स्थान पर पहुंचने तथा विलम्ब से बांटे जाने के कारणों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले तथा मामले में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

डाक और तार विभाग में उप-मंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). डाक की वस्तुओं के गन्तव्य स्थान पर पहुंचने और बांटे जाने में विलम्ब होने के जो भी मामले सरकार की जानकारी में आते हैं उनकी सर्वदा ही जांच की जाती है और औपचारिक कार्यवाही की जाती है । इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण डाक लाइनों की परीक्षण कार्ड तथा परीक्षण पत्र डाल कर अक्सर जांच की जातीरहती है । इसके परिणाम सामान्यतया संतोषजनक होते हैं परन्तु जहां कुछ दोष दिखाई दिये हैं, तो वहां उन अड़चनों को दूर करने अथवा डाक बांटने की व्यवस्था को बदलने के आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : किस प्रकार की अड़चनें माननीय मंत्री की जानकारी में आई हैं और किस प्रकार वे उनसे छुटकारा पा सके हैं ?

श्री भगवती : कभी कभी इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन पूरा डाक भार नहीं ले जा पाती है, जितना कि हम चाहते हैं कि वे ले जायें । एक निश्चित कोटा निर्धारित कर दिया जाता है और यदि भार उससे अधिक होता है तो वे उसकी अधिक मात्रा को ले जाने से मना कर देते हैं । फिर, कभी कभी मानवीय भूल भी होती है और पत्रों को छांटने में गलतियां हो जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप विलम्ब हो जाता है । इन सब दोषों को दूर करने के लिये हमने कार्यवाही की है । हमने निरीक्षण अधिक कड़ा कर दिया है । हमने इस सम्बन्ध में भी कार्यवाही की है कि रूटिंग व्यवस्था ऐसी हो जिससे कि विलम्ब न हो ।

श्री दी० चं० शर्मा : एक समय ऐसा था जबकि इस मंत्रालय को की गई शिकायतों पर बहुत शीघ्र ध्यान दिया जाता है । किसी शिकायत के प्राप्त होने और उस शिकायत को निबटाने के सम्बन्ध में किये गये कार्य के समयों में अब कितना अन्तर होता है ? क्या समय का यह अन्तर पहले से बहुत अधिक बढ़ गया है अथवा यह पहले से कम हो गया है ?

श्री भगवती : सभी शिकायतों की तुरन्त जांच की जाती है । कभी कभी उत्तर देने में विलम्ब हो जाता है । हमें लगभग ४०,२६१ शिकायतें मिली हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या एक महीने में ?

श्री भगवती : एक वर्ष में । इन शिकायतों की प्रतिशत संख्या एक प्रतिशत से भी कम है । १९६२ में यह ०.००९३ प्रतिशत थी और १९६३ में यह ०.००८७ थी और इस प्रकार यह कम हो गई हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । .००९३ और .००८७ कहने से माननीय मंत्री का क्या प्रयोजन है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति—श्री विश्राम प्रसाद :

Shri Vishram Prasad : Has it come to the notice of the Government that the post offices in Azamgarh Distt. get their mails delivered through other agencies who pocket one rupee for every money-order worth Rs. 100/- ; if so, what action Government are taking in this regard ?

Mr. Speaker : This question relates to delay.

Shri Vishram Prasad : But delay is there because of this.

Mr. Speaker : To pocket some money is not delay.

Shri Kashi Ram Gupta : Are Government aware of the fact that people do not always send their complaints because they do not get any reply for six months or so ?

श्री भगवती : मैं नहीं समझता कि इतना अधिक विलम्ब होता है। विलम्बों के कारणों की हमने १९६२ में जांच की थी। हमने यह पाया कि देरी से बांटी जाने वाली डाक वस्तुओं की अधिकतम संख्या १ प्रतिशत थी। सबसे अधिक प्रतिशत संख्या गलत स्थानों पर पहुंच जाने वाले पत्रों की थी। इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिए हमने कार्यवाही की है।

Shri Yashpal Singh : Are Government aware of the fact that I have lodged complaints hundreds of times to the effect that my village is Paniala and mails meant for Paniala are transmitted to Patiala and *vice versa* as a result of which they are delayed by ten to fifteen days, if so, what remedial measure Government have taken in this regard ?

Mr. Speaker : It would be better if you change the name.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि एक्सप्रेस चिट्ठियां अक्सर बांटी नहीं जाती हैं और जब डाकखानों की शिकायतें की जाती हैं तो आम उत्तर यह होता है कि "हम ऐक्सप्रैस चिट्ठियों का कोई रिकार्ड नहीं रखते" ! यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इस बात को देखते हुए क्या ऐक्सप्रैस चिट्ठियों के रिकार्डस रखने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

श्री भगवती : जब भी कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं हम सर्वदा ही उनकी जांच करते हैं। यह सच है कि ऐक्सप्रैस पत्रों के कोई रिकार्ड्स हम नहीं रखते। परन्तु जब हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं तो हम उनकी जांच करते हैं और औपचारिक उपाय करते हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : तारों के विलम्ब से गन्तव्य स्थान पर बांटे जाने के लिये कितना रुपया वापस किया जाता है और डाक विभाग ने कितने तार सामान्य डाक से भेज हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल पत्रों से सम्बन्धित है, तारों से नहीं।

श्री श्रीनारायणदास : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बहुत अधिक मामलों में तार सामान्य डाक द्वारा भेजे जाते हैं ?

श्री भगवती : यह प्रश्न डाक की चिट्ठियों से सम्बन्धित है ?

Shri M. L. Dwivedi : I sent a telegram on 5th March, 1953 which has not so far been delivered to the addressee. May I know the reasons for this ?

श्री भगवती : यह प्रश्न तारों के सम्बन्ध में नहीं है।

श्री उ० यू० त्रिवेदी : क्या इस अपरिमित विलम्ब का एक कारण रविवारों को डाक का न निकालना जाना (नान-क्लीयरेन्स) और न बांटा जाना भी है ? यदि कोई रेलगाड़ी १२ बजकर ५५ मिनट पर जाती है तो, डाक को स्टेशन पर ही पड़ी रहने देने के लिए डाक निकाले जाने का समय ठीक १२ बजे लिख दिया जाता है जिससे कि यदि वह दिन शनिवार हो

जो डाक भेजी हो न जाये क्योंकि १२ बजे के बाद तो रविवार आ जाता है जो कि छुट्टी का दिन होता है। क्या यह सच है कि यदि कोई गाड़ी १२ बजे के बाद भी छूटती है तो भी इरादतन डाक के भेजे जाने में विलम्ब करने के लिये डाक निकाले जाने का समय ठीक १२ बजे का अथवा उसके बाद का लिख दिया जाता है।

श्री भगवती : हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं होता और फिर रेलवे की तो अपनी अलग समय-सूची होती है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं डाक निकाले जाने की बात कर रहा हूं।

श्री भगवती : डाक निकाले जाने का समय हम सामान्य रूप से निर्धारित करते हैं। यह संदेह करना उचित नहीं है कि जान बूझकर विलम्ब किया जाता है।

श्री रंगा : इस बात से कितना विलम्ब होता है कि डाक विभाग को पत्रों आदि, विशेषरूप से संसद् और राज्य विधान-सभाओं के विरोधी दलों के सदस्यों को भेजे जाने वाले पत्रों आदि, का सेंसर कराना पड़ता है ?

श्री भगवती : ऐसी बात नहीं है।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : क्या यह सच नहीं है कि बहुत सी विदेशी पत्रिकायें, कलैण्डर और चित्र, पुस्तकें, चाहे वे संसद्-सदस्यों के लिए ही क्यों न हों, अपने प्रेषितियों के पास नहीं पहुंचती है क्योंकि रास्ते में वे डाक-तार विभाग के कर्मचारियों द्वारा चुरा ली जाती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो जानकारी देने वाली बात है। अगला प्रश्न।

बम्बई सिकन्दराबाद एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना

+

*७२४. **श्री कछवाय :**
श्री कपूर सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई-सिकन्दराबाद एक्सप्रेस मध्य रेलवे के ठाकुरली तथा कल्यान स्टेशनों के बीच ९ मार्च, १९६४ को पटरी से उत्तर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने यात्री घायल हुए तथा अनुमानतः कितनी हानि हुई ; और

(ग) दुर्घटना के क्या कारण थे तथा क्या कोई जांच करने के आदेश दिये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) दुर्घटना के परिणामस्वरूप आठ व्यक्ति घायल हुए थे, जिनमें से एक बुरी तरह से घायल हुआ था। रेलवे सम्पत्ति को लगभग ८४,२०० रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) रेलवे सुरक्षा अवर आयुक्त, बम्बई ने दुर्घटना की संविहित जांच की है। उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

Shri Kachhavaiya : How many trains have been derailed since January 1963 and what has been the main reason for it ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : इस प्रश्न के लिए पृथक सूचना दी जाये। मैं ऐसे ही इसका उत्तर नहीं दे सकता।

Shri Kachhavaiya : When will this enquiry be completed and results thereof made known ?

श्री सैं० वें० रामस्वामी : प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है। यह उत्तर मैंने दिया था।

अध्यक्ष महोदय : यह लगभग पूरी हो चुकी है ?

Shri Bade : It has been stated that damage is worth Rs. 84,200/- How many persons have preferred claims for personal injuries and for what amount ?

श्री सैं० वें० रामस्वामी : कोई भी दावा दायर नहीं किया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रतीत होता है कि दुर्घटनाओं की संख्या फिर से बढ़ गई है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि इसके लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं जिससे कि दुर्घटनाओं की संख्या, जो कि १९६२ में घट गई थी और अब १९६३ में बढ़ गई है, १९६४ में और न बढ़े ?

रेलवे मंत्री (श्री दासप्पा): कुंजरू समिति का एक बहुत ही व्यापक प्रतिवेदन हमारे पास है और हम उसी के अनुसार कार्यवाही करते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ महीनों में दुर्घटनाओं सम्बन्धी स्थिति अधिक अच्छी हो जायेगी। परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि दुर्घटनाओं की कुल संख्या हाल ही में बढ़ गई है।

Shri Onkar Lal Berwa : Is it a fact that three fish-plates were removed and one Pakistani national has been arrested in that connection ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : इस सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं है।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that the Railway authority which is entrusted with the work of enquiry try to eye-wash ? Are Government considering the proposal that in future such inquiries be entrusted to some independent Judge ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह जांच रेलवे सुरक्षा अवर आयुक्त द्वारा की गई है जो कि परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वह एक स्वतन्त्र प्राधिकारी है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच है कि पटरी से रेलों के उत्तर जाने की दुर्घटनाओं की संख्या इस देश में संसार के अन्य किसी भी देश की तुलना में बहुत अधिक है जहां कि रेलें चल रही हैं ?

श्री दासप्पा : मैं इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता कि अन्य स्थानों की तुलना में हमारे देश में रेलों के पटरियों से उतर जाने की दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री जसवन्त मेहता : कुंजरू समिति के प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् सरकार ने क्या कार्यवाही की है और सरकार ऐसा एक विवरण सभा-पटल पर कब रखेगी जिसमें यह बताया जायेगा कि इस प्रतिवेदन पर क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : कुंजरू समिति की बहुत सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और वे क्रियान्वित की जा रही हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जहाज निर्माण के सम्बन्ध मे भारत-यूगोस्लाविया का सहयोग

*७२०. { **श्री राम हरख यादव** :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया आर्थिक शिष्ट मंडल की भारत सरकार के साथ हुई बातचीत के परिणामस्वरूप भारत और यूगोस्लाविया ने नौवहन तथा जहाज निर्माण के क्षेत्र में निकट सहयोग करना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). यूगोस्लाविया आर्थिक शिष्टमंडल और भारतीय व्यापार तथा आर्थिक प्रतिनिधिमण्डल के बीच हाल ही में हुई बातचीत के दौरान नौवहन तथा जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत और यूगोस्लाविया के बीच निकट सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया था और यह स्वीकार कर लिया गया था कि दोनों ही पक्ष ऐसे सहयोग की सम्भावनाओं की खोज करेंगे तथा वे दोनों देशों के जहाज-निर्माण उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रविधिक दलों के बीच परामर्श किये जाने के लिए भी व्यवस्था करेंगे ।

Cattle Insurance

*721. **Shri D. S. Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce cattle insurance scheme ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of state in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b) Yes ; a pilot model scheme prepared on Cattle Insurance is under consideration of the Government.

चीनी का मूल्य

*७२२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ के चालू वर्ष में चीनी उत्पादन की कमी के कारण क्या सरकार ने हाल में ही चीनी के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ विशेष कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए क्या तरीके अपनाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख). १९६३–६४ में उत्पादन के अब तक के रुझानों से पता चलता है कि यह सम्भव हो सकता है कि चीनी का सम्भरण उस स्तर के बराबर रखा जा सके जो कि १९६२–६३ में नियंत्रण की अवधि के दौरान था। इस अवस्था में विशेष कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता, परन्तु राज्य सरकारों का परामर्श लेकर वितरण की विद्यमान व्यवस्था में सुधार किया जायेगा।

अलामुरु के निकट सड़क-पुल दुर्घटना

*७२५. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्ति जिन में एक डिवीजनल इंजीनियर (हाईवेज) भी था, हाल ही में आन्ध्र प्रदेश में अलामुरु के निकट गोमती नदी पर बनाये जा रहे सड़क पुल पर हुई दुर्घटना में मर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ; और

(ग) क्या इस मामले में किसी जांच के आदेश दिये गये हैं .

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). इस पुल के १६० फीट वाले ४८ पाट (स्पान्स)[1] हैं और जिस "डैक' पर सड़क बनी है उसको सहारा देने के लिये प्रत्येक "पाट" में ५ पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट की धरन[2] लगी हुई हैं। पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट की धरनें[2] एक किनारे पर ढली हुई हैं और वहां से दूसरे किनारे तक उनको एक जलावतरण कैंची (लांचिंग ट्रस) द्वारा, जिसका वजन १४० टन और लम्बाई ३३० फुट है, ले जाया गया है।

२. चौदह पाटों (स्पान्स) पर पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट धरनें[2] (प्रत्येक पाट में चार-चार) डाली जा चुकी थी। २ मार्च, १९६४ की सायंकाल को जलावतरण कैंची (लांचिंग ट्रस) १४ वें पाट से १५ वें पाट पर डाली जा रही थी और वह १४वें पाट पर डाली जा चुकी ४ पूर्वप्रतिबलित कंक्रीट धरनों[2] पर चल रही थी। उस समय डिवीजनल इंजीनियर १४ वें पाट (स्थान) की

[1]Spans. [2]Prestressed concrete beams.

धरनों (बीम्स) पर खड़ा हुआ था और कार्य का निरीक्षण कर रहा था । जो शिल्पी विंचों को चला रहे थे वे जलावतरण कैंची (लांचिंग ट्रस) पर थे । जब कैंची (ट्रस) १४ वें स्तम्भ से लगभग ७० फीट चल चुकी तो अचानक पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट धरने[1] भयानक आवाज करती हुई गिर पड़ी और उन पर खड़े सभी व्यक्ति नदी की गोद में जा गिरे । परिणामस्वरूप, इस कार्य में लगे हुए व्यक्ति, जिन में डिवीजनल इंजीनियर भी सम्मिलित था, धरनों के साथ साथ नीचे गिर गये। प्राथमिक उपचार दिये जाने के बावजूद भी ७ व्यक्ति घटनास्थल पर ही मर गये जिन में पांच संचालक, डिवीजनल इंजीनियर श्री ए० एन० दामोदरन नायडू और श्री ए० ए० राजू नाम का एक अन्य व्यक्ति था जो कि डिवीजनल इंजीनियर (हाईवेज़) के साथ खड़ा हुआ कार्य देख रहा था । अन्य तीन व्यक्ति जो घायल हुए थे उन्हें काकीनाडा के सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया था और अस्पताल में उनकी दशा में काफ़ी सुधार हो रहा है ।

३. दुर्घटना की बात सुनकर सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर (हाईवेज़), काकीनाडा, डेपुटी चीफ इंजीनियर (हाईवेज़), और डिवीजनल इंजीनियर (डिजाइन्स) तुरन्त ही घटनास्थल पर पहुंचे । उनकी जांच के अनुसार कारीगरी अथवा डिजाइनों अथवा लांचिंग व्यवस्था में कोई भी त्रुटि नहीं थी । राज्य के चीफ़ इंजीनियर के कथनानुसार धरनों (बीम्स) के गिरने का कारण केवल यही हो सकता है कि ट्रालियां पटरियों पर से अचानक रपट पड़ी हों अर्थात्, उसी प्रकार पटरी से उत्तर गई हों जिस प्रकार की रेलगाड़ी पटरी से उतर जाती है, जिस से कि उन पर बहुत बोझ पड़ा हो। और वे गिर पड़ी हों । इस देश में अब तक एक बहुत बड़ी संख्या में पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट धरनें बनाई जा चुकी हैं और पटरियों के इस प्रकार उतरने की कोई घटना पहले नहीं हुई है। इसलिये इस प्रकार की दुर्घटना का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था ।

४. राज्य सरकार ने एक जांच समिति स्थापित की है जिस में इस मंत्रालय के सड़क विंग का एक प्रतिनिधि भी है । समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया और आशा की जाती है कि वह बहुत शीघ्र ही अपना कार्य समाप्त कर किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचेगी ।

अजनी रेल यार्ड में विस्फोट

*७२६. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या रेलवे मंत्री ३ दिसम्बर, १९६३ को ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर के निकट अजनी रेलवे यार्ड में हुए विस्फोट की जांच इस बीच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह विस्फोट डिब्बे में प्रस्फोटकों और पोटासियम क्लोरेट के पारेषणों के गलत ढंग से लादे जाने के कारण हुआ । तथापि, आग लगने के निश्चित कारण का पता नहीं लगाया जा सका ।

[1]Prestressed Concrete beams.

पाकिस्तान-चीन विमान करार

*७२७. **श्री महेश्वर नायक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन और पाकिस्तान के बीच चालू होने वाली विमान सेवा के लिए दोनों देशों ने एक विमान करार पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उसके मार्ग के ब्योरे तथा उस से उत्पन्न होने वाली बातों की जांच की है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (ग) जी, हां । पाकिस्तान और चीन के बीच हुए विमान करार के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा बनाई गई एक एयरलाइन के विमान पाकिस्तान के किसी स्थान से, किसी तीसरे देश में होकर अथवा न होकर, चीन के कटन और शंघाई नगरों को और उस से आगे अन्य देशों को उड़ सकते हैं। तत्समान, चीन द्वारा बनाई गई एक एयरलाइन के विमान चीन के किसी स्थान से, किसी तीसरे देश में होकर अथवा न हो कर. पाकिस्तान के ढाका अथवा लाहोर और कराची नगरों को और उससे आगे अन्य देशों को उड़ सकते हैं । समाचारपत्रों में हाल में प्रकाशित समाचारों के अनुसार, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स अपने विमान ढाका–कुनमिंग–कैंटन और शंघाई मार्ग पर चलायेगी। पाकिस्तान सरकार ने अपनी चीन सेवा के सम्बन्ध में भारत के ऊपर से उड़ने की सुविधाओं के बारे में भारत सरकार को अभी तक कुछ नहीं लिखा है ।

कृषि शिक्षा

*७२८. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में कृषि शिक्षा का कोई विस्तृत कार्यक्रम है;

(ख) इस कार्य के लिए कितने विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं ;

(ग) क्या सभी विश्वविद्यालयों के लिये पाठ्यक्रम का समान प्रमाप बनाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार पाठ्यक्रमों का प्रमापीकरण करने का विचार कर रही है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २५७३ / ६४]

पशुधन की उत्पादिता

*७२९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पशुधन की उत्पादिता बढाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): पशुधन का विकास करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेकों विकास योजनायें चला रखी हैं। भारत सरकार ने भी, पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अनेकों पशुधन विकास योजनायें चालू कर रखी हैं जो कि देश में पशुधन की उत्पादिता को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि वे तृतीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में पशु पालन तथा डेरी विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दें। कृषि उत्पादन बोर्ड भी कार्यक्रमों की शीघ्र क्रियान्विति करेगा। चतुर्थ योजना में पलुपालन और डेरी उद्योग पर अधिक ध्यान देने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में विस्तृत कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए कार्यकारी दल स्थापित किये जा चुके हैं।

मालगाड़ी के वैगनों का पटरी से उतर जाना

*७३०. **श्री कपूर सिंह :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ९ मार्च, १९६४ को दक्षिण रेलवे पर ओलुर तथा त्रिचूर स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के कई वैगन पटरी से उतर गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ; ओलुर स्टेशन की सीमाओं के अन्दर ही बैगन पटरी से उतर गये थे।

(ख) रेलवे अधिकारियों की एक समिति ने इस दुर्घटना की जांच की थी जिनके अनुसार दुर्घटना इंजन के टेंडर के ब्रेक हैंगर के गिर जाने के कारण जोडों में दरार आ जाने और जोड़ स्ट्रैचर बार के साथ टकराने और उसके झुक जाने के कारण हुई थी।

बर्मा से चावल का आयात

*७३१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने १,५०,००० टन बर्मा का चावल खरीदने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य शर्तें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) :(क) जी, हां।

(ख) यह चावल पूरी तरह उबला हुआ नगासीन किस्म का है। नौ-भरण सितम्बर, १९६४ के अन्त तक पूरे हो जाने हैं और मूल्य पाउण्ड स्टार्लिंग में दिया जायेगा।

Fire in Railway Carriage Store

*732. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to State:

(a) whether it is a fact that damage to the extent of lakhs of rupees has been caused due to a fire in the Railway Carriage Store, Lucknow on the 11th March, 1964 ; and

(b) if so, the cause of the fire ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) The incident occurred on 10-3-1964 and not on 11-3-1964 Thirteen condemned coaches and one wagon were involved. The approximate loss is estimated at Rs. 7000/- only.

(b) The police who made spot enquiries have concluded that the fire was due to a cigarette or bidi end negligently thrown in the condemned coaches in wagon yard.

दिल्ली दुग्ध योजना

*७३३. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना को प्रस्तावित नगर परिषद् (मेट्रोपोलिटन काउंसिल) अथवा अन्य स्थानीय निकायों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या संबंधित कर्मचारियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

कुलू में भेड़ प्रजनन फार्म

१४१५. श्री हेम राज : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुलू में भेड़ प्रजनन फार्म स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है। और इस योजना पर कुल कितना रुपया व्यय होना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कुलू में भेड़ प्रजनन अनुसन्धान उप-केन्द्र स्थापित करने का कार्य १९६३–६४ में ही प्रारम्भ किया गया था ।

पंजाब सरकार उपकेन्द्र की स्थापना के लिए १५०० एकड़ भूमि देने के लिए राजी हो गई है, जिसमें से लगभग ३० एकड़ भूमि ले ली गई है और उसे साफ तथा विकसित किया जा रहा है। कम से कम आवश्यक कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये हैं। भवनों के निर्माण के लिए योजनायें और नकशे तैयार किये जा रहे हैं। चारा और दाना की फसलों को प्रयोगात्मक आधार पर बो दिया गया है। भेड़ों के हाते और बाड़ों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। ७० भेडों का एक झुंड न्यूजीलैंड से मंगा लिया गया है।

(ख) ७ लाख रुपये की कुल लागत में से अब तक लगभग ३०,००० रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

रेलवे इंजन

१४१६. श्री हेम राज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने डीजल और विद्युत् रेलवे इंजन हैं ;

(ख) प्रत्येक जोन में अलग अलग वे कितने कितने हैं; और

(ग) ये रेलवे इंजन बड़ी लाइन, छोटी लाइन और मीटर लाइन पर कितने कितने हैं ?

रेलवेमंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग) ३१ जनवरी, १९६४ को निम्नलिखित स्थिति थी :—

रेलवे	बड़ी लाइन			मीटर लाइन			छोटी लाइन	कुल योग	
	डीजल मेन लाइन	डीजल शंटिंग	बिजली वाले मेन लाइन	डीजल	डीजल शंटिंग	बिजली वाले	आम प्रयोजन वाले	डीजल	विद्युत
केन्द्रीय	७०	२२	१०२	—	—	—	३	९५	१०२
पूर्व	८१	३	६६	—	—	—	—	८४	६६
उत्तर	७२	१५	—	—	—	—	५	९२	—
उत्तर-पूर्व सीमान्त	—	—	—	५८	—	—	—	५८	—
दक्षिण	१७	—	—	—	—	४	—	१७	४
दक्षिण-पूर्व	८५	—	६९	—	—	—	—	८५	६९
पश्चिम	—	१३	—	२२	७	—	—	४२	—
	३२५	५३	२३७	८०	७	४	८	४७३	२४१

उड़ीसा में सड़कें और पुल

१४१७ **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में सड़कों और पुलों का निर्माण करने के लिये १९६३–६४ में उड़ीसा को कितना रुपया दिया गया है,

(ख) १९६३–६४ में स्वीकृत धन राशि का किस ढग में उपयोग किया गया था ; और

(ग) उक्त प्रयोजन के लिए १९६४–६५ में इस राज्य को कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री(श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है :—

	१९६३–६४ में उड़ीसा सरकार को दी गई अथवा दिये जाने के लिये प्रस्तावित धनराशि	१९६४–६५ में उड़ीसा सरकार को दी जाने वाली सम्भावित धनराशि
	लाख रुपयों में	लाख रुपयों में
राष्ट्रीय राजपथ . .	३२५.६४	३१६.३०
केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित योजनायें . .	१३.२८	१५.००
अन्तर्राज्यिक अथवा आर्थिक महत्व की राजकीय सड़कें .	६.७१	५.००
	३४५.६३	३३६.३०

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई विशिष्ट सड़क तथा पुल परियोजनाओं के निर्माण कार्य में धन राशियों का उपयोग किया गया है और किया जायेगा ।

उड़ीसा में सामुदायिक विकास खण्ड

१४१८. **श्री राम चन्द्र उलाका : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास खण्डों के लिये १९६३–६४ में अब तक उड़ीसा सरकार को कितना रुपया दिया गया है ; और

(ख) इस प्रयोजन के १९६४–६५ के दौरान उड़ीसा को कितना रुपया देने का प्रस्ताव है !

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(लाख रुपयों में)

	ऋण	अनुदान	कुल योग
(क) १९६३–६४	८९.५०	१३४.६७	२२४.१७
(ख) १९६४–६५ (दिये जाने के लिये प्रस्तावित)	११७.१२	१७६.५७	२९३.६९ (अस्थायी)

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ

१४१९. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को उड़ीसा में कुल कितने मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ थे ;

(ख) उन राजपथों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या अन्य सड़कों को इस योजना में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ८५२·५ मील।

(ख) उड़ीसा के राष्ट्रीय राजपथों के नाम और उनकी अलग अलग मीलों में लम्बाई निम्नलिखित तालिका में दी हुई है :—

राष्ट्रीय राजपथ संख्या	राष्ट्रीय राजपथ का नाम	मीलों में लम्बाई
५	कलकत्ता-कटक-विशाखापटनम-मद्रास	३०५
६	धुलिया-नागपुर-सम्बलपुर-कलकत्ता	२८९.५
४२	सम्बलपुर-कटक	१६३
४३	रामपुर-विजियानगरम	९५
		८५२.५

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में टेलीफोन और टलीफोन एक्सचेंज

१४२०. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को उड़ीसा में कुल कितने टेलीफोन और टेलीफोन एक्सचेन्ज थे ;

(ख) क्या १९६४–६५ में इनकी संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क)

कुल एक्सचेन्ज	३९
कुल टेलीफोन	७२७८

(ख) जी, हां ।

(ग) निम्नलिखित मुख्य एक्सचेन्जों और अन्य छोटे छोटे एक्सचेन्जों का प्रसार करके और ८ नये एक्सचेन्ज भी खोल कर टेलीफोनों की संख्या में लगभग ९०० की वृद्धि करने का प्रस्ताव है :—

(१) सम्बलपुर एक्सचेन्ज : ४०० लाइनों से ७२० लाइनें करने का ।

(२) बरहामपुर एक्सचेन्ज : ४०० लाइनों से ७२० लाइनें करने का ।

(३) भुवनेश्वर एक्सचेन्ज : ८०० लाइनों से १०८० लाइनें करने का ।

निम्नलिखित स्थानों पर नये एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है :—

१. वीरभिजपुर
२. बृजराजनगर
३. चांदबली
४. कान्तनबन्जी
५. नयागढ़
६. परादीप
७. राजनगर
८ सोरो ।

उड़ीसा में डाकखानों को वर्गोन्नत करना

१४२१. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६४–६५ के दौरान उड़ीसा राज्य में कुछ उप-डाकखानों को मुख्य डाकखानों के रूप में और शाखा डाकखानों को उप-डाकखानों के रूप में परिणत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, नहीं ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २५७६/६४]

बदागरा में प्रकाशस्तम्भ

१४२२. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बदागरा में एक पोतघाट और एक प्रकाशस्तम्भ का निर्माण करने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या उक्त कार्यों के डिजाइन और अनुमान तैयार कर लिये गये हैं ; और

(ग) कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) बड़े पत्तनों के अतिरिक्त अन्य पत्तनों के विकास की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। केरल सरकार ने बदागरा के पोतघाट की योजना और डिजाइन को अन्तिम रूप दे दिया है और इस कार्य के लिये ८ लाख ६९ हजार रुपये के प्राक्कलन को भी मंजूरी दे दी है। तथापि, प्रकाशस्तम्भ की योजना और डिजाइन को अभी तक राज्य सरकार द्वारा अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Loco Shed near Sultanpur Station

1423. Shri Rananjai Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) when the loco shed near Sultanpur Station in Uttar Pradesh was constructed ;

(b) the amount spent on its construction ;

(c) whether it is being shifted from there ;

(d) if so, the proposed site thereof and the reasons for its shifting ; and

(e) the purpose for which the present buildings would be utilised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) 31st March, 1961.

(b) About Rs. 11,50,000/-.

(c) to (e). At present there is no porposal to shift the loco shed from Sultanpur. Due to the introduction of diesel traction for all through goods services between Moghalsarai and Saharanpur, the steam loco holdings of the entire Lucknow Division including that of Sultanpur are expected to be reduced considerably. This reduction in steam loco holdings in Sultanpur shed will release some covered accommodation for other use. The possibility of utilsing the accommodation thus released as a heavy repair depot for carriages and wagons is under examination.

Notice Boards and Sign-boards on Stations

1424. Shri Rananjai Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a few years back the Railway Administrations were issued instructions that the notice boards and sign-boards normally displayed on stations should be written in Hindi, English and regional languages ;

(b) whether it is a fact that a large number of stations on Southern Railway do not yet have sign-boards in Hindi ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

Name plates of Railway Officers

1425. Shri Rananjai Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway Administrations were issued instructions that name plates of all offices should be written in Hindi ;

(b) if so, whether it is a fact that headquarters situated at Gorakhpur, Church Gate, Bombay V.T. of the North-Eastern Western, and Central Railways respectively have name plates written in English alone ; and

(c) if so, the reasons for not complying with the above instructions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) Instructions are that, in future whenever sign-boards, notices etc. other than station name-boards, displayed at Railway premises and in carriages, are repainted or new sign-boards etc. provided, they should be indicated in Hindi in Devnagari script, English and the regional language.

(b) and (c) Information is being collected and will be laid down on the table of the Sabha.

डाक और रेलवे डाक सेवा का रिहायशी प्रशिक्षण केन्द्र

१४२६. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी प्रदेश के लिये एक डाक तथा रेलवे डाक सेवा रिहायशी प्रशिक्षण केन्द्र को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब और कहां स्थापित किया जायेगा ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां।

(ख) ज्यों ही डाक और तार विभाग को किसी केन्द्रीय स्थान पर एक उपयुक्त भवन उपलब्ध हो जायेगा।

क्षय रोगी

१४२७. **श्री पोट्टेकोट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के डाक और तार कर्मचारियों में क्षय रोगियों की संख्या कितनी है तथा कितने कर्मचारियों को उपचार कराने के लिये राज्य से बाहर भेजा गया है ; और

(ख) केरल के अस्पतालों में क्षयरोगियों के पलंगों को आरक्षित (रिजर्व) कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) १९६२–६३ में ११ ; १९६३–६४ में ८ ; सभी के सभी उपचार के लिये केरल से बाहर भेजे गये थे।

(ख) क्षय रोग से पीड़ित डाक और तार विभाग के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिये केरल में तथा अन्य स्थानों पर पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

खंड मुख्यालयों में तार सुविधायें

१४२८. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंड मुख्यालयों और पुलिस स्टेशनों वाले अन्य स्थानों पर तार की सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ;

(ख) केरल में ऐसे उन स्थानों की संख्या और नाम क्या हैं जिनमें अभी तक तार सुविधाओं की व्यवस्था की जानी हैं ; और

(ग) १९६४–६५ में कितने स्थानों पर तार सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण में जानकारी दी हुई है।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २५७४/६४]

केरल में टेलीफोन सुविधायें

१४२९. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में २०,००० की जनसंख्या वाले अल्प-विकसित क्षेत्रों में टेलीफोन प्रसार की व्यवस्था करने वाली योजना किस सीमा तक क्रियान्वित की गई है ;

(ख) क्या इस योजना के अधीन अधिक दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोन-घरों की व्यवस्था उस दशा में भी की जायेगी जब कि उनसे सम्बन्धित प्रस्ताव अर्थदृष्टि से लाभदायक न माने जाते थे;

(ग) केरल राज्य में ऐसे नगरों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जहां कि अभी तक टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है; और

(घ) १९६४–६५ के दौरान कितने स्थानों पर टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) से (ग) केरल में २०,००० से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों में टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था की हुई है।

(घ) १९६४–६५ के दौरान लगभग ३४ स्थानों पर अधिक दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोन-घरों की व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है बशर्ते कि इस कार्य के लिये सामग्री उपलब्ध हो।

मल्टी-लिंक आपरेटर डायलिंग सिस्टम

१४३०. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिणी प्रदेश में इस समय परिवहन (ट्रांजिट) कालों में होने वाले विलम्बों के मामलों को होने से रोकने के लिये अनेक टेलीफोन मार्गों पर मल्टी-लिंग आपरेटर डायलिंग सिस्टम का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो किन केन्द्रों को इस प्रणाली से लिंक किये जाने की संभावना है?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) जी, हां।

(ख) दक्षिणी प्रदेश में मद्रास, कोयम्बटूर, कोट्टायम और बंगलौर मल्टी-लिंक आपरेटर डायलिंग (म्लौड) केन्द्र माने जाते हैं।

म्लौड प्रणाली मद्रास और कोयम्बटूर में निम्नलिखित टेलीफोन मार्गों पर कार्य कर रही है:—

मद्रास—बंगलौर
कोयम्बटूर—कोजी कोडे
कोयम्बटूर—उटकमंड
कोयम्बटूर—मदुराई
कोयम्बटूर—सलेम
कोट्टायम—क्विलोन
कोट्टायम—इरनाकुलम

निम्नलिखित टेलीफोन मार्गों पर बहुत शीघ्र ही मल्टी लिंक आपरेटर डायलिंग प्रणाली चालू हो जायेगी :

मद्रास—कलकत्ता

कोयम्बटूर—कोट्टयामन

कोट्टायम—अलेप्पी और

कोट्टायम—त्रिवेन्द्रम

ज्यों ही पर्याप्त संख्या में सरकिट्स उपलब्ध हो जायेंगे त्यों ही निम्नलिखित टेलीफोन मार्गों पर म्लौड प्रणाली चालू कर दी जायेगी।

बँगलौर—बम्बई

बँगलौर—कोयम्बटूर

बँगलौर—मैसूर

बँगलौर—सिकन्दराबाद

बँगलौर—हुबली।

डकोटा विमानों की बिक्री

१४३१. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अपने डकोटा विमान बेचना चाहता है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : इंण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को ३ कैरेवेल जेट विमान मिलने से इसके पास ७ डकोटा विमान फालतू हो गये हैं। कारपोरेशन की एक और कैरेवेल विमान लेने की योजना है जबकि और भी डकोटा विमान फालतू हो जायेंगे। जो भी हो, कारपोरेशन की योजना सारे डकोटा विमानों के स्थान पर एवरो—७४८ जैसे टर्बोप्रोप विमान लगाने की है।

अनिवार्य अनाज शुल्क योजनाएं

१४३२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने एक अनिवार्य अनाज शुल्क योजनाऐं लागू करने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) चावल अथवा धान पर अथवा दोनों पर शुल्क योजनाऐं पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में चल रही हैं।

खाद्यान्न जांच समिति

१४३३. श्री यशपाल सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न जांच समिति के प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों को सभी राज्यों ने पूरी पूरी क्रियान्विति की है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्रियान्वन का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग) खाद्यान्न जांच समिति ने खाद्यान्न के उत्पादन, खाद्यान्न के वितरण और विशेषतः पूर्वी उत्तर प्रदेश के कमी वाले क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में अनेक सिफारिशें की हैं। अधिकांश सिफारिशें सरकार की स्वीकृत नीति के अनुरूप हैं और वे पहले से ही क्रियान्वित हैं। बाकी सिफारिशों में से, उन सिफारिशों को, जिन पर राज्य सरकारों ने विचार करना है, उनके विचारार्थ और क्रियान्वन के लिये उनको निदेशित किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाकी वर्षों में कार्यक्रम क्रियान्वित करते समय और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बनाने और क्रियान्वित के समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखा गया।

राष्ट्रीय गुलाब उद्यान, नई दिल्ली

१४३४. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री जेवे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय गुलाब उद्यान बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्यान के बनाने पर कितना धन खर्च किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने नई दिल्ली की रोज़ सोसायटी ऑफ इण्डिया को गुलाब उद्यान लगाने के लिये भूमि का एक प्लाट आवंटित किया है। सोसायटी इसका नाम राष्ट्रीय गुलाब उद्यान रखना चाहती है। इस परियोजना को पूरा करने में ४ से ५ वर्ष तक लगेंगे।

(ख) सोसायटी ने इस उद्यान के विकास पर अब तक लगभग ५००० रुपये व्यय किये हैं।

खुरदा डिवीजन में रेलवे डाक सेवा भवन

१४३५. श्री गो० महन्ती : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काफी समय से खुरदा डिवीज़न में कुछ स्टेशनों पर रेलवे डाक सेवा भवन बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या तब से इस मामले में कोई निर्णय किया जा चुका है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे पर खुरदा डिवीजन मे निम्नलिखित रेलवे स्टेशनों पर रेलवे डाक सेवा भवन बनाने के प्रस्ताव प्रत्येक के सामने दिये गये वर्ष से विचाराधीन हैं :

१. पुरी में रेलवे डाक सेवा भवन	१९६२
२. भुवनेश्वर में रेलवे डाक सेवा भवन	१९६०
३. भद्रक में रेलवे डाक सेवा भवन	१९६२
४. खुरदा रोड में रेलवे डाक सेवा रेस्ट हाउस	१९५९

(ख) पुरी, भुवनेश्वर और भद्रक में रेलवे डाक सेवा भवनों के बारे में रेलवे द्वारा भवन-निर्माण कराये जाने के लिये निर्णय किये जा चुके हैं ।

खुरदा रोड में रेलवे डाक सेवा रेस्ट हाउस के बारे में मामला अभी विचाराधीन है ।

उपभोक्ता स्टोर

१४३६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
डा० पू० ना० खां :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह पता है कि नियमित रूप से माल मिलने के अभाव में कई उपभोक्ता स्टोर बंद हो गये हैं;

(ख) क्या नियमित रूप से बढ़िया किस्म के सामान के संभरण को सुनिश्चित करने के लिये कोई सावधानी बरती गयी;

(ग) क्या बहुधा खराब किस्म के माल की शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो किस्म सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) इस मंत्रालय की केन्द्र द्वारा पोषित योजना के अन्तर्गत किसी भी उपभोक्ता सहकारी स्टोर को नियमित रूप से संभरण के अभाव में बन्द नहीं करना पड़ा । तथापि, इस योजना के बाहर के कुछ उपभोक्ता स्टोर नियमित संभरण के अभाव में लगभग बन्द से हैं ।

(ख) जी, हां । केन्द्र द्वारा पोषित योजना के लागू किये जाने के बाद से अच्छी किस्म की अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के नियमित संभरण के लिये निरन्तर कदम उठाये जाते हैं ।

(ग) कुछ राज्यों को खराब किस्म के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं । तथा इनमें से अधिकांश शिकायतें केन्द्र द्वारा पोषित योजना के लागू होने से पहले की अवधि के बारे में हैं । इन मामलों में जांच करने से पता चला कि या तो शिकायतें सच्ची नहीं हैं या उपभोक्ता सहकारी समितियों के काम के सराहना के अभाव पर आधारित हैं ।

(घ) (१) अच्छे किस्म के माल का सीधे निर्माताओं से संभरण की व्यवस्था करना और सहकारी संगठनों के जरिये सामान का आयात करना;

(२) ठीक प्रकार से भंडार की सुविधाएं देना;

(३) विपणन समितियों और उपभोक्ता सहकारी समितियों के बीच निकट सम्पर्क ताकि असली माल खरीदा जा सके;

(४) स्वयं उपभोक्ता स्टोरों द्वारा प्रोसेसिंग कार्य को प्रोत्साहन देना;

(५) जहां तक हो सके सामान की सफाई और पैकिंग को प्रोत्साहन देना;

(६) उचित प्रक्रम पर राज्य सहकारी विभाग द्वारा पर्याप्त पर्यवेक्षण ।

समुद्री इंजीनियर (मैरीन इंजीयिनर)

१४३७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्री इंजीनियरों (मैरीन इंजीनियर्स) की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इनकी कितनी कमी है; और

(ग) अधिक इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) संचालन की दृष्टि से लगभग १०० समुद्री इंजीनियर (मैरीन इंजीनियर्स) पदाधिकारियों की कमी है ।

(ग) नौवहन समवायों को उपयुक्त उम्मीदवारों को सीधे जूनियर इंजीनियर नियुक्त करने की अनुमति देने के अतिरिक्त समुद्री इंजीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय की परीक्षा पास करने की अवधि ६ महीने पहले कर दी गयी है ताकि प्रशिक्षार्थी भारतीय वाणिज्यिक नौसेना में जूनियर इंजीनियर के रूप में सेवा के रूप में कार्य करने को शीघ्र उपलब्ध हो सकें । दीर्घकालीन उपायों के तौर पर, एक विशेष समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है और इसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे ।

हिन्दी सन्देश

१४३८. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ में टेलीग्राफ सर्किटों के जरिये विभिन्न तार घरों के बीच हिन्दी संदेशों के कितने शब्दों को भेजा गया;

(ख) उपरोक्त अवधि में उपरोक्त संदेशों को भेजने और पाने में कितने जन-घंटे लगे; और

(ग) अंग्रेजी में इतने ही शब्दों पर कितने जन-घंटे लगते हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) वर्ष १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ में क्रमशः लगभग ३,४९९,६६० ३,५३४,९४० और ४,५०८,३४० शब्द भेजे गये ।

(ख) विभिन्न संवाओं पर नियोजित जन-घंटों के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ग) मॉर्स सर्किट पर देवनागरी अथवा रोमन लिपि में तारों के भेजने और पाने में नियोजित जन-घंटों में कोई विशेष अन्तर नहीं है ।

दिल्ली में लगाये गये टेलीफोन

१४३९. श्री महेश्वर नायक : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३ में दिल्ली में कितने नये टेलीफोन लगाये गये;

(ख) वर्ष के आरम्भ में आवेदन-पत्रों की क्या संख्या थी और वर्ष के अन्त में उनकी क्या संख्या है; और

(ग) लोगों की आवश्यकता शीघ्र पूरी करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) (क) ६५२२.

(ख) प्रतीक्षा सूची में आवेदन-कर्ताओं की स्थिति निम्न प्रकार है :

(१) १-१-६३ को ३३,६००

(२) ३१-१२-६३ को ३५,३००

(ग) तीसरी योजना में दिल्ली टेलीफोन सिस्टम की अधिसंठापित क्षमता को ४६,००० लाइनों से बढ़ा कर ७६,९०० सीधी लाइनें कर देने का प्रस्ताव है । टेलीफोनों की संख्या ९०,००० से भी ऊपर हो जायेगी । यह संसाधनों के उपलब्ध होने पर निर्भर है ।

Direct Trunk Dialling with Delhi

1440. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state :

(a) the up-to-date progress made in the establishment of (*i*) direct trunk circuit and (*ii*) subscribers trunk dialling between Delhi and other cities ; and,

(b) the names of cities which have been so connected and which will be connected in 1964 ?

The Deputy Minister in the Department of Posts and Telegraphs (Shri Bhagavati) : (a) Estimates hvave been sanctioned for introduction of subscriber trunk dialling between Delhi-Meerut, Delhi-Jaipur, Delhi-Kanpur, and Delhi-Lucknow and orders for the equipment have been placed.

(b) The scheme is already working between Lucknow-Kanpur and Delhi-Agra. It is proposed to be extended in 1964-65 to the following routes :—

Delhi—Kanpur
Delhi—Lucknow
Delhi—Jaipur
Agra—Kanpur
Agra—Lucknow
Lucknow—Varanasi

Devanagri Teleprinters

1441. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri D. C. Sharma:
Shri R. S. Pandey :

Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state the up-to-date progress made in the manufacture of Devanagri Teleprinters ?

The Deputy Minister in the Department of Posts and Telegraphs (Shri Bhagavati): Preliminary work regarding the manufacture of Devnagari Teleprinters has been taken up by the Hindustan Teleprinters Limited, and their Collaborators, M/S. Ing. C. Olivetti & Co., SPA, of Italy are working on the technical problems involved. It is expected that the Devanagri Teleprinters will be produced by the Hindustan Teleprinters Limited in late 1965.

कृषि प्रशासन समिति

१४४२. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों में कृषि व्यक्तियों के लिये वेतन-स्तर तथा सेवा की शर्तों के बारे में कृषि प्रशासन समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है; और

(ग) सिफारिशों को क्रियान्वित करने में उनकी कठिनाइयां क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). बिहार, केरल, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों के अतिरिक्त सभी राज्यों ने अधिकांश इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया है । जम्मू तथा काश्मीर के बारे में अभी निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं मिली है । बिहार सरकार ने एक वेतन पुनरीक्षण समिति बनायी है जिसका प्रतिवेदन शीघ्र मिलने वाला है । उड़ीसा सरकार ने अंशत: वेतन-स्तरों का पुनरीक्षण किया है और सेवा की शर्तों सम्बन्धी मामले को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ।

राज्य सरकारों ने नालागढ़ समिति की अन्य सिफारिशों के साथ साथ इन सिफारिशों को क्रियान्वित न करने का मुख्य कारण वित्तीय कठिनाई बताया है । इसके लिये केन्द्रीय सरकार वर्ष १९६० में राज्य सरकार को ये सिफारिशें भेजते समय वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में इस पर होने वाले व्यय का पचास प्रतिशत वहन करने को राजी थी । उनको यह भी बता दिया गया था कि वर्ष १९६१-६२ के बाद केन्द्रीय सहायता के बारे में तृतीय वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रख कर विचार किया जायेगा ।

केन्द्रीय सहायता मिलने के बावजूद उपरोक्त राज्यों ने इन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया क्योंकि उन्हें यह आशंका है कि कृषि विभाग में वेतन-स्तर बढ़ाने और सेवा की शर्तें अच्छी बनाने से अन्य विभागों में वेतन स्तर आदि पर प्रभाव पड़ेगा और वर्ष १९६१-६२ के बाद केन्द्रीय वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी ।

यद्यपि, तृतीय वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारें और वित्तीय सहायता के लिये हकदार नहीं लगती हैं, फिर भी इस मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है ।

Railway Stations

1443. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to correct the English spellings of the names of the Railway Stations in India as they are pronounced with some difficulty ;

(b) whether it is a fact that they are written wrongly in Hindi and other Indian languages for the same reason ; and

(c) when the final decision is likely to be taken in this matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) No.

(b) No. The spellings in Devanagari and other regional scripts are obtained from the state Governments.

(c) Does not arise.

कोला घाट में रेलवे पुल

१४४४. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलाघाट में एक द्वितीय रेलवे पुल बनाने के बारे में कोई प्रगति की गयी है; और

(ख) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें०रामस्वामी): (क) एक एब्टमेन्ट और दो पायरों (स्तम्भ) के लिये नींव का काम हो गया है और चार अन्य पायरों की नींव का काम चल रहा है । एक पायर भी पूरा होने वाला है ।

(ख) इस पुल के वर्ष १९६६ के मध्य तक पूरा होने की आशा है ।

कानपुर में ऊपरी पुल

१४४५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में तीन ऊपरी पुल बनाने का कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी धनराशि मंजूर की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय करने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) अभी तक कानपुर की नगर पालिका कानपुर में केवल जुही मार्शलिंग यार्ड पर एक ऊपरी पुल की लागत का अपना अंश वहन करने को सहमत हुई है ।

महापालिका से मुरे लेवल क्रासिंग के स्थान पर एक ऊपरी पुल बनाने का भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इस पुल के लिए नक्शे तैयार किये जा रहे हैं ।

ग्रांड ट्रंक रोड पर एक ऊपरी पुल का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जुही मार्शलिंग यार्ड पर ऊपरी पुल के लिये लागत के रेलवे के भाग के लिये ११,५५,०५८ रुपये मंजूर किये गये हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पर्यटन योजना

१४४६. **श्री हेम राज :** क्या **परिवहन** मंत्री २ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटन के विकास के लिये वृहत योजना (मास्टर प्लान) बनाने के लिये अध्ययन दल ने क्या प्रगति की है ;

(ख) इसने अब तक किन पर्यटन केन्द्रों का दौरा किया ;

(ग) इसका प्रतिवेदन कब तक तैयार हो जायेगा ; और

(घ) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) कार्यकारी दल ने तबसे निम्नलिखित क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ;

(१) कोवालम, (२) गोआ, (३) अजन्ता- एलोरा-औरंगाबाद, (४) खजुराहो और (५) कोणार्क ।

कोवालम और अजन्ता-एलोरा-औरंगाबाद के बारे में कार्यकारी दल के प्रतिवेदन तैयार हैं और उनका केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा परीक्षण किया जा रहा है । गोआ और कोणार्क के बारे में प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे हैं और उनके अगले ३ या ४ महीनों में तैयार हो जाने की आशा है ।

जैसे ही और जब भी सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से इस कार्यकारी दल के प्रतिवेदनों को अन्तिम रुप दिया जायेगा, उनकी प्रत्येक की एक प्रति संसद पुस्तकालय में रखी जायेगी ।

Production of Sugarcane

1447. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating any scheme assuring a minimum production of 30 tons of sugarcane per acre in Northern India (Bihar, U.P. and Punjab) from the next season ; and

(b) if so, the nature of the scheme and the steps taken by Government in this connection?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) : (a) and (b) Yes, Sir. Scheme for Intensive Cultivation of Sugarcane for raising an additional production of 100 maunds per acre has already been drawn and sanctioned for U.P., Bihar and Punjab. Under this scheme cane development activities such as minor irrigation, plant protection and improved seeds, etc. are to be concentrated in a compact block of 4000 acres, on an average, around each sugar factory. The total estimated cost per factory would be about Rs. 1·42 lakhs annually and it would be met on shar-

ing basis *i.e.* 33⅓% each by the Central Government, State Government and beneficiaries.

Milk from U.S.A.

1448. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have requested the U.S. Government to supply more milk powder under the P.L. 480 programme ;

(b) if so, the quantity of milk powder asked for ; and

(c) the reaction of U.S. Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) : (a) to (c) The question of obtaining skim milk powder is under consideration.

पंजाब द्वारा आयातित गुड़

१४४९. श्री दलजीत सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६३ से मार्च, १९६४ तक पंजाब द्वारा विभिन्न राज्यों से रेल और सड़क के रास्ते प्रति मास आयात किये गये गुड़ की क्या मात्रा है ; और

(ख) अप्रैल और मई १९६४ में प्रति मास पंजाब द्वारा कितने गुड़ का आयात किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) भारत के रेल और नदी व्यापार के अनुसार जनवरी से सितम्बर, १९६३ तक के महीनों में पंजाब द्वारा विभिन्न राज्यों से आयात किये गये गुड़ की मात्रा निम्न प्रकार है :—

	(टनों में)
जनवरी, १९६३	५७३
फरवरी, १९६३	१६१
मार्च, १९६३	१४२९
अप्रैल, १९६३	५३९
मई, १९६३	३२
जून, १९६३	२१०
जुलाई, १९६३	१५१
अगस्त, १९६३	१२०
सितम्बर, १९६३	२१८

अक्तूबर, १९६३ से मार्च, १९६४ तक के महीनों के लिये ये आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। पंजाब द्वारा सड़क के रास्ते गुड़ के आयात के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) अप्रैल और मई १९६४ में पंजाब द्वारा आयात किये जाने वाले गुड़ की मात्रा अभी निर्धारित नहीं की गयी है ।

कृषि अनुसंधान परियोजनायें

१४५०. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में चल रही केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ की गयी और धन लगायी गयी कृषि अनुसंधान परियोजनाओं का स्वरूप और संख्या क्या है ; और

(ख) वर्ष १९६३-६४ में इन परियोजनाओं पर कुल कितना धन खर्च किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जम्मू तथा काश्मीर में भारत सरकार द्वारा पूरी तरह धन लगायी एकमात्र अनुसंधान योजना समेकित मक्का फसल योजना है जिसको भारत सरकार ने वर्ष १९६० में मक्का का अधिक उत्पादन करने और रोगों को रोकने की क्षमता का पता लगाने के लिये मंजूर की थी और इसका केन्द्र श्रीनगर है ।

(ख) १-४-१९६३ से ३१-१२-१९६३ तक का वास्तविक व्यय ४२,३३० रुपये है । १-१-१९६४ से ३१-३-१९६४ तक का प्राक्कलित व्यय १४,७७० रुपये है ।

खाद्यान्नों की प्रति एकड़ उपज

१४५१. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्री शं० ना० चतुर्वेदी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में अखिल भारतीय आधार पर निम्नलिखित फसलों की प्रति एकड़ उपज कितनी बढ़ी है :

(१) गेहूं

(२) चावल (धान)

(३) मक्का

(४) रुई ; और

(५) गन्ना ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : १९५७-५८ को अन्त होने वाले पांच वर्षों की तुलना में १९६२-६३ को अन्त होने वाले पांच वर्षों में प्रति एकड़ औसत उपज की वृद्धि की प्रतिशतता नीचे दी जाती है :—

(१) गेंहूं . . .	१२.३
(२) चावल (धान) .	८.६
(३) मक्का	०.६
(४) रुई	६.२
(५) गन्ना (गुड़)	५.७

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर रेलगाड़ियों का पटरी से उतर जाना

१४५२. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३ में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के सिलीगुड़ी-दार्जिलिंग तथा लुमडिंग बदरपुर सैक्शनों पर मालगाड़ी तथा यात्री गाड़ी कितनी बार पटरी से उल्टी ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं :

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख) चार यात्री गाड़ियां और २५ मालगाड़ियां पटरी से उतरी थीं। इनमें से छः मामले रेलवे कर्मचारियों की गलती के कारण तथा बाकी यांत्रिक गड़बड़ी के कारण तथा ११ पटरी की खराबी के कारण खराबी तथा छः दुर्घटना के कारण हुए थे ।

फसलों पर विमान से छिड़काव

१४५३. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने फसलों पर विमान द्वारा छिड़काव करने के लिए हेलीकोप्टरों का आयात करने की सुविधायें मांगी हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे सुविधायें क्या हैं ; और

(ग) उनकी प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) विमान द्वारा छिड़काव करने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार से एक हेलीकाप्टर के आयात करने का अनुरोध मिला है ।

(ग) राज्य सरकार को बताया गया है कि पोलैंड की व्यापार योजना अथवा यू० एस० ए० आई० डी० के अधीन पोलड से यह मंगाया जायेगा। परन्तु राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

'बाक्स' माल-डिब्बे

१४५४. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री ने कोयला उद्योग के प्रतिनिधियों से ६ फरवरी १९६४ को हुई बातचीत में रेलवे को परामर्श दिया था कि डिपो यार्डों में 'वे ब्रिज' लगाने में शीघ्रता करें और कोयला नियंत्रक के परामर्श से 'बाक्स' माल डिब्बों में भार लाइन को बदल दें ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं ।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री ने ६ फरवरी, १९६४ को कोयला उद्योग संयुक्त कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई थी जिसमें यह निर्णय किया गया था कि 'वे ब्रिज' लगाये जाने तक कोयला नियंत्रक कोयला बोर्ड के लिए 'बाक्स' माल-डिब्बों में समानता के अनुसार कोयले का लदान करने की व्यवस्था करेगा जिससे बाक्स माल डिब्बे की ऊंचाई के अनुसार लदान लाइन को कोयले की खानें कम या अधिक कर सकें। इस निर्णय को कोयला नियंत्रक तथा कोयला बोर्ड क्रियान्वित कर रहे हैं ।

मध्य पूर्व से कच्चा तेल

१४५५. { **श्री व० ब० गांधी :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मैसर्स फिलिप्स एण्ड डन्कन्स को आश्वासन दिया है कि कोचीन तेल शोधक कारखाने के लिये भारत को मध्य पूर्व से कच्चा तेल लाने का एकाधिकार उनको दिया जायेगा ;

(ख) क्या सरकार मैसर्स फिलिप्स एण्ड डन्कन्स को नौवहन समवाय बनाने के लिए दीर्घ-कालीन अथवा अल्पकालीन कर्जा देने का विचार कर रही है जबकि उनकी शर्तें अन्य शिपिंग कम्पनियों से तुलना में बहुत अधिक हों; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) कोचीन तेल-शोधक कारखाने के करार की शर्तों के अनुसार मैसर्स फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी अमरीका उत्तम शर्तों पर कच्चा तेल खरीदने की व्यवस्था करने के लिए कोचीन तेल-शोधक कारखाने के लिए एजेन्ट का काम करेगी। कम्पनी मध्य पूर्व से भारत को कच्चा तेल भेजने में अपने टैंकरों का इस्तेमाल करना चाहती है परन्तु सरकार ने भारत के झंडे वाले जहाजों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया और यह स्वीकार किया गया कि मैसर्स फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी वार्णक नौवहन अधिनियम, १९५८ के उपबंधों के अनुसार एक नई इण्डियन शिपिंग कम्पनी बनाये जिसके टैंकर कोचीन तेल-शोधक कारखाने के लिये किराये पर लिये जायें। सरकार ने कहा है कि भाड़ा दरें प्रतियोगी होनी चाहिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Supply of fertilisers to U.P.

1456. { **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Braj Bihari Mehrotra :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of fertilisers supplied to U.P. during 1960, 1961, 1962 and 1963 and the quantity consumed there and also the quantity smuggled out of the State ; and

(b) the measures adopted to prevent smuggling of fertilizers from U.P. ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). A statement showing the quantity of fertilisers supplied to U.P. by the Central Fertiliser Pool during the financial years 1959-60, 1960-61,1961-62, and 1962-63 and the quantity consumed during the period is appended.

Inter-State movement of nitrogenous fertilisers except with a permit from competent authority was prohibited w.e.f. 1-1-61 under Fertiliser (Movement Control) Order, 1960. No case of illegal export of fertilisers from U.P. to other States has come to notice since then. As Inter-State movement was not illegal prior to 1-1-61 question of smuggling fertilisers prior to this date does not arise. [*Placed in the Library. Please see No. L.T.—2575/64*]

लक्ष्मीकान्तपुर जाने वाली स्थानीय गाड़ी का पटरी से उतर जाना

१४५७. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ फरवरी, १९६४ को कलकत्ता से लगभग छः मील पर धाकुरिया स्टेशन के निकट पूर्व रेलवे की लक्ष्मीकान्तपुर जाने वाली स्थानीय गाड़ी की तीसरे दर्जे के दो डिब्बे पटरी से उतर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इनके पटरी से उतरने के क्या कारण थे ; और

(ग) इस दुर्घटना के कारण कितनी जनधन की हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां। गाड़ी लक्ष्मीकान्तपुर से आ रही थी और सियालदाह जा रही थी ।

(ख) रेलवे सुरक्षा, कलकत्ता के अतिरिक्त आयुक्त दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं ।

(ग) दुर्घटना के कारण सात व्यक्ति घायल हो गये थे जिनमें से २ के गहरी चोटें आई थी ।

रेलवे सम्पत्ति को अनुमानतः ५,१०० रुपये की हानि हुई थी ।

बीज परीक्षण के लिए प्रशिक्षण

१४५८. **श्री राम हरख यादव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीज सुधारने तथा उनके परीक्षण के लिये दिल्ली में शीघ्र ही कोई विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का ब्यौरा क्या है और प्रशिक्षण केन्द्र में कितने प्रशिक्षार्थी हैं ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां । पाठ्यक्रम २४ फरवरी, १९६४ को चालू किया गया था और छः सप्ताह का है ।

(ख) पाठ्यक्रम में १७ प्रशिक्षार्थी हैं । यह बीज परीक्षण तथा प्रभारीकरण तरीके में प्रशिक्षित हो रहे हैं ।

Road-signs

1459. **Shri Mohan Swarup :**
Shri Kachhavaiya :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state the steps taken or being taken to inscribe road-signs in Hindi along with English on the National Highways ?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur) : A statement is attached. [*Placed in the Library. Please see No. L.T.—2576/64.*]

Use of Hindi in Delhi Transport Authority Office

1460. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Yogendra Jha :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) the extent to which the use of Hindi has been introduced in the Delhi Transport Authority Office for transaction of official bursiness ; and

(b) the arrangements being made to increase the use of Hindi in the rest of the work ?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Hindi is being used in the office of the Delhi Transport Authority to the following extent :—

(*i*) Name plates and sign boards have been written both in Hindi and English.

(*ii*) Complaint box and the box kept for receiving temporary permit applications indicate details both in Hindi and English.

(*iii*) Flags in office files are generally written in Hindi.

(*iv*) Attendance Register of officials has been maintained in Hindi.

(*v*) In some of the files notes are recorded in Hindi.

(*vi*) Forms for tax tokens are both in Hindi and English and a person has an option to fill them either in Hindi or in English.

(*vii*) The officials have been requested to send their leave applications in Hindi.

(b) Further progress in the use of Hindi is mostly dependent on the availability of Hindi knowing staff and also on the capability of the existing staff to pick up working knowledge of Hindi.

असैनिक उड्डयन विकास निधि

१४६१. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक उड्डयन विकास निधि के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ;

(ख) केन्द्रीय अनुदान के अतिरिक्त इसके अन्य साधन क्या होंगे ; और

(ग) यह निधि किन कार्यों पर व्यय होगी।

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (ग). १९६४–६५ के लिए परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के पृष्ठ १५९–६० पर तथा उससे संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ठ २७ पर असैनिक उड्डयन विकास निधि के ब्लाक ग्रान्ट के लिए स्थानान्तरण के लिए ८८ उड्डयन की मांग के अधीन उपबन्ध करने का निर्देश दिया गया है जिसमें असैनिक उड्डयन विकास निधि के उद्देश्य तथा क्षेत्र का स्पष्टीकरण किया गया है ।

Production of Jowar

1462. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to increase the production of jowar in the country during the Third Plan period ;

(b) whether as a result of those measures production of jowar has shown some increase during the first three years of the Third Plan ; and

(c) if so, to what extent ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Steps to increase production of jowar in the country formed a part of the overall programme of increasing food production during the Third Plan through various means such as, increasing irrigation facilities, raising the consumption of chemical fertilisers and organic manures, intensive use of improved seeds and plant protection measures etc.

In addition, the State Governments have been requested to pay special attention to the cultivation of jowar in 40 selected districts. The following measures have specially been suggested for increasing production of jowar in these districts :—

1. Use of improved varieties including hybrids wherever available.
2. Dressing the seed with sulphur.
3. Application of nitrogenous fertiliser at the rate of 15 lbs. nitrogen per acre.
4. Eradication of the parasite *stringa.*
5. Spraying or dusting of crops against pests and diseases.

(b) and (c) The production of jowar in the country during the first two years of the Third Plan is as under :—

	Million Tons
1961-62	7.6
1962-63	9.2

Estimates of production during 1963-64 are not yet available.

राजस्थान में खाद्यान्नों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना, लेजाना

१४६३. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राजस्थान में कितना तथा किस प्रकार का खाद्यान्न लाया गया तथा राजस्थान से कितना तथा किस प्रकार का खाद्यान्न बाहर ले जाया गया ; और

(ख) लाने ले जाने को नवीकरण करने के लिए यदि कोई प्रयत्न किए गए हैं तो क्या ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) क्योंकि चावल और धान के अतिरिक्त और किसी खाद्यान्न के लाने ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है इसलिये जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) चावल और गेहूं जैसे महत्वपूर्ण खाद्यान्नों के मामले में उपयुक्त खाद्य बनाकर लाने ले जाने को कम करने के कदम उठाये गये हैं ।

गेहूं का उत्पादन बढ़ाने की तकनीक

१४६४. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं का उत्पादन दुगना करने के लिये नसीरपुर फार्म (पंजाब) में कोई तकनीकी बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) यद्यपि इस फार्म में कोई नई तकनीक नहीं बनाई गई है परन्तु उर्वरक की पर्याप्त खपत के कारण इस कार्य में उत्पादन दुगना हो गया है।

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति रेलवे कर्मचारी संस्था

१४६५. **श्री पा० ना० बारुपाल:**
श्रीमती गंगा देवी:
श्री साधू राम:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति रेलवे कर्मचारी संस्था ने मान्यता देने को सरकार के पास आवेदन पत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी हां।

(ख) सरकार की नीति यह है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा जाति अथवा धर्म के आधार पर बनाई गई संस्था अथवा संघ को हतोत्साहित करें। इसी आधार पर इस संस्था को मान्यता नहीं दी गई है।

Janata Trains

1466. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he had made any announcement to increase the number of Janata trains ;

(b) if so, when they will be introduced ; and

(c) the routes on which they will be introduced ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) to (c). There has been no announcement in regard to the introduction of any specific new Janata Expresses but the Railways Minister stated in the Lok Sabha on 26-2-64 while replying to the debate that he would like if possible to introduce more of Janata trains and that he would be going into all this. Action will be taken after examination and in due course.

Delhi Zoological Park

1467. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the arrangements made for the treatment of birds in the Delhi Zoological Park ;

(b) whether any hospital has been opened for the purpose ; and

(c) if so, the location thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr Ram Subhag Singh): (a) and (b). A hospital and quarantine station has been constructed inside the Park and necessary medicines and surgical appliances have been provided therein for the treatment of birds. A whole time Veterinary Officer has been appointed for the purpose.

(c) The hospital is located in the southern parts of the park.

केन्द्रीय सड़क निधि

१४६८. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सरकार को राज्य की सड़क विकास योजनाओं के लिए १९६३–६४ में केन्द्रीय सड़क निधि से कितनी धनराशि दी गई है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : राजस्थान सरकार को राज्य की सड़क विकास योजनाओं के लिए १९६३–६४ में केन्द्रीय सड़क निधि में से निम्न राशि दी गई है ?

	लाखों में रुपये
(१) आवंटित कार्य	१०.००
(२) साधारण रिजर्व कार्य	४.७१
(३) विशेष रिजर्व कार्य	०.०४
	१४.७५

रेलवे दुर्घटनायें

१४६९. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९६३ में **खण्डवार** कितनी रेलवे दुर्घटनायें ऐसी हुईं जिनमें धन जन की हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :

खण्ड	दुर्घटनाओं की संख्या
पूर्व	२
उत्तर	१
पूर्वोत्तर सीमा	२
दक्षिण पूर्व	१

दक्षिण पूर्व रेलवे कारखाने में चोरी के मामले

१४७०. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६३–६४ में दक्षिण पूर्व रेलवे कारखानों में चोरी के कितने मामले पकड़े गये ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : ६८ ।

वरिमगाम से कांडला तक बड़ी लाइन

१४७२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिमगाम से कांडला तक बड़ी लाइन बनाने के लिये कौन सा मार्ग अपनाया जायेगा इस बारे में सरकार ने निर्णय कर लिया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कौन सा मार्ग अपनाया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). झुंड-कांडला बड़ी लाइन के लिये रेखांकन के बारे में अभी कोई निर्णय नही लिया गया है ।

पर्यटक

१४७३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३ में पर्यटकों की संख्या और उनसे होने वाली आय घट गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए क्या कदम उठाये जाने वाले हैं ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १९६३ में, १,४०,८२१ पर्यटक भारत आये । यह संख्या १९६२ की संख्या से ४.८ प्रतिशत अधिक है । १९६३ में पर्यटक से प्राप्त विदेशी मुद्रा के अनुमान अभी भारत के रिजर्व बैंक से प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो कदम उठाये जाने वाले हैं उनमें से कुछ ये हैं :—

(१) अगले वित्तीय वर्ष में टोकियो में और शिकागो में एक-एक पर्यटक कार्यालय खोला जायगा ।

(२) भारत में प्रमुख हवाई अड्डों पर इमारतों में सुधार करने के लिए कदम उठाये जायेंगे और नयी इमारतें बनाने में विशेष योग्यता प्राप्त वस्तु-विशारदों और परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त की जायेंगी ।

(३) पर्यटकों से संबंधित सीमा शुल्क और आयात-निर्यात विनियमों तथा अप्रवास नियमों में कुछ रियायतों की पहले ही घोषणा की जा चुकी है । कुछ सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं और नियमों को और अधिक सरल करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

(४) विशेषकर विदेशी पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों का एक एअर कस्टम्स पूल बनाने का निश्चय किया गया है । विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता न केवल हवाई अड्डों पर है बल्कि प्रमुख बन्दरगाहों और चुंगी केन्द्रों पर भी है । आप्रवास कर्मचारियो की एक केन्द्रीय पदावलि बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

(५) पर्यटकों को यहां आने पर तुरन्त अखिल भारतीय शराब परमिट मिल सके इसके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है । पर्यटकों को सूखे दिनों में शराब की बिक्री और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में होटलों में भोजन के साथ साथ शराब लेने के लिए अलग कमरे देने के प्रश्न पर तब विचार किया जायगा जब योजना आयोग द्वारा नियुक्त मद्यनिषेध संबंधी अध्ययन दल की रिपोर्ट पर सरकार को विचार करने का अवसर मिलेगा ।

(६) प्रेक्षणीय स्थलों को देखने के लिए मोटर गाड़ियों संबंधी पर्यटकों की आवश्यकतायें कुछ स्टैन्डर्ड मेक की एक साल पुरानी गाड़ियां विदेशों से मंगाकर पूरी की जायेंगी ।

(७) पर्यटक सेवाओं के लिए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को सहायता देने के लिए एक विशेष निधि बनायी जा रही है जिसमें १ करोड़ रुपये का प्रारंभिक अनुदान दिया जायगा और वह हर साल बढ़ाया जायगा लेकिन वह इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा खरीदे गये तेल और ईंधन पर इकट्ठा किये गये उत्पादन शुल्क से अधिक नहीं होगा । अधिकतर आई० ए० सी० स्टेशनों को टेलीप्रिन्टर लाइनों से जोड़ने के लिए कदम उठाने का भी निश्चय किया गया है ।

(८) कुछ पर्यटक क्षेत्रों के विकास के लिए बृहत आयोजनाएं तैयार की जा चुकी हैं । अन्य पर्यटक क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए इसी तरह की योजनाएं तैयार की जायेंगी ।

काली मिर्च की खेती

१४७४. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली मिर्च की खेती मे सुधार करने के लिए काली मिर्च बोर्ड बनाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां तो वह बोर्ड कब स्थापित होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

रेलवे में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

१४७५. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे मे वर्ग ४ और वर्ग ३ की निचली श्रेणियों में अनुसूचित जातियों के कितने पदाधिकारी नियुक्त हैं ; और

(ख) क्या सरकार पदोन्नति के लिए उन पर विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जानकारी कट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) निम्न श्रेणियों के कर्मचारी ऊंची श्रेणियों में पदोन्नति के अधिकारी होते हैं । पदोन्नति के लिए उन पर विचार करते समय उनकी शैक्षणिक योग्यता पर भी ध्यान दिया जाता है ।

उत्तर रेलवे द्वारा संगठित कार्निवल

१४७६. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ और १६ फरवरी, १९६४ को उत्तर रेलवे ने अपने मुख्य कार्यालय मे एक शानदार कार्निवल संगठित की थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम इकट्ठी हुई और उस पर कितना खर्च हुआ ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) महिला समिति उत्तर रेलवे (रेलवे अधिकारियों की स्त्रियों द्वारा बनायी गयी) ने १५ और १६ फरवरी, १९६४ को उत्तर रेलवे मुख्य कार्यालय में एक शानदार कार्निवल आयोजित की थी ।

(ख)	वसूली . . .	४०,८८३ रुपये
	खर्च . . .	६,५७६ रुपये

खेती के औजार

१४७७. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १७ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिये खेती के औजारों के लिये २५ प्रतिशत राज सहायता के कार्यक्रम के अधीन अब तक सरकार द्वारा दी गई रकम का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) पैकेज प्रोग्राम के अधीन अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर दिसम्बर, १९६३ तक किये गये खर्च का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चावल के उत्पादन के लिये जरूरी औजार खरीदने के लिये दिसम्बर, १९६३ तक किसानों/पंचायतों को दी गई २५ प्रतिशत राज सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) से (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए एल० टी० २५७७/६४]**।

Railway Employees

1478. Shri Rameshwaranand : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a proposal is under consideration to provide free medical aid in Railways hospital to those Railway employees who retired from service in 1957 before the introduction of the pensionery Scheme of retirement benefits ; and

(b) if so, when a decision is likely to be taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ra maswamy) : (a) No.

(b) Does not arise .

हिमालय के निचले क्षेत्रों में जंगल लगाना

१४७९. **श्री इ० मधसूदन राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि का कटाव रोकने के लिये उत्तरी सीमाओं पर हिमालय के निचले क्षेत्रों में जंगल लगाने की योजनाओं पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) वह कब कार्यान्वित की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). नदी घाटी प्रयोजनाओं, पोहरू (जम्मू तथा काश्मीर), भाखड़ा-नंगल (पंजाब और हिमाचल प्रदेश) और रामगंगा (उत्तर प्रदेश), के तटबन्ध क्षेत्रों में भूमि संरक्षण उपायों का एक केन्द्र समर्थित कार्यक्रम जारी है जिस पर तीसरी योजना की अवधि में ३.५५ करोड़ खर्च होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि दीवार बना कर, बांध बना कर, चरागाह के विकास और जंगल आदि लगा कर तटबन्ध क्षेत्रों का संरक्षण किया जाये। इस कार्यक्रम के अधीन तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में २१,७६० एकड़ क्षेत्र में जंगल लगाये गये हैं।

इसके अलावा भी जंगल लगाने का कार्य जिनका उद्देश्य भूमि का कटाव रोकना है, इन राज्यों की योजनाओं के अधीन कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

Railway Circulars

1480. **Shyi T. Ram:**
Shri Besra:
Shri Yogendra Jha:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway Board has issued instructions that all circulars emanating from its office should be issued both in English and Hindi; and

(b) the reasons for not issung all circular in Hindi and the steps being taken by the Railway Board to remove difficulties in the way ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shyi S. V. Ramaswamy) : (a) and (b). Only circulars relating to staff matters and Administrative instructions emanating from the Boards' office are required to be issued both in English and Hindi. The position in this respect is analogous to that of other Ministries and is based on the Government's general policy in the matter.

Proceedings of Advisory Committees

1481. **Shri T. Ram :**
Shri Besra :
Shri Yogendra Jha :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway Board had issued orders to the Railways that the agenda and proceedings of the Regional Railway Users Advisory Committees should be brought out in Hindi along with English :

(b) if so, the Railways that are complying with the above orders ; and

(c) whether the Railway Board is issuing the agenda and proceedings of the National Railways Users Consultative Committee in Hindi and English ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shyi S. V. Ramaswamy) : (a) The Railway Administrations have instructions that in the area where Hindi is spoken or easily understood, the agenda and the minutes of the meetings of the Zonal and Regional Railway Users Consultatives Committees be drawn up and circulated in Hindi as well as in English.

(b) This procedure is being followed by the Western Northern, North Eastern, Northeast Frontier Railways in so far as the meetings of the Zonal Railway Users' Consultative Committees are concerned. So far as the meetings of the Regional/Divisional Railway Users Consultative Committees are concerned, this procedure is being followed on certain Divisions of Western, Central Northern, North Eastern, Northeast Frontier Railways in the Hindi speaking areas.

(c) No.

रेलवे मंत्रालय में समितियां

१४८२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उनके मंत्रालय के अधीन कुल कितनी समितियां और उपसमितियां हैं; और

(ख) उन समितियों के कुल कितने सदस्य हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए एल० टी० २५७८/६४]

टैलिप्रिंटर बनाने का कारखाना

१४८३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में टेलीप्रिंटर बनाने के कारखाने की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) मैसर्स इन्ग० सी० ओलिवेट्टी एण्ड कम्पनी एस० पी० ए० के सहयोग से टेलीप्रिंटर बनाने की परियोजना आरम्भ की गई है । कारखाने के लिये स्थायी भवन बन जाने तक टेलीप्रिंटर का निर्माण अस्थाई भवन में हो रहा है और १५ फरवरी, १९६४ तक १७७४ अंग्रेजी के टेलीप्रिंटर बना लिये गये हैं।

कारखाने के लिये स्थाई भवन पर्याप्त बन गया है और काम काफी बढ़ रहा है । और ट्रीटमेंट और फिनिशिंग दुकानों के लिये भवन बनाया है और विद्युत् जल, भाप वितरण जैसी सेवाओं का काम हो रहा है। मुख्य कारखाना पवन का ढांचा बन रहा है और कम्प्रेस्ड वायु के वितरण का काम भी पूरा हो रहा है ।

(ख) परियोजना के अनुसार नवम्बर, १९६० तथा मई, १९६५ के बीच ३८५० टेलीप्रिंटर बनाने का विचार था। १९६५ में हिन्दी के टेलीप्रिंटर के निर्माण की भी आशा है । कारखाने का उत्पादन बढ़ाने की भी योजना बना ली गई है ।

एयर इंडिया के लिए नया 'बोइंग' विमान

१४८४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया अमरीका से एक नया "बोइंग" विमान खरीद रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें तथा लागत क्या है ;

(ग) इसके कब तक मिल जाने की आशा है ; और

(घ) इसको किन मार्गों पर चलाने का विचार है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महीउद्दीन): (क) केन्द्र सरकार ने ७०७–३१० वी विमान खरीदने के एयर इण्डिया के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जो उनके बेड़े में आठवां होगा ।

(ख) विमान की उनके पुर्जों समेत लागत ४९७.९४ लाख रुपये है । विदेशी मुद्रा का निगम पांच अमरीकी वाणिज्यिक बकों तथा 'बोइंग' विमान कम्पनी से ऋण लेकर पूरा करेगी ।

(ग) विमान 'ऐयर इण्डिया' को अप्रैल/मई, १९६५ में मिल जायेगा ।

(घ) विमान किसी विशेष मार्ग के लिये निश्चित नहीं है, परन्तु निगम की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने के काम आयेगा ।

वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी

१४८५. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में मंत्रालय से बाहर चुने जाने के लिये उनके मंत्रालय के अधीन काम करने वाले वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों के कितने आवेदन-पत्र मिले हैं ;

(ख) ऐसे कितने आवेदन पत्र रोक लिये गये हैं; और

(ग) इसी अवधि में देश से बाहर के पदों के लिये कितने वैज्ञानिक कर्मचारियों को अनुमति दे दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मंगलौर हसन रेलवे लाइन

१४८६. **श्री रा० गि० दुबे :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंगलौर हसन लाईन के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : हसन-मंगलौर परियोजना के भाग के रूप में तथा मंगलौर से पैराम्बूर में सेप पत्तन स्थान तक ब्राडगाज लाईन बनाना आरम्भ कर दिया गया है । इस विभाग में भूमि अर्जन का काम हो रहा है और मिट्टी निकालने पुल तथा छत बनाने के ठेके दे दिये गये हैं और काम हो रहा है । मंगलौर-हसन लाइन के लिये दक्षिण रेलवे द्वारा बनाये गये परियोजना प्रतिवेदन मिल गये हैं और उनकी जांच हो रही है ।

Hungarian equipment for Bridge construction

1487. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Hungary has decided to give equipment for constructing bridges in India ;

(b) if so, the number of bridges for which equipment would be provided, and

(c) the manner in which its price would be paid ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) Yes, Sir, they are supplying 25 numbers of 100 feet and 30 numbers of 150 feet span bridge girders.

(c) Nine.

(c) in non-convertible Indian rupees.

धान की फसल

१४८८. **श्री विश्वनाथ पांडेय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कीड़े तथा रोग मुक्त धान की फसल का उत्पादन करने के लिये राज्यों में अग्रिम योजना लागू करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कीड़े तथा रोग युक्त धान की फसल उगाने की योजना स्वीकार की है ।

(ख) मुख्य बातें बताने वाला एक विवरण सम्बद्ध है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कीड़े तथा रोग मुक्त धान की फसल उगाने की परियोजना की मुख्य बातें निम्न हैं :—

(क) आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में ५००० एकड़ भूमि ले ली गई है ।

(ख) यह कृषि विभाग के सक्रिय सहयोग से चालू किया जायेगा जो अपने विभागीय तथा खण्ड कर्मचारियों तथा कारखाना संयंत्र को योजना चालू करने के लिये उपलब्ध करेगा।

(ग) पौदा संरक्षण निदेशालय कर्मचारियों तथा संयंत्र को उपलब्ध करके इस कार्यक्रम में सहयोग देगा। निदेशालय ये सुविधायें निःशुल्क देगा ।

(घ) स्प्रेयिंग, डस्टिंग तथा अन्य क्षेत्रीय कार्यों के लिये अपेक्षित श्रम की व्यवस्था किसान निःशुल्क करेंगे ।

(ङ) १,३५,८०० रुपये के कीटाणु नाशक भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् देगी। राज्य सरकार का धन इन पर व्यय नहीं होगा।

(च) धान और अन्य खाद्यान्नों सम्बन्धी राज्य सरकारों की सामान्य सघन कृषि योजनाओं के अधीन कृषि विभाग द्वारा किसानों को फसल के लिये उर्वरक दिया जायेगा।

Monthly Railway passes

1489. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 12 single fares are charged for monthly railway passes in Bombay and Calcutta which are 'A' class cities :

(b) whether it is also a fact that 24 single fares are charged in Delhi which is also an 'A' class city ;

(c) if so, the causes of such disparity and whether Government propose to charge 12 single fares in Delhi too ; and

(d) when the decision is likely to be taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) to (c). Historically owing to the special circumstances obtaining subarban services had been first developed at Bombay, Calcutta and Madras. The third class monthly season tickets are charged at special bases. The cost of these third class monthly season tickets, when equated to the present day single journey mail fares and rounded off, work out to 11 to 18 such fares, for different distances upto 30 kilometres. Beyond this distance, the equivalent number of single journey fares worked out to between 9 and 12.

In the case of Delhi and all other cities, the third class monthly season ticket fare is related to the basis of fares as they were in 1948. In terms of the

present day third class single journey mail fares, the monthly season ticket fare worked out to between 17 and 19 up to 30 kilometres, Beyond 30 kilometres, it works out to 18 single journey fares.

There is no proppsal to extend the bases of charges in fares at Calcutta, Bombay and Madras to other cities.

(d) Does not arise.

प्रसंकर मक्का के बीज

१४९०. **श्री शिव मूर्ति स्वामी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसंकर मक्का के बीज का उत्पादन करने के लिये हाल में ही एक निगम का गठन किया गया है ;

(ख) ये बीज किस भाव पर बेचा जा रहा है ;

(ग) क्या यह प्रसंकर ज्वार के बीज का भी उत्पादन कर रहा है ; और

(घ) इसके गठन के बाद प्रत्येक वर्ष पर कितने बीज का संभरण कर देता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी-हां।

(ख) प्रसंकर मक्का के बीज के विक्रय मूल्य १.३५ प्रति किलोग्राम है।

(ग) प्रसंकर ज्वार के बीज का उत्पादन अभी प्रयोग स्थिति में है।

(घ) १-७-१९६३ से निगम काम कर रहा है और हमने अब तक १५,००० मन बीज का संभरण कर दिया है।

Camel Breeding Centre

1491. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Food and Agriulture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a camel breeding centre was started in Bikaner with the grant given by Government and if so, the amount thereof :

(b) whether any research work has been done in that centre and if so, the manner in which people have benefited therefrom :

(c) whether it is also a fact that due to famine conditions, the cattle of the centre have been sent for grazing to such far off places which also have been declared famine stricken by the State Government ; and

(d) if so, whether any research work is being carried out under such circumstances ?

The Minister of state in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) A scheme for the improvement of camels has been sanctioned by the Indian Council of Agricultural Research at Bikaner for a period of five years from 1st September, 1959, the recurring expenditure being shared by the State Government and the Indian Council of Agricultural Research. The Share of the Indian Council of Agricultural Research amounts to Rs. 3,72,080/-.

(b) Yes. This being a breeding scheme it will take time to obtain results which could be passed on to the farmers.

(c) Owing to paucity of fodder, the camels have been sent for grazing to areas where better facilities for feeding are avaliable.

(d) The progress of research has been adversely affected due to famine conditions and attempts are being made to resume it as early as possible.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाये जाने के बारे में

RE: CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अध्यक्ष महोदय : श्री रंगा ने अनुरोध किया है कि श्री गोलवालकर की गिरफ्तारी के संबंध में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाये जाने के बारे में उनके द्वारा दी गई सूचना पर पुनर्विचार किया जाय। इसमें क्या औचित्य हो सकता है ?

श्री रंगा (चित्तूर): कल गृह-कार्य मंत्री ने विभिन्न दलों के नेताओं को बुलाकर उनसे सहयोग मांगा है ताकि वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, जो पाकिस्तान द्वारा मूर्खतापूर्ण तथा घातक नीति अपनाई जाने के परिणामस्वरूप पैदा हो गई है, देश में साम्प्रदायिक शांति बनी रहे। बाद में उन्होंने सभा में दिये गये अपने वक्तव्य में भी देश के सभी दलों से अनुरोध किया है कि वे इस सम्बन्ध में सरकार का हाथ बटायें। श्री गोलवालकर भी एक बहुत महत्वपूर्ण दल के नेता हैं, इसलिये उन्हें भी अन्य दलों के नेताओं की भांति सहयोग प्राप्त करने के हेतु आमंत्रित किया जाना चाहिये था और यदि मंत्री महोदय उनके रवैये से संतुष्ट नहीं हो पाते तो उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सकती थी। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि श्री गोलवालकर को किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया है और क्या इसके पूर्व गृह-कार्य मंत्री और श्री गोलवालकर के बीच कोई विचार विमर्श हुआ था ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर): मैं श्री रंगा द्वारा उठाये गये मामले का विरोध नहीं करती किन्तु यह पहला अवसर है जब कि किसी सदस्य को उसके द्वारा उठाये गये इस प्रकार के लोक महत्व के विषय के समर्थन में बोलने की अनुमति देकर असाधारण प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदा के लिये यह निर्णय किया है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, चाहे वह कोई हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो तथा उसके साथ चाहे हम लोगों की कितनी ही सहानुभूति हो, ध्यान दिलाने वाली सूचना का विषय नहीं बन सकती। तथापि यह निर्णय संसद् सदस्यों पर लागू नहीं होगा। उनके सम्बन्ध में मामले पर पृथक विचार किया जायेगा। इस निर्णय का पालन करने के लिये मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वे भविष्य में ऐसे विषयों में सूचनायें देने का कष्ट न करें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यदि इस सम्बन्ध में एक बार सदा के लिये निर्णय किया जा चुका था तो श्री रंगा को इस मामले पर बोलने की अनुमति क्यों दी गई ?

अध्यक्ष महोदय: मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी इस प्रकार की सूचनायें दी जाती हैं। चूंकि यह सूचना बहुत से माननीय सदस्यों ने दी थी इसलिये मैंने श्री रंगा को बोलने का अवसर दें

दिया। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के निर्णयों का पालन किया जाये। मैंने इस मामले में किसी प्रकार की भेदभाव की नीति नहीं अपनाई है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर): मैं अध्यक्ष महोदय के निर्णय का स्वागत करता हूं। किन्तु इस निर्णय से हम सब की आम धारणा यह बन गई है कि केवल राज्य सरकारों द्वारा ही नहीं, अपितु केन्द्र सरकार द्वारा भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति के बारे में भी ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : चाहे गिरफ्तारी कोई करे, अनमति नहीं दी जायेगी।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : With regard to your ruling, I may submit that personalities should not be the guiding factor in allowing and disallowing a calling attention notice. What is more important is the subject to which attention is drawn.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): जब आपने ध्यान दिलाने वाली सूचना की अनुमति नहीं दी है तो इस मामले को नहीं उठाया जाना चाहिये। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय से मिलकर अपनी संतुष्टि कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय का यह निर्णय सराहनीय है कि यह निर्णय संसद्-सदस्यों पर लागू नहीं होगा। किसी ध्यान दिलाने वाले विषय की सूचना की अनुमति हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या को देख कर नहीं अपितु विषय के महत्व को देख कर दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मेरे स्पष्टीकरण के बावजूद भी इस प्रकार की आलोचना करना उचित नहीं है। मैंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई कार्य नहीं किया है।

Shri Prakash Vir Shastri : (Bijnor) : This case should not be regarded as an individual case. To arrest such an important person under the present circumstances is to aggravate the situation.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): हम जिन सिद्धांतों का आज तक अनुसरण करते आ रहे हैं, भविष्य में हमें उन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिये। अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय अध्यक्ष महोदय को देना चाहिये। यदि सदस्य चाहें तो वे अध्यक्ष महोदय से विचार विमर्श कर सकते हैं। हमें अध्यक्ष महोदय का निर्णय मान्य होना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): यद्यपि अध्यक्ष महोदय का निर्णय शिरोधार्य है, किन्तु मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। किसी ध्यान दिलाने वाले विषय की सूचना लोक महत्व को देख कर ही दी जाती है। किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी, जिसका समाज में महत्वपूर्ण स्थान हो, लोक महत्व का ही विषय है। इसलिये इस सम्बन्ध में अनुमति न देने का कोई औचित्य नहीं है। आपके इस प्रकार के निर्णय से जनता द्वारा इस सभा में भेजे गए प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

किसी भी ध्यान दिलाने वाली सूचना की अनुमति न देने से पूर्व, सूचना देने वाले सदस्य को दी गई सूचना के औचित्य को सभा के सामने साबित करने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT

श्री नाथपाई (राजापुर): मेरा अनुरोध है कि मुझे अपने स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ बोलने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रति दिन बड़ी संख्या में सदस्यों द्वारा इस प्रकार की सूचनायें दी जाती हैं जिनकी अनुमति नहीं दी जाती है। मेरे लिये सब सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के बारे में स्पष्टीकरण देने का अवसर देना संभव नहीं है। इसलिये मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री नाथपाई : मैं सदा आपके निर्णय का पालन करता हूं। किन्तु यह मामला अन्य मामलों से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है इसलिये इस पर सभा में विचार प्रकट करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सम्बन्धित है। वहां विधान सभा या न्यायपालिका द्वारा लिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप कुछ बातें पैदा होंगी इससे कोई नई स्थिति पैदा नहीं हुई है। इसलिये इसे यहां नहीं उठाया जा सकता है। मैं इस सम्बन्ध में कल निर्णय दे चुका हूं, यदि माननीय सदस्य फिर भी संतुष्ट नहीं हैं और अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो वे मेरे पास आकर मुझे मामले का स्पष्टीकरण दें।

श्री फ्रैंक एंथनी (नाम निदेशित—आंग्ल भारतीय): यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जनता में रोष फैला हुआ है। यदि अध्यक्ष महोदय चाहें तो यह विषय नियम ५६ के अन्तर्गत सभा में उठाया जा सकता है। यह मामला न्याय पालिका के दो सदस्यों की गिरफ्तारी का है। इस लिये इस पर चर्चा की जानी चाहिये।

श्री नाथपाई: उत्तर प्रदेश में राज्य विधान सभा ने उच्च न्यायालय के काम में हस्तक्षेप किया है और उसे अपने उत्तरदायित्व निभाने से रोका हैं तथा नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन किया है। इसके परिणामस्वरूप उत्तरप्रदेश में जो स्थिति पैदा हो गई है वह हम सबके लिये महत्वपूर्ण है। वहां पर संविधान के २२६,२११ और २१ अनुच्छेदों का उल्लंघन करके संविधान का मजाक उड़ाया गया है और संविधान के अनुसार राज्य सरकार की स्थिति बहुत ही डांवांडोल हो गई है। संविधान का पालन किये जाने के लिये संघ सरकार राज्यपाल को आवश्यक निदेश देने में असफल रही है। राज्यपाल को विधान सभा खत्म कर देनी चाहिये थी क्योंकि यह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकी। इन परिस्थितियों में सभा चुप नहीं रह सकती है। अतः मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है वह स्वीकार किया जाना चाहिये।

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, I have a submission to make..

Mr. Speaker: If the hon. Member has anything new to say, he can say it.

Shri Ram Sewak Yadav : A new situation has developed there. The full Bench of the Allahabad High Court has odered the hon. Speaker and the Legislature in U.P., not to issue warrants, and if the warrants have already been issued, they have been asked not to implement the same. In spite of such interim stay-orders, the U.P. Legislature have issued the warrants. With the result, the executive there are not abiding with the judgement of the High

Court. Hence my submission is that there is no law and order in the State at present. A chiotic situation has arisen. Secondly, the Cabinet there is divided.

Mr. Speaker: If the Cabinet there is divided, we are unable to act in the matter.

Shri Ram Sewak Yadav : But a serious situation has developed there, because the Executive have failed to act in the manner in which it was directed to act by the Judiciary. That is violation of the Constitution. Now a situation has arisen in which under Article 356 of the Constitution, President's rule should be promulgated.

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं श्री नाथपाई के कथन का समर्थन करता हूं ।

श्री शे० शा० मोरे (पूना): मेरा एक औचित्य प्रश्न है । इस विषय पर कल अध्यक्ष द्वारा निर्णय किए जाने पर भी विरोधी दल के सदस्य इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, जब कि अध्यक्ष महोदय का निर्णय सब को मान्य होता है ।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में आज नये प्रश्न उठाये गये हैं । इसलिये मैं देखना चाहता हूं कि शायद इनमें कोई नई बात हो ।

श्री फ्रैंक एंथनी : केवल संविधान सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न है और प्रत्येक व्यक्ति इसका पालन करने के लिये बाध्य है । संविधान के अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को पूरा अधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी प्राधिकार को स्पष्ट आदेश दे सकते हैं । न्यायाधीशों द्वारा इन अधिकारों का प्रयोग किए जाने पर कोई भी व्यक्ति या प्राधिकार अनुच्छेद २११ के अन्तर्गत आपत्ति नहीं कर सकता है । उच्च न्यायालय का निर्णय संवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण कर के ही बदला जा सकता है। विधान सभा को अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में जाना चाहिये था या उच्च न्यायालय का निर्णय उन के पक्ष में न होने पर उन्हें विशेष अनुमति लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिये था । इस मामले में विधान सभा ने संविधान का प्रत्यक्ष रूप में उल्लंघन किया है । सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र उचित कार्यवाही करनी चाहिये अन्यथा इस से सम्पूर्ण न्यायपालिका का अवमान होगा ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है उस को देखते हुए स्थिति इस प्रकार है कि या तो विधान सभा ने उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो उसे कानून द्वारा प्राप्त नहीं है और या न्यायाधीशों ने उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा उन्हें प्राप्त नहीं है । दोनों में से किसी एक ने अनुचित ढंग से संविधान के विरुद्ध कार्य किया है । यह निश्चय करना सभा का काम है कि किसने संविधान के सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है । दोषी पक्ष के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी चाहिये ।

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : चाहे मामले के गुण दोष कुछ भी हों, यह खेद की बात है कि न्यायाधीशों के सम्मान को चोट पहुंचाई गई है । इस मामले पर देश के सर्वोच्च विधि प्राधिकारी अर्थात् महान्यायवादी (एटोर्नी जनरल) विचार कर रहे हैं और मैं इस समय कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे इस मामले पर विचार करते समय किसी प्रकार का बुरा प्रभाव पड़े । यह देखना महान्यायवादी का काम है कि संसद् इस मामले पर न्याय निर्णय कर सकती है या नहीं । फिर भी यह बात स्पष्ट है कि संविधान द्वारा न्यायपालिका को बहुत ऊंचा स्तर प्राप्त है तथा किसी

न्यायाधीश की त्रुटि को केवल बड़ा न्यायालय ही सुधार सकता है न कि अन्य कोई प्राधिकार। संसद् भी हमारे न्यायाधीशों के मामलों पर विचार नहीं कर सकती है। उनके मामलों पर विचार केवल बड़े न्यायालयों में ही हो सकता है। किन्तु न्यायालय, संसद् को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करने से रोक सकते हैं।

ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। किन्तु मैं आप से इस बात पर पूर्ण रूप से सहमत हूं कि महान्यायवादी द्वारा इस विषय पर विचार करने तथा रष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में अपना निर्णय देने के पूर्व सभा में इस विषय पर चर्चा करना समय से पहले होगा और इस से मामले के संबंध में निष्पक्ष निर्णय दिये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

श्री रामनाथन चेट्टियार (करूर) श्रीमान्, आप को ग्राम आदमियों के भी विचार सुनने चाहियें। (**अन्तर्वाधाएं**)।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। मुझे माननीय सदस्यों का रवैया देख कर आश्चर्य होता है। अब किसी सदस्य को इस पर बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री राम नाथन चेट्टियार : यह विधान मंडल की प्रभुसत्ता का प्रश्न है। संसद् की प्रभुसत्ता खतरे मे है। विधि न्यायालय में इस प्रभुसत्ता को चुनौती दी जा रही है। (**अन्तर्वाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शान्ति। आप कृपया बैठ जायें।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री पाराशर : आपको हमें बोलने का अवसर देना ही होगा।

श्री खाडिलकर : मुझे एक मिनट के लिये अनुमति दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

श्री खाडिलकर (खेड़) : आप ने विधि मंत्री को राय देने के लिये कहा था (**अन्तर्वाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं बैठ जाता हूं। अब जो कुछ कहा जायगा वह सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं होगा।

* * * *

श्री स० मो० बनर्जी : मैं कहना चाहता हूं कि .....

श्री नाथ पाई : मैं यह प्रश्न उठाना नहीं चाहता .....

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि बेमानी चर्चा जारी रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब मैं बोल रहा होता हूं तब भी सदस्य बोलते रहते हैं। अब भी सदस्य मेरी अनुमति के बिना खड़े हैं। यदि वह बैठेंगे नहीं, तो मुझे सभा को स्थगित करना होगा।

श्री राम सहाय पाण्डेय : एक औचित्य का प्रश्न। विधि मंत्री ने स्थिति की व्याख्या करने के पश्चात् कह दिया कि वह उनकी व्यक्तिगत राय है। परन्तु सभा में हमें उन की व्यक्तिगत राय नहीं वरन् विधि मंत्री के नाते राय चाहिये।

---

*कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि . . . .

Shri Bagri (Hissar) : You cannot ask anything of the Home Minister who is present.

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। (**अन्तर्वाधाएं**) यदि मेरी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो मुझे सभा को स्थगित करना पड़ेगा ।

अब मुझे अपना निर्णय देना होगा । मैं ने दोनों पक्षों को सुना है। मैं इसी निश्चय पर पहुंचा हूं कि जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उस के बारे में संसद् को चर्चा करने का अभी अधिकार नहीं है । जहां तक वहां पर संवैधानिक व्यवस्था के टूट जाने का प्रश्न है सरकार ने इस बारे में महान्यायवादी से राय मांगी है ।

एक नयी बात यह मेरे ध्यान में लाई गई है कि अध्यक्ष द्वारा वारंटों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। परन्तु यदि सभा एक निर्णय लेती है तो अध्यक्ष के पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं कि वह उस पर हस्ताक्षर करे। अध्यक्ष ने तो सभा की इच्छानुसार काम करना है । न्यायपालिका और विधान मंडल दोनों अपने अतपने क्षेत्र में प्रभुसत्ता रखते हैं। अब इन दोनों में झगड़ा पैदा हो गया है । यह एक संवैधानिक संकट है । इसलिये इस समय आवश्यकता इस बात की है कि सभी पक्ष धैर्य से काम लें । संविधान के विभिन्न उपबन्धों को हमें साथ साथ देखना और उन के अर्थ निकालने हैं, पृथक पृथक रूप से नहीं ।

सरकार महान्यायवादी से राय ले रही है । इस के पश्चात् सोचा जायेगा कि क्या कार्यवाही की जा सकती है । इसलिये कोई नयी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है । मेरा निर्णय यही है कि मैं इस विषय पर किसी स्थगन प्रस्ताव के लिये अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री नन्दा : जैसा कि मैं ने बताया था हम ने महान्यायवादी की राय के लिये मामले का निर्देश उन को किया । उन्होंने सम्बद्ध कागजात आदि मंगाये हैं और उनका अध्ययन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि वह जल्दी में किसी गलत नतीजे पर पहुंचें। वह इस बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं कि राष्ट्र पति को यह मामला उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट करना चाहिये अथवा नहीं । मुझे आशा है कि हमें उन की राय शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी (**अन्तर्वाधाएं**)।

श्री दाजी : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर अग्रेतर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

न्याय प्रशासन में पुनर्वास मंत्रालय द्वारा किए गए हस्तक्षेप के बारे में पंजाब उच्च न्यायालय का निर्णय

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर): मैं निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाती हूं और उन से अनुरोध करती हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"पंजाब उच्च न्यायालय का हाल का एक निर्णय जिसमें मुख्य न्यायाधीश ने संसद के एक सदस्य के कहने पर अर्द्ध-न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा न्याय प्रशासन में पुनर्वास मंत्रालय के हस्तक्षेप के बारे में कुछ बातें कहीं ।"

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : यह पांच पृष्ठों का वक्तव्य है यदि आप कहें तो मैं इसे सभा पटल पर रख दूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस वक्तव्य को माननीय सदस्य पढ़ लें तो किसी अन्य अवसर पर मैं उन्हें प्रश्न करने की अनुमति दे दूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : फिर आप इसे कल ले लीजियेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय वक्तव्य सभा पटल पर रख दें ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं इस वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० २५६९/६४]**

सदस्य की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस सभा को सूचना देनी है कि मुझे लखनऊ के अतिरिक्त जिला दंडाधीश से दिनांक २३ मार्च, १९६४ का एक तार मिला है कि लोक सभा के सदस्य श्री यु० द० सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत आदेशों का उलंघन करने के लिए २३ मार्च, १९६४ को गिरफ्तार कर लिया गया और लखनऊ की जिला जेल में रखा गया है ।

सदस्य की दोष सिद्धि

CONVICTION OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे हैदराबाद के इंस्पैक्टर जनरल आफ पुलिस से दिनांक २३ मार्च, १९६४ का बेतार का एक सन्देश मिला है कि लोक सभा के सदस्य श्री ईश्वर रेड्डी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४३ और ४४७ के अन्तर्गत २३ मार्च, १९६४ को दोषसिद्धि की गई और उन्हें एक सप्ताह को साधारण कैद की सजा दे दी गयी है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति तथा भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं निम्न लिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(१) वर्ष १९६२–६३ के लिए भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति का वार्षिक प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० २५७०/६४]** ।

[डा० रामसुभग सिंह]

(२) वर्ष १९६२-६३ के लिये भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० २५७१/६४ ।]

तारांकित प्रश्न संख्या ६१४ के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION No. 614

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): १७-३-६४ को श्री बड़े ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या बम्बई के एक आईसक्रीम बेचने वाले को टैंडर मांगें वगैर ही ठेका दे दिया गया था। मैंने केवल अपनी स्मरण शक्ति से कहा था कि "मैं समझता हूं कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन मे इसकी चर्चा की गयी है। हम इस बारे में जांच कर रहे हैं।" वास्तव में यह बात वर्ष १९६४ के वार्षिक प्रतिवेदन मे दी गयी है और वह प्रतिवेदन अभी लोक लेखा समिति के पास जायेगा। इसलिये समिति द्वारा आक्षेप करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री बड़े (खारगोन): परन्तु मेरा प्रश्न तो यह था कि वह ठेका टेंडर बुलाये बिना ही दिया गया जिसके कारण ४०,००० रुपये का घाटा हुआ ।

श्री सें० वें० रामस्वामी: मैंने बताया है कि समिति इस पर विचार करेगी। हमें प्रतीक्षा करनी होगी ।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FROM GRANTS—*Contd.*

परिवहन मंत्रालय—जारी

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): एयर इंडिया का कार्य सम्पादन पिछले वर्ष बहुत संतोषजनक रहा। इसके ऊंचे स्तर की प्रशंसा संसार भर में होती है। हमारे विमान चालकों की कुशलता के कारण, वह संसार भर को प्रेरणा देते हैं। वर्ष १९६२-६३ में इसने १,३७,००,००० रुपये का शुद्ध लाभ दिखाया और ६६,२०,००० रुपये लाभांश के रूप मे दिये गये ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने लाभ कम कमाया। माननीय सदस्यों ने कहा कि विभिन्न प्रकार के विमानों का प्रयोग नहीं होना चाहिये। हम इनकी विभिन्नता को कम करेंगे और केवल तीन प्रकार के विमान ही हमारे पास रहेंगे। एवरो--७४८ और एवरो--७४८, माला २ इस निगम द्वारा प्राप्त किये जा रहे हैं ।

श्री दाजी ने कहा कि दुर्घटनाओं की जांच का काम किसी स्वतंत्र प्राधिकार के सुपुर्द होना चाहिये, परन्तु ऐसा करने से तकनीकी कर्मचारी आदि प्राप्त करने में एक स्वतंत्र प्राधिकार की बहुत कठिनाई होगी। अब जांच एक सेवा निवृत उच्च न्यायालय के जज की अध्यक्षता मे एक न्यायाधिकरण द्वारा की जाती है। अतः यह प्रबंध काफी संतोषजनक है ।

श्री बालकाट सम्बंधी मामले की ज़ांच के लिए हमने एक वरिष्ठ पदाधिकारी के सुपुर्द यह मामला कर दिया है ।

श्री दाजी ने कहा कि जो वायु कर्मचारी नगरों से बाहर रहते हैं उन्हें भी नगर भत्ता मिलना चाहिये । इस समस्या का समाधान कई स्थानों पर हवाई अड्डों को नगरीय क्षेत्र घोषित करके किया गया है । बहुत से हवाई अड्डे पहले ही नगरों की सीमा के अन्दर हैं । मुझे आशा है कि अन्य स्थानों पर इस समस्या का समाधान इस तरह से किया जायेगा कि कर्मचारियों को हानि न उठानी पड़े ।

आग बुझाने की व्यवस्था हमारी काफी संतोषजनक है । अधिक अच्छे सामान के मंगवाने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा रही है ।

विमानों के उतरने सम्बंधी सुविधाओं एवं टर्मिनल भवनों की चर्चा की गयी । जो नये विमान हम प्राप्त कर रहे हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार धावन पथों को लम्बा और मजबूत बनाना पड़ेगा । यह एक लम्बा कार्यक्रम है जो यथासम्भव शीघ्र कार्यान्वित किया जायेगा । कुछ हवाई अड्डों पर ऐसे आवश्यक काम किये भी गये हैं । इस कार्य के लिए काफी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है । परन्तु इसके बावजूद भी हम यह सुधार करेंगे ।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुई ।
SHRIMATI RENU CHAKRAVARTTY *in the Chair*]

टर्मिनल भवनों पर काफी लागत आती है । कलकता में भवन बन रहा है । वहां पर आधुनिक सामान लगाया जायेगा । यातायात की दृष्टि से बम्बई के टर्मिनल भवन का विस्तार किया जा रहा है और दिल्ली में भी भवन का निर्माण शीघ्र किया जायेगा ।

हम हवाई अड्डों के निकट ही कर्मचारियों के निवास स्थान बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं और आवश्यकतानुसार हवाई अड्डों पर आरामगृह आदि बनाने का भी प्रबंध कर रहे हैं ।

आई० ए० सी० के कर्मचारियों के लिए भी निवास की व्यवस्था की जानी है । तीसरी योजना मे इस मद के लिए २ करोड़ रुपया रखा गया था किन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण वे तीसरी योजना के अन्त तक १ करोड़ रुपये का ही उपयोग कर पायेंगे ।

श्री बृजराज सिंह कोटा ने कहा था कि बनिहाल दर्रे पर मौसम की सूचना देने की व्यवस्था नहीं है । वहां पर ऐसे दो स्टेशन हैं किन्तु कभी-कभी सूचना मिलने के बाद फिर मौसम खराब हो जाता है और इसलिए जहाजों को वापिस लौटना पड़ता है ।

यह कहा गया है कि अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बंधी विभाग अच्छा नहीं कर रहा है, उसमें सुधार की आवश्यकता है । इन सम्बंध मे तेजी से सुधार हो रहा है । इस विभाग ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष कोष की सहायता से उष्ण प्रदेशीय अन्तरिक्ष विज्ञान संस्थान की स्थापना की है । देश में भूकम्प विद्या सम्बंधी १४ वेधशालायें हैं । तीसरी योजना के अन्त तक यह संख्या २० तक हो जाने की संभावना है ।

श्री बासप्पा (तिपतुर) : सभा मे नौवहन, असैनिक उड्डयन, सड़क परिवहन के आदि में बहुत कुछ कहा गया है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इस अवसर परमैं पर्यटन के सम्बंध में कुछ प्रकाश डालूंगा । श्री दाजी ने इस सम्बंध में कुछ कहा था किन्तु उनके भाषण में इस देश में पर्यटन के विकास के सम्बंध में कोई भी सुझाव नहीं दिये ।

लोगों का विचार है कि इस उद्योग में हम १०० करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं किन्तु इस समय हमें केवल १८ करोड़ रुपये ही प्राप्त हो रहे हैं ।

पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जित होने के अतिरिक्त और भी कई लाभ हैं । इससे अन्तर्राष्ट्रीय भावना बढ़ती है और यहां के लोगों को रोजगार मिलता है । देश के अन्दर राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करने के ध्येय से भी एक स्थान के निवासियों का दूसरे स्थान पर जाना अच्छा है ।

पर्यटकों के आकर्षण के लिए देश में कई स्थान हैं, एलोरा, अजंता, महाबलिपुरम, ताजमहल और इसके अतिरिक्त प्राकृतिक स्थान तथा धार्मिक और सांस्कृतिक केन्द्र ।

और देशों में पर्यटन में सामान्य रूप से १३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इटली में इस उद्योग से ३५९ करोड़ रुपये कमाये जाते हैं । किन्तु हमारे यहां इसके लिए योजना में कुल ८ करोड़ रुपये रखे गये थे जिसमें से भी १ करोड़ रुपया खर्च नहीं किया गया । इस बात की जांच होनी चाहिये । इस सम्बंध में नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है । सरकार को चाहिये कि उसका अध्ययन करे । इसके लिए विकेन्द्रण की भी आवश्यकता है । झा समिति के सुझाव के अनुसार एक वृहद योजना बनाई जाये और पहले कुछ स्थानों को चुन कर उनका विकास किया जाये ।

इस सम्बंध में बड़े होटलों की स्थापना करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है । यदि विदेशी पूंजी इस कार्य के लिए प्राप्त हो सके तो उसका भी हमें स्वागत करना चाहिये । परिवहन की भी एक समस्या है और हमारा प्रचार कार्य भी उत्तम कोटि का नहीं है । पर्यटकों के साथ यहां अच्छा व्यवहार किये जाने की आवश्यकता है ।

बांदीपुर, शारावती, हसना और मंगलौर का विकास किया जाये ।

अखिल भारतीय पर्यटन विकास परिषद् की क्षेत्रीय शाखाओं में संसद् सदस्य लिये जायें ।

इस विभाग से कुछ अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया हैं । मंत्री महोदय इसकी जांच करें ।

ब्रिटेन आदि में सड़क परिवहन की मात्रा ६९ प्रतिशत तक होती है जबकि हमारे यहां केवल १६ प्रतिशत । इस बात को जांच की जाये ।

मैसूर राज्य में अयस्क सड़कों के सम्बंध में ४ ½ करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव था ; किन्तु यह विरोध एक से दूसरे मंत्रालय के पास भेजा जा रहा है । इस सम्बंध में जल्दी की जाये ।

राज्य की सड़कों को राजपथ में बदल देने की भी आवश्यकता है। गोआ-धारवाड़ और गोआ-बेलगांव राजपथों को जोड़ने का कार्य जल्दी आरम्भ किया जाये। हमारे राज्य में ७ सड़कें और ८ पुल बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया है। इस सम्बन्ध में केन्द्र से पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिये।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : माननीय मंत्री हाल ही में इस मंत्रालय में आये हैं अतः मैं भविष्य के दृष्टिकोण को सामने रख कर ही अपना भाषण दूंगा।

सरकार परिवहन विकास परिषद् की नदी परिवहन संबंधी सिफारिशों को कार्यान्वित करे। प्रतिवेदन में केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र का ही जिक्र है ; किन्तु देश में नदी परिवहन का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। केरल में लगभग २०,००० नावें चलती थीं और उन पर लगभग एक लाख व्यक्ति कार्य करते थे। किन्तु अब परिवहन के अन्य साधनों की प्रतिस्पर्धा के कारण इनका कार्य ठप्प होता जा रहा है। अतः मंत्रालय राज्य सरकार के परामर्श से कोई ऐसी योजना बनाये जिस से इन्हें सहकारी पद्धति के अन्तर्गत लाकर इनके कार्य को चालू रखा जाये। एक केन्द्रीय निधि बनाई जाये। जिससे दुर्घटना में ग्रस्त व्यक्तियों को कुछ सहायता मिल सके। दिल्ली परिवहन को अधिक कुशल बनाया जाये।

बड़े बन्दरगाहों के लिये ६० करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में सरकार राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की सिफारिशो को ध्यान में रखे। पहली सिफारिश तो यह थी कि बड़े जहाजों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाये और दूसरी यह कि भार को रखने-उतारने के कार्य को आधुनिक ढंग से किया जाये और इसमें मशीनों का प्रयोग किया जाये। तीसरी सिफारिश छोटेऔर मध्यम श्रेणी के बन्दरगाहों का विकास करने के सम्बन्ध में है।

कल्याण योजनाओं के सम्बन्ध में बम्बई बन्दरगाह के लिये १३ लाख रुपये और कलकत्ता के लिये ३४.८५ लाख रुपये रखे गये हैं किन्तु अन्य बन्दरगाहों की उपेक्षा की गई है। एक निश्चित योजना बनाई जाये और उसे समस्त मुख्य बन्दरगाहों पर लागू किया जाये।

सरकार शिपयार्डों को १६ प्रतिशत सहायता दे रही है, किन्तु यह खेद की बात है उन से के ३७,००० रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है वह भी केवल किताबों में दिखाया गया। वास्तव में लाभ नाम मात्र भी नहीं होता है।

'हिन्दुस्तान शिपयार्ड' चालू किये जाने से कोचीन में दूसरा शिपयार्ड चालू करने का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

एयर इंडिया का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। किन्तु इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन का कार्य संतोषजनक नहीं चल रहा है। आई० ए० सी० ने १ प्रतिशत से भी कम लाभ कमाया है जो निराशाजनक है। मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि दुर्घटनाग्रस्त विमानों को बट्टे-खाते में दिखाया जाता है क्योंकि इनका बीमा नहीं कराया जाता है। सरकार को इस प्रकार की हानि से बचने के लिए न केवल विमानों का बीमा कराना चाहिए अपितु प्रत्येक उड़ान का बीमा कराना चाहिए।

[श्री नी० श्रीकान्तन नायर]

दिल्ली और मद्रास के बी कारावेल सेवा संतोषजनक नहीं है । इसकी उड़ानों के समय सारिणी में उचित परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिस से त्रिवेन्द्रम आने-जाने वाले यात्रियों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो सके ।

विमान सेवाओं के कर्मचारियों को विदेशी पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए । चाय बोर्ड तथा काफ़ी बोर्ड को देश के सारे हवाई अड्डों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए, चाय तथा काफी की व्यवस्था करनी चाहिए ।

श्री पू० चं० देवभंज (भुवनेश्वर) : मैं मांगों का समर्थन करते हुए यह कहे बिना नहीं रह सकता कि परिवहन मंत्रालय ने इस धारणा को तोड़ दिया है कि सरकारी क्षेत्र के उपकरण सर्वथा असफल रहते हैं । दोनों विमान समवायों ने कुछ वर्षों में पर्याप्त लाभ अर्जित किया है । एयर इंडिया ने भारत को शेष संसार के साथ मिला दिया है ; यह समय के लिये प्रसिद्ध है और १९६२-६३ में इसने ७० लाख रुपये सरकार को दिये हैं । इसके साथ हमें इसके सभापति श्री जे० आर० टाटा के लिये भी आभार प्रदर्शन करना होगा, जिनके योग्य मार्ग दर्शन में ऐसा हुआ है । इंडियन एयर लाइन्स भी चार वर्ष में तीन लाख रुपये का लाभ दे रही है, परन्तु इस के विमान विलम्ब से चलते है । मंत्रालय इस का कारण ढूंढने की कोशिश करे । इसके छोटे मार्गों पर मिलने वाला भोजन अच्छा है, अतःउस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ।

कलकत्ता और भुवनेश्वर के बीच फोक्कर फ्रैंडशिप सेवा जारी करने का काम आरम्भ हो रहा है । मुख्य मार्गों पर कैरेबल चलाने से स्थिति सुधर गई होगी और विमान बरास्ता भुवनेश्वर जायें तो पूर्वी भाग के लोगों को सुविधा हो जायगी ।

विशाखापटनम का महत्व लोह अयस्क और अशोधित तेल के कारण बहुत बढ़ गया है । अतः अतिरिक्त माल धरने रखने तथा लोह अयस्क के लिये मशीनी संयंत्र लगाने का काम अगले वर्ष अक्तूबर तक पूरा किया जाये ।

उड़ीसा के प्रदीप पत्तन के हिंटरलैंड में विपुल मात्रा में खनिज उपलब्ध है । इस क्षेत्र में दक्षिण बिहार तथा पूर्वी मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा क्षैत्र भी मिला हुआ है । इस पत्तन के निर्माण से उद्योग और व्यापार बढ़ जायेंगे । हिंटरलैंड जब बन जायगा तो प्रदीप पत्तन से अधिक माल ले जाया जायगा और आयात-निर्यात व्यापार का यह सब से बड़ा स्रोत है । वह काम काफी द्रुतगति से चल रहा है और जब पूरा हो जायेगा तो वह पत्तन नवीन ढंग का होगा और यह बड़ी कुशलतापूर्वक कार्य करेगा और इस पत्तन में काम यंत्रों द्वारा किया जायेगा । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस परियोजना के लिये उपकरण तथा धन और निर्माण सम्बन्धी सामग्री देने में राज्य सरकार की सहायता करे । प्रदीप पत्तन प्राकृतिक पत्तन होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण होगी और इस से पिछड़े हुए क्षेत्र को बड़ा लाभ होगा ।

पर्यटन के सम्बन्ध में मैं सुझाव दूंगा कि मा० मंत्री एक समिति नियुक्त करें जो देश भर में घूम कर पर्यटन योग्य स्थानों की खोज करे । आशा है मा० मंत्री इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : असैनिक विमान प्रतिरक्षा का एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है । हम अनुसूचित आप्रेटरों के बारे में क्या कर रहे हैं ? इसका कारण मुझे यह दिखाई

देता है कि विभाजन के पश्चात् पूर्वी क्षेत्र की कठिनाइयों को इंडियन एयरलाइन्स निगम हल नहीं कर सका और वहां सीधे संचार का बड़ा अभाव है। धन के अतिरिक्त वहां जाने आने में अत्यधिक कष्ट होते हैं। अतः इंडियन एयरलाइन्स निगम को उन स्थानों के लिये कम दरों पर विमान चलाने चाहियें। चूंकि और कोई उपाय नहीं होता, इसलिये अनुसूचित आप्रेटरों की सेवाओं का आश्रय लेना ही पड़ता है।

कलकत्ता–दिल्ली वाइकाउंट सेवाओं पर सायंकाल को विमान देरी से क्यों चलते हैं, इसका उत्तर माननीय मंत्री को देना चाहिये। कई बार रात्रि को १ बजे दिल्ली आते हैं। फिर इतना धन खर्चने का क्या लाभ है? सरकार इस स्थिति को ठीक करने का प्रयत्न करे।

कलकत्ता में उस सीमान्त (टर्मिनल) इमारत का क्या बना, जिसके बारे में हम अलादीन के दिये के समान सुनते आ रहे हैं?

भले ही पूर्वी क्षेत्र के हवाई अड्डों पर मजदूरों के लिये मकानों की अवस्था कुछ ठीक है, परन्तु वहां उन को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अर्थात् जल व्यवस्था वहां नहीं है और बच्चों को स्कूल जाने के लिये परिवहन का कोई प्रबन्ध नहीं है। सरकार को मजदूरों के लिये नल की व्यवस्था और बच्चों को स्कूल जाने के लिये सवारी का प्रबन्ध करना चाहिये।

चौकीदारों के लिये काम करने का जो समय नियत किया गया है वह बहुत अधिक है उनका काम का समय कम किया जाये। अराजपत्रित कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के प्रश्न पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिये ड्राइवरों और टेलीफोन आप्रेटरों के वेतन क्रमों में भी वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार परिवर्तन होना चाहिये। अतिरिक्त समय काम करने के भत्ते की वर्तमान दर कम है, इस पर भी विचार किया जाये। अर्जियां आगे भेजने के मामले में भी मंत्री को उदारता का बर्ताव करना चाहिये। विभाग के लोगों को भी अर्जी देने का अवसर प्राप्त होना चाहिये।

जो लोग वेतन मान के अधिकतम स्तर पर पहुंच जाते हैं उनकी वेतन वृद्धि रुक जाती है। अतः इस पर भी विचार किया जाये। एक समिति ने इस पर विचार किया था, उसके बारे में क्या किया गया है?

पर्यटन के बारे में मैं पूछती हूं कि अशोक होटल की तुलना में ओबराय होटल को अधिक विदेशी मुद्रा क्यों दी गई? वास्तव में महा निदेशक के कहने पर ऐसा हुआ है। माननीय मंत्री इसका स्पष्टीकरण करें।

हम हाल्दा के बारे में सुनते आ रहे हैं परन्तु कहां तक कलकत्ता का पत्तन सुरक्षित है और कहां तक फरक्का हमारी नदी के तल से मिट्टी को साफ करेगा। पाकिस्तान हमारे प्रस्तावों से सहमत नहीं, अतः अब स्थिति क्या है। माननीय मंत्री कलकत्ता नगर की इस महान समस्या के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करें।

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : जिन सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया है और आलोचनाएं की हैं, मैं उन के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं। मुझे पांच घंटे का समय कम प्रतीत हुआ था। परन्तु कल गणपूर्ति के अभाव में मैंने अनुमान लगाया कि सदस्य हमारे कार्य से संतुष्ट हैं।

[श्री राज बहादुर]

मैं सड़क और सड़क परिवहन के बारे में बताऊंगा कि यह बात गलत है कि सड़कों के लिये जितनी राशि नियत की गई थी, उसका पूर्णरूपेण उपयोग नहीं किया जा सका। १९६०–६१ तक केन्द्रीय राजपथों पर व्यय १० करोड़ रुपये होता था, परन्तु १९६२–६३ में व्यय बढ़ कर १७.४२ करोड़ हुआ और १९६३ में ३४.३८ करोड़ रुपये हुआ। यह संतोषजनक स्थिति है। सड़कों के लिये नियतन शुरू में ३२४ करोड़ था और बाद में बढ़ कर ४१६ करोड़ कर दिया गया। था। इस व्यय के अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण पर भी भारी राशि खर्च की गई थी। आवश्यकता के अनुसार हम अधिक राशि देने की कोशिश कर रहे हैं। बरोनी से फुलबोरिया तक १०२ मील का टुकड़ा एक वर्ष में पूरा किया गया है और मार्ग के पुलों को भी मजबूत बनाया गया।

सड़क परिवहन के सम्बन्ध में मंत्रालय के काम को कुछ लोगों ने असंतोषजनक बताया है। हमें इस उद्योग के लिए नियत की गई विदेशी मुद्रा को देखते हुए मोटर गाड़ी निर्माण के सम्बन्ध में सोचना होगा। इन मोटर गाड़ियों के निर्माण में देशी पुर्जों को लगाने के मामले में काफी प्रगति हुई है। देशी निर्माताओं ने इस दिशा में अच्छा काम किया है। मोटर गाड़ियों के निर्माण में भी काफी वृद्धि हुई है और १९६६ तक ३६०,००० हो जायेगी और यह १९५०–५१ के आंकड़े से तीन गुना होंगी।

हम १९६४ में ३५,०००, १९६५ में ४२,२५० और १९६६ में ५४,५०० का निर्माण करेंगे, परन्तु देखना यह है कि कितनी लाइसेंस प्रदत्त क्षमता बढ़ गई है। यह काफी अधिक बढ़ गई है और संतोष का विषय है।

अन्तर्राज्य-परिवहन आयोग ने केवल ४४० पर्मिट दिये हैं, जबकि ३००० गाड़ियां प्रति दस लाख टन के आधार पर ४८,००० पर्मिट होने चाहिये थे १६० लाख टन के लिये। आज १६,४४९ पर्मिट हैं और अस्थायी पर्मिटों को मिला कर कुल ३५,५४१ हो जाते हैं।

सड़क परिवहन को वृद्धि दो बातों पर आधारित है। एक यह कि हम कहां और कितनी अच्छी तरह सड़क परिवहन को बढ़ा पाये हैं और उसको सुधार सके हैं, और दूसरी बात मोटर गाड़ियों का निर्माण बढ़ाने की है। हालांकि इस कार्य के लिये बहुत थोड़ी राशि इस मंत्रालय को दी गई थी, किन्तु फिर भी सड़क परिवहन उद्योग अपना कार्य पूरा करता रहा और देश की आवश्यकता को पूर्ति करता रहा है। इसके लिये परिवहन चालक तथा अन्य सम्बन्धित लोग धन्यवाद के पात्र हैं।

जहां तक कर लगाने का प्रश्न है, हम ने इसको कम करने का प्रयत्न किया है और राज्य सरकारों को भी इस बात के सम्बन्ध में मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है। हम श्री मसानी की सिफारिश के साथ सहमत नहीं। जहां तक इस उद्योग को एक प्रकार का संरक्षण देने का प्रश्न है, यह बात मानी जा चुकी है। हम ने राज्यों को कराधान के कुछ निश्चित सिद्धान्तों से सहमत कराने का प्रयत्न किया है।

आसाम में अन्तर ट्रंक सड़क पर पांच बड़े पुल बनाने का महान कार्य इंजीनियरों द्वारा किया गया है, एक वर्ष की अवधि के अन्दर अन्दर।

राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिये हम ने सभी राजमार्ग बना लिये हैं जो पहले बने हुए नहीं हैं। अभी तक १०० मील का काम बकाया है। इस काम को चौथी योजना में शुरू किया

जायेगा। सरकार ने १० हजार मील से अधिक सड़कों में सुधार करने का प्रशंसनीय कार्य किया है। हम १०० पुल भी बना चुके हैं और चौथी योजना में १४ बनाने जायेंगे।

सरकार ने उत्तर प्रदेश में बरेली से लेकर असम में अमीन गांव तक बढ़िया सड़क बनाने का काम मंजूर किया है। यह सड़क हिमालय की पहाड़ियों के साथ साथ बनेगी और इस कार्य पर १०० करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इससे हिमालय वर्ती क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को बहुत लाभ होगा। इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जायेगा।

भारत सरकार राजस्थान नहर के बिल्कुल समानान्तर ४२५ मील लम्बी सड़क बनाने की योजना बना रही है। मद्रास से कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय सड़क बनाने का भी विचार किया जायेगा, और संभवतः इसको चौथी पंच वर्षीय योजना में शामिल कर लिया जाये। गुजरात में तटीय सड़क बनाने के बारे में भी विचार हो रहा है।

सड़क निर्माण का काम मशीनों द्वारा करने की आवश्यकता है। हम उपकरण लेने का और उपकरण बनाने का प्रयत्न करेंगे तथा इस उद्योग में विकास को तेजी के साथ किया जायेगा।

१९६३ में डेढ़ लाख के लगभग विदेशी लोग पर्यटन के लिये भारत में आये और तीन लाख पाकिस्तानी आये। अमरीका के पर्यटक १७ प्रतिशत और यूरोप के पर्यटक ११½ प्रतिशत तथा पूर्वी यूरोप के पर्यटक ६½ प्रतिशत तक संख्या में बढ़े हैं। पश्चिमी यूरोप और अमरीका के खर्चीले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार पर्यटन का काम काफी संतोषजनक रहा है।

अन्तर्राज्य परिवहन आयोग का मुखिया एक संयुक्त सचिव है। हमें इस को अधिक अधिकार पर्मिट जारी करने के लिये देने चाहियें। इसके द्वारा अन्तर्राज्यों की सड़कें बनने में सहयोग मिला है और कुछ विवाद भी सुलझाये जा सके हैं।

श्री मसानी ने डा० बीचिंग की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें इंगलैंड में आधे से ज्यादा रेलवे स्टेशन बन्द करने की बात कही गई है। परन्तु भारत में इस प्रकार नहीं किया जा सकता।

नियोगी समिति की सिफारिशें हमारी चौथी योजना के लिये नहीं मिल सकेंगी। इसके लिये हमें प्रतीक्षा करनी होगी। श्री नियोगी अधिक समय चाहते थे और कुछ अधिक सांख्यिकी चाहते थे जो हमारे पास नहीं थी. इसलिये श्री नियोगी ने त्यागपत्र दे दिया और हम ने श्री तरलोक सिंह को उनके स्थान पर नियुक्त किया।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री नियोगी कुछ गैरसरकारी लोगों को समिति में लेना चाहते थे। समस्त पत्र-व्यवहार सभा पटल पर रख दिया जाये।

श्री राज बहादुर : यह समिति योजना आयोग की थी और मैं योजना मंत्री को सभा की इच्छा बतला दूंगा।

अपने देश में पर्यटन में छः सौ प्रतिशत उन्नति हुई है। गत वर्ष थोड़ी कमी हुई थी, परन्तु इस वर्ष फिर पर्यटन में वृद्धि हुई है।

झा समिति को पर्यटक यातायात को बढ़ाने के लिये सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। उसकी ४० सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं और शेष को कार्यान्वित किया जा रहा है।

[श्री राज बहादुर]

होटल श्रेणीकरण समिति को महत्व का स्थान देना होगा। हम होटल उद्योग को सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में होटल कार्य बड़ा कठिन है, सरल कार्य नहीं। हमें संसार के होटल मालिकों की सहायता प्राप्त करनी होगी ताकि हम पर्यटक यातायात को बढ़ा सकें। होटल श्रृंखला का अमरीका आदि देशों में बड़ा लाभ हुआ है। हमें अपने लोगों को प्रशिक्षण भी देना है।

ओबराय को होटल के लिए अधिक विदेशी मुद्रा देने की बात कही गयी है। मुझे नहीं मालूम कि महा निदेशक ने कोई विशेष सिफारिश उसके लिये की है। उस की अर्जी की जांच औद्योगिक वित्त निगम द्वारा की गई थी। मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र में व्यापारी ढंग के कुछ काम करने के लिये एक निगम बनाने का फैसला किया है। यह निगम होटल बनायेगा, पर्यटकों के लिये परिवहन की व्यवस्था करेगा और यात्राओं का प्रबंध करेगा। एक स्थायी समिति पर्यटन को बढ़ाने के लिये काम करेगी। असंबंध स्थानों के लिये पर्यटन सेवाओं की व्यवस्था आई० ए० सी० द्वारा की जाएगी, जिसको एक करोड़ रुपया निगम के प्रारंभिक अनुदान से एक निधि स्थापित की जाएगी।

बहुतेरे आई० ए० सी० स्टेशनों को टेलीप्रिंटर लाइनों से मिलाने का फैसला किया गया है और भारत के प्रमुख हवाई अड्डों पर टर्मिनल इमारतों में सुधार करने का प्रयत्न किया जाएगा। पालम, सन्ताक्रुज पर भी ऐसी टर्मिनल इमारत बनाई जाएंगी।

पर्यटकों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से आयात-निर्यात और सीमा शुल्क में आप्रवासन सम्बंधी नियमों में कुछ छूट दी गई है। शिकागो तथा टोकियो में नवीन पर्यटक कार्यालय खोले जायंगे। विदेशियों के लिये अखिल भारतीय मद्य पर्मिट जारी कर दिये गये हैं और होटलों में भी विदेशियों को शराब पीने के लिये पृथक कमरों की व्यवस्था की गई है।

लाल किला, आगरा और जयपुर आदि स्थानों पर "ध्वनि और प्रकाश चश्मे" (साउंड-एण्ड-लाइट स्पेक्टेकल्स) लगाने की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है।

उड्डयन के संबंध में मैं वालकाट वाली घटना का उल्लेख करूंगा। हमें उसका बड़ा खेद है। परन्तु क्या संसार में अन्यत्र ऐसी घटनाएं नहीं होतीं?

श्री दाजी : इस घटना के लिये कौन सा अफसर उत्तरदायी था?

श्री राज बहादुर : इस मामले की जांच एक समिति के द्वारा की जा रही है और हम उस समिति के निष्कर्षों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जांच चल रही है और मैं संबंधित जांच अधिकारी को जांच को जल्दी समाप्त करने के लिये नहीं कह सकता।

वालकाट फ्रांस के मलहाउस हवाई अड्डे से गत जून में अमरीकन कम्पनी के एक विमान को पुलिस के कब्जे से उड़ा कर ले गया था। अतः यह कहना उचित नहीं है कि ऐसी घटनायें केवल भारत में ही हो सकती हैं। हमें इस घटना के होने से प्रसन्नता नहीं हुई है। ऐसी आशा है कि असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी संघ तथा असैनिक उड्डयन विभाग के बीच अनिश्चित पड़े मामले सद्भावनापूर्वक तय हो जायेंगे।

आई० ए० सी० की सेवाओं में भोजन व्यवस्था में सुधार करने के लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। आई० ए० सी० और एयर इंडिया दोनों ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। इस बारे में दो

बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक यह है कि गत वर्ष में हमारी एयरलाइनों द्वारा १० लाख का आंकड़ा पार कर लिया गया। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीयकरण के बाद यात्री यातायात ४ लाख से बढ़ कर लगभग १२ लाख हो गई है। एयर इंडिया मई में सातवां बोइंग प्राप्त कर लेगा और आठवें के लिये भी क्रयादेश दे दिये गये हैं। आई० ए० सी० में कारवैल (Caravelle) विमान सेवा प्रारम्भ करना एक महत्वपूर्ण घटना है। कर्मचारी संघों के साथ समझौता होना भी एक सराहनीय बात है।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि प्रत्येक स्टेशन से आई० ए० सी० के विमान देर से क्यों छूटते हैं? जब विमान के आने में चार या पांच घंट की देरी हो तो यात्रियों को इसकी सूचना क्यों नहीं दी जाती?

श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जब विमान के आने में कुछ घंटों की देरी हो तो यात्रियों को, उनके पास टेलीफोन होने की दशा में, टेलीफोन के जरिये सूचना दे ी जानी चाहिये। परन्तु कभी कभी विमानों के देर से आने को रोका नहीं जा सकता है। शीतकाल में कुहरे के कारण विमान उड़ान नहीं कर सकते। और भी बहुत से कारण हैं। हमारे लिये यात्रियों की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है यदि उनको अपने स्थान पर पहुंचने में कुछ देर हो जाये तो वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि हमारी एयरलाइनों द्वारा इसी सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिये। हमें यह भी देखना है कि विमान सेवायें समय पर चलें अतः आई ए० सी० यह कोशिश करेगी कि विमानों के छूटने में कम से कम देर हो।

सरकार समझती है कि अब समय आ गया है जबकि दोनों विमान निगमों, अर्थात एयर इंडिया तथा आई० ए० सी० की विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारि ों के काम और जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से एक व्यापक जांच की जाये ताकि कोई युक्तियुक्त वेतन-ढांचा बनाया जा सके। इस जांच का काम उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत न्यायाधीश को सौंपा जायेगा और संबंधित पक्षों के तिनिधि जांच में उनका साथ देंगे और आवश्यकता हुई तो किसी विशेषज्ञ की सहायता भी उन्हें उपलब्ध कराई जायेगी। यह जांच समिति अपनी सिफारिशें करते समय यह ध्यान रखेगी कि उन सिफारिशों का संचालन व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसे यह दृष्टि में रखना है कि इन निगमों की यह जिम्मेदारी है कि वे उचित दरों पर यात्रा सुविधायें उपलब्ध करायें और जो पूंजी उनमें लगी है उस पर उचित लाभ कमा सकें।

एयर इंडिया के कर्मचारियों की एयर इंडिया द्वारा कमाये गये लाभ की दृष्टि से तदर्थ भुगतान की मांग संबंधी मामले पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और कुछ ही दिनों में इस बारे में सरकार के निर्णय की घोषणा कर दी जायेगी।

नौवहन के बारे में यह शिकायत की गई है कि नौवहन का विस्तार जितना होना चाहिये था उतना नहीं हुआ है। मैं इस बारे में कोई गर्व महसूस नहीं कर रहा हूं परन्तु जो तथ्य हैं वे सभा के सामने उपस्थित करना चाहता हूं। हमने गत वर्ष में टनभार में २,५०,००० जी० आर० टी की वास्तविक वृद्धि की है। इतनी वृद्धि पहले कभी नहीं हुई थी। तीसरी योजना के पहले तीन वर्षों में टनभार में १,५०,४०० जी. आर. टी. प्रतिवष के हिसाब से वद्धि हुई है जबकि राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड ने भी केवल १४.२ लाख जी. आर. टी. का लक्ष्य प्राप्त करने की सिफारिश की थी। अब स्थिति यह है कि हमने पहले वर्ष में ११ लाख टन की क्षमता प्राप्त कर ली है। हमने इसको योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय से बातचीत करके इसको १२.५ लाख टन करवाया। हमने इस लक्ष्य को भी

[श्री राज बहादुर]

प्राप्त कर लिया है । आज हमारा टनभार १३ लाख टन है । यदि हो रहे निर्माण को भी मिलाया जाये तो यह १६ लाख टन होता है । १२.५ लाख टन के आंकड़े को पार करने के बाद हमने अपना लक्ष्य १८ लाख टन निर्धारित करवाया जो कि दूसरी योजनाकाल के अन्त के आंकड़े से दुगना है । अब हमने लक्ष्य को बदल कर २५ लाख टन करवाने का प्रश्न हाथ में ले लिया है । हमने जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं वे हमारे सामर्थ्य से बाहर नहीं हैं अत: नौवहन उद्योग ने जो प्रगति की है वह किसी दृष्टि से भी असंतोषजनक नहीं कही जा सकती ।

अधिक टनभार जो हम प्राप्त करने जा रहे हैं उससे राजकोष पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा । हमारे कुछ टनभार के ६० प्रतिशत जहाज १० वर्ष से कम पुराने हैं और ऐसे जहाज जो विदेशों से माल लाते ले जाते हैं उनमें से ८०प्रतिशत १०व ं से कम पुराने हैं । श्री रघुनाथ सिंह ने कहा है कि हमारा टनभार १९५६ में विश्व के टनभार का केवल .५३ प्रतिशत था और १९६३ में केवल .८३ प्रतिशत था । परन्तु उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिये कि १९६३ में विश्व का टनभार १४५८.६ लाख टन हो गया था जब कि १९५६ में वह १०५२ लाख टन था । विश्व के देशों ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी योगदान है और भारत को 'डी' श्रेणी से 'सी' श्रेणी में कर दिया गया है । श्री रघुनाथ सिंह जी ने यह भी कहा है कि अमरीका से गेंहूं भारतीय जहाजों द्वारा नहीं लाया गया परन्तु यहां से अमरीका ले जाने के लिये कोई सामान होना चाहिए अत: जहाजों को खाली भेजना हमें मंहगा पड़ेगा । अमरीका के साथ द्विपक्षीय करार होने पर हमारे जहाज अमरीका से गेहूं उठा सकते हैं । हमने १३०,००० जी०आर०टी० के ६ बड़े मालवाहक जहाज प्राप्त कर लिये हैं और तीन जहाजों का निर्माण किया जा रहा है । पांच जहाजों के क्रयादेश देने की स्वीकृति मिल गई है । हमारा विचार १९ जहाज और खरीदने का है । इन ३३ बड़े जहाजों के प्राप्त हो जाने के पश्चात् कुल टनभार में काफी वृद्धि हो जायेगी ।

हमारा ट्रेम्प टनभार भी १००,००० जी० आर० टी० है । हम कुछ टेंकर प्राप्त करने के लिये भी प्रयत्न कर रहे हैं । एक सरकारी निगम ने एक टेंकर पहले ही प्राप्त कर लिया है और यह भारतीय नौवहन में सबसे बड़ा जहाज है । यह कहा गया है कि हम भाड़े के रूप में १३५ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि उठा रहे हैं । वास्तव में हमें इस मद पर ५० करोड़ रुपये के लगभग विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है । तीन या चार वर्ष पहले हमारे नौपोतों द्वारा केवल ९ प्रतिशत माल ढोया जाता था जबकि १९६१-६२ में यह १२ प्रतिशत और १९६२-६३ में १५ प्रतिशत हो गया । १९६३-६४ में १८ प्रतिशत माल ढोये जाने का अनुमान है । इससे पता लगता है कि हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं ।

दो और द्विपक्षीय नौवहन करार किये गये हैं । एक जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तथा दूसरा संयुक्त अरब गणराज्य के साथ किया गया है । अपने ट्रेम्प व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिये हमने उन्हें विश्व के समस्त देशों से लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दे दी है । जब इंडिया-यू० के०-कांटिनेंट कांफ्रेंस से अपनी भाड़ा दरें बढ़ा दी थीं उस समय हमें इस योजना से बहुत सहायता मिली । उक्त कांफ्रेंस में हमें कुछ लाभ ही होता है और वह यह है कि यह कांफ्रेंस एक नियमित तथा विश्वसनीय सेवा प्रदान करती है । यही कारण है कि हम उसका सदस्य बने रहना पसन्द करते हैं ।

जहां तक नौवहन निगम का सम्बन्ध है उसने इस वर्ष काफी अच्छा कार्य किया है । कलकत्ता पत्तन के पाकिस्तानी खलासियों के स्थान पर शनै: शनै: भारतीय नागरिकों को रखा जायेगा । हमारी

पत्तनों की सुरक्षा के लिये किये गये उपायों की निरन्तर जांच की जाती है। नौवहन निगम ने तीन महत्वपूर्ण रास्तों—इंडिया–यू० के०–कांटिनेंट, इंडिया–यू० एस० ए० तथा भारत–जापान का पश्चिमी तट—में प्रवेश किया है। इसका वास्तविक लाभ ४७ लाख रु० से १ करोड़ रु० से अधिक हो गया है। यह निगम आधुनिक जहाजों के द्वारा, जो कोयले की ढुलाई के लिये उपयुक्त होंगे, भारत के निर्यात व्यापार में भाग लेगा। चार जहाजों के क्रयादेश पहले ही दिये जा चुके हैं। १९६४–६५ में पांच बड़े मालवाहक जहाजों के क्रयादेश दिये जायेंगे। बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आगामी वर्ष में निगम एक और बड़ा जहाज खरीदेगा। निगम विदेशों से अशोधित तेल तथा तेल उत्पादों का आयात करने के लिये अतिरिक्त टेंकर प्राप्त करेगा। १९६७ के अन्त तक निगम ५ लाख का आंकड़ा पार कर लेगा।

जहां तक द्वितीय शिपयार्ड का सम्बन्ध है, करार को अन्तिम रूप देने के लिये भारतीय विशेषज्ञों का एक दल अप्रैल के मध्य में जापान जायेगा और आशा की जाती है कि अगले मास जापान में यह करार पूरा कर लिया जायेगा।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने भी अच्छी प्रगति की है। गत वर्ष ४९८ लाख रु० के मूल्य का उत्पादन किया गया। जहाजों की निर्माण लागत भी कम हो गई है। इसे सरकार द्वारा दी जाने वाली १४ प्रतिशत सहायता को समाप्त करने का विचार है और ऐसा करना सम्भव भी है। प्रशंसनीय कार्य करने के लिये केवल गत वर्ष ही इस शिपयार्ड को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था। हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने जो सफलता प्राप्त की है उसे ध्यान में रखकर यह निर्णय किया गया है कि इसकी जहाज निर्माण करने की क्षमता १९६८ तक ३ जहाजों से बढ़ा कर ६ कर दी जाये। देश में जहाजों के निर्माण तथा मरम्मत पर अधिक जोर देने के लिये एक सलाहकार परिषद् बनाने का निर्णय किया गया है।

हमारे पत्तन अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनकी क्षमता ४८० लाख टन से अधिक हो गई है। आशा है कि तीसरी योजना के अन्त तक यह ६०० लाख टन हो जायेगी।

गत वर्ष की मुख्य बात बड़े पत्तन प्रन्यास अधिनियम का लागू करना था। धारा ४ के अन्तर्गत कोचीन, कांडला तथा विशाखपत्तनम के लिये अस्थायी प्रन्यास बोर्डों की नियुक्ति कर दी गई है। स्थायी प्रन्यास बोर्ड अप्रैल से कार्य करना शुरू कर देंगे। मारमागोआ को बड़ा पत्तन घोषित कर दिया गया है और जून के अन्त तक प्रथम प्रन्यास बोर्ड नियुक्त कर दिया जायेगा। मद्रास पत्तन पर पानी वाली गोदी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और कोचीन पत्तन पर चारों नये घाट बना दिये गये हैं।

बम्बई के सम्बन्ध में गोदी के विस्तार की योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। बम्बई पत्तन के भावी विकास के लिए बृहद् योजना तैयार की जा रही है।

नविन में नये घाटों के विकास की गुंजाइश की जांच की जा रही है।

कुछ सदस्यों ने कहा कि कलकत्ता और हालदिया जैसे पत्तनों में डुबाव की व्यवस्था कम है। इसका भी विकास किया गया है। विशाखापत्तनम का डुबाव ३१ से बढ़ा कर ३३ फुट, मरमागुआ का २८ से ३० किया जा रहा है। हालदिया का डुबाव सदा २८ फुट, ३४६ दिन ३० फुट, २३८ दिन ३५ फुट रहता है।

मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। हालदिया को पुराना ताम्रलिप्त का नाम देने का अधिक महत्व तो नहीं किन्त फिर भी हम इस पर विचार करेंगे।

[श्री राज बहादुर]

भारत सरकार कुछ समय से अन्तर्देशीय जल परिवहन के सम्बन्ध में प्रविधिक संगठन स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है। अन्तर्देशीय नौवहन का विषय राज्य का विषय है और इसकी प्रविधिक क्षमता का उत्तरदायित्व समवर्ती सूची का विषय है। परिवहन के इस साधन का समन्वित विकास करने के लिए परिवहन मंत्रालय में अन्तर्देशीय जल परिवहन का निदेशालय स्थापित किया जा रहा है जिसमें उच्च योग्यता प्राप्त लोग होंगे। यह निदेशालय नौकाओं के स्वरूप में सुधार करने और प्रशिक्षण की व्यवस्था के साधन जुटायेगा।

थम्बा में राकेट द्वारा ऋतु विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान का कार्य महत्वपूर्ण है।

प्रकाशस्तम्भों में काम करने वाले २००० कर्मचारियों का काम सराहनीय है। यद्यपि इस वर्ष के दौरान हम बहुत सफलता प्राप्त नहीं कर सके किन्तु तो भी काफी सराहनीय काम हुआ है।

चौथी योजना के लिए सेतु समुंद्रम परियोजना स्वीकार कर ली गई है। भूमि अर्जित की जा रही है और मद्रास सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा परिवहन मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :

The following demands in respect of Ministry of Transport were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१	२	३
		रुपये
८२	परिवहन मंत्रालय	९७,३४,०००
८३	ऋतु विज्ञान विभाग	२,४५,७८,०००
८४	केन्द्रीय सड़क निधि	४,०३,७६,०००
८५	संचार (राष्ट्रीय राजमार्ग सहित) . . .	७,०२,५१,०००
८६	व्यापारी बेड़ा	१,१८,७४,०००
८७	प्रकाश-स्तम्भ और प्रकाश पोत . . .	१,००,१९,०००
८८	उड्डयन	६,४५,५४,०००
८९	परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	२,८१,६८,०००
१३७	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	५४,७३,३७,०००
१३८	पत्तनों पर पूंजी परिव्यय	२,४४,२७,०००
१३९	असैनिक उड्डयन पर पूंजी परिव्यय . . .	४,५३,२८,०००
१४०	परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	६,३०,७५,०००

विधि मंत्रालय

वर्ष १९६४–६५ के लिए विधि मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१	२	३
		रुपये
७४	विधि मंत्रालय	४२,२२,०००
७५	निर्वाचन	७८,७४,०००
७६	विविध मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	२,०२,०००

विधि मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
७४	१८	श्री यशपाल सिंह	विभिन्न केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद करने में विलम्ब	१०० रुपये
७४	१९	श्री यशपाल सिंह	हिन्दू धार्मिक धर्मस्वों के बारे में विधि बनाने में विलम्ब	१०० रुपये
७५	२०	श्री यशपाल सिंह	निर्दलीय उम्मीदवारों को चिह्न देना	१०० रुपये
७५	२१	श्री यशपाल सिंह	निर्वाचन विधियों में संशोधन की आवश्यकता	१०० रुपये
७४	२२	डा० मा० श्री० अणे	मुस्लिम विधि के सम्बन्ध में जांच समिति की आवश्यकता	१०० रुपये
७५	२३	डा० मा० श्री० अणे	निर्वाचन विवादों का शीघ्र निबटारा करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७५	२४	श्री प्र० के० देव	चुनाव सम्बन्धी सुधार की आवश्यकता	१०० रुपये
७५	२५	श्री प्र० के० देव	जिस राज्य में राजनैतिक दल न हो वहां निर्दलीय उम्मीदवारों को दलीय चिह्न देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७६	२६	डा० मा० श्री० अणे	विधि आयोग के काम को तेज करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७४	२७	श्री रा० बरुआ	गरीबों को विधि सम्बन्धी सहायता	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्री दाजी (इंदौर) : विधि मंत्री सदा उत्साहजनक उत्तर देते हैं किन्तु विधि का शासन स्थापित करने के लिए केवल विधि के शब्दार्थ पर्याप्त नहीं बल्कि कारणों पर विचार करने से विधि को बल मिलता है ।

विधि के शासन से केवल न्यायपालिका की प्रभुसत्ता का अभिप्राय नहीं है बल्कि विधि में सामाजिक धारणाओं को स्थान देना चाहिये।

विधि के शासन के लिए बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सभी दल उत्तरदायी हैं, किन्तु बहुसंख्यक दल का उत्तरदायित्व सब से अधिक है क्योंकि वे ही विधि को निर्बल बना सकते हैं। दास आयोग अर्द्ध न्यायिक आयोग है और वह एक मुख्य मंत्री की जांच कर रहा है। किन्तु जब वह मुख्य मंत्री इस प्रकार का वक्तव्य देता है कि उसे मालूम है कि आयोग का निर्णय क्या होगा और कि वह विरोधियों के मुंह पर चपत होगी तो विधि के शासन को समाप्त किया जा रहा है। दास आयोग के अपमान के कारण किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं इसीलिए वह मुख्य मत्री मुक्त है ।

हमने बार बार शिकायत की है कि न्याय तक पहुंच महंगी नहीं होनी चाहिये और मंत्री महोदय ने कहा था कि विधि सम्बन्धी सहायता की योजना बनाई जा रही है।

विधि मंत्री (श्री अ० कु० चन्दा) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए।

श्री दाजी : उनके अलावा और भी गरीब जातियां हैं। उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिये अन्यथा विधि सम्बन्धी सहायता निरर्थक होगी।

दूसरी बात मैं अपीलों के बारे में कहना चाहता हूं। न्यायपालिका की संभव गलती पर लोगों पर जुर्माना नहीं लगना चाहिये और अपील पर खर्च के लिए मजबूर नहीं करना चाहिये।

न्यायपालिका और न्यायपालिका की प्रभुसत्ता का जो संकट उपस्थित हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है। विधि मंत्री ने जो कहा है कि न्यायपालिका ही सर्व प्रभुत्व सम्पन्न है न कि विधान मंडल उसे अन्तिम नहीं मान लेना चाहिये बल्कि संविधान ही प्रभुत्व सम्पन्न है। जब 'ब्लिट्ज' का मामला उठा था तभी से संसद और सदस्यों की यह मांग रही है कि विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध किया जाय। संविधान को लागू हुए १४ वर्ष हो गये किन्तु विधि मंत्रालय ने अभी तक इस सम्बन्ध में कार्य नहीं किया। यह बहुत गंभीर संवैधानिक संकट है। मध्य प्रदेश में ऐसी ही स्थिति पैदा हुई है। हम संविधान के मात्र संरक्षक नहीं है किन्तु महत्वपूर्ण संरक्षक आवश्यक है।

सरकार उन कार्यों को संवैधानिक रूप देने के लिए संविधान का १८वां या १९वां संशोधन कर रही है, जो आपातकाल में भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन किये गये हैं और जिनके द्वारा लोगों की सम्पत्ति और स्वतंत्रता का हनन किया गया है। यह विधि के शासन की भावना के प्रतिकूल है।

हर वर्ष न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारों के पृथक्करण की चर्चा की जाती है किन्तु वित्तीय या प्रशासनिक कारणों से देश के अनेक भागों में पृथक्करण नहीं किया गया। इसके लिए तुरन्त कदम उठाने चाहियें।

निर्वाचनों पर इतना अधिक खर्च होता है कि राजनैतिक दलों को विवश हो कर धनिकों से भिक्षा मांगनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में आप समाजवाद की स्थापना कैसे कर सकते हैं। हमें मिल कर निर्वाचन व्यवस्था को सरल बनाना चाहिये नहीं तो लोकतंत्र परिहास बन जायगा।

निर्वाचन आयोग की एक अधिसूचना के अनुसार जो दल किसी राज्य में मान्यता प्राप्त न हो उन्हें दलीय चिह्न नहीं दिये जाएगे। यह पद्धति उचित नहीं होगी। हमें पुरानी पद्धति के अनुसार उम्मीदवारों की मांग के अनुसार चिह्न देने चाहिये।

अधिवक्ता अधिनियम में फिर संशोधन किये जा रहे हैं। उन का लाभ नहीं होगा। हमें देखना चाहिये कि विधि जीवी परिषदें प्रशिक्षण देने और परीक्षाएं देने के लिए तैयार हैं या नहीं।

असैनिक दण्ड प्रक्रिया और भारतीय दण्ड प्रक्रिया अधिनियम गोआ पर लागू किये गये हैं किन्तु वहां के न्यायाधीशों को फ्रांसीसी विधि का ज्ञान है और वे बाहर के वकीलों को अनुमति नहीं देते। इससे वहां के लोगों को बहुत हानि होगी।

अन्त में मैं आशा करता हूं कि विधि का शासन स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया जाए।

Shri Yashpal Singh : I wished I could congratulate the hon. Minister but there are no grounds for that. In U. P. Judiciary has been compelled to take severe action against the Legislature. If the ruling party does not make it a point to keep themselves aloof from the Judiciary, we will remain deprived of justice.

Election of Sarpanch is not proper because he would have a soft corner for the person who voted for him. During the British regime nobody dared to interfere in the judiciary. Lok Manya Tilak could file a suit against the Chief Justice. But now the atmosphere is perverse. Prime Minister of England had resigned only on a letter from Miss Keeler. But here despite public agitation the Chief Minister of Punjab is sticking to his seat. Whenever the ruling party finds that a certain provision in the Constitution does not suit them they come forward to amend it.

The system of election is such that an honest person cannot come forward. The imposition of court fee is unjustified because when the aggrieved party goes to the court he should not be compelled to pay for that. Because if he cannot pay it he would never be able to receive justice. The Court Fee should be abolished atonce.

[श्री थिरुमल राव पीठासीन हुए
SHRI THIRUMAL RAO *in the chair.*]

The election system must be improved. The returning officer is generally proved to help the ruling party because he depends upon it for his promotion. So, if the Returning Officer enters where the votes are casted the agents of the rival parties should accompany him.

[Shri Yaspal Singh]

Under the Constitution this country is a secular state but the symbol of Congress is religious because it is the religious belief of the Hindus that the earth rests on the horns of the bullocks.

Justice delayed is justice denied. The election petitions remain pending for 5 years sometimes.

In U. P. there are 37 thousand cases which are lying pending in the courts. Justice should be expedited.

Justice is very costly. The pleaders charge very high fees. There should be ceiling on the fees of the pleaders and the poor should be provided with legal aid.

No such action should be taken which prejudices the course of law. Talk regarding extention of their tenure is harmful to this cause. No extention should be given to anybody because it diminishes the opportunities for the unemployed qualified youngmen.

The Government claims that there is fair field and no favour, but the fact is that the Prime Minister and the Chief Ministers exert their influence in the election and votes are given in liue of permits and licenses.

The translation of this report has been done by highly paid but unqualified officials. For in english we say Deputy Cane Commissioner and its translation is उपगन्ना विकास अधिकारी. It shows that there is the officer who produces short sized cane. There are several such mistakes.

In the end I hope that the hon. Minister would remain vigilent regarding the high courts and the system of election.

श्री राघेलाल व्यास: यह प्रश्न उठाया गया था कि अध्यक्ष की दृष्टि जिस सदस्य पर पड़े उसे बोलने के लिए कहा जाए किन्तु मेरे पीछे की सीट से एक सदस्य खड़े हुए थे जबकि अन्य सदस्य को बोलने के लिए कहा गया है।

सभापति महोदय: मैंने उन्हें नहीं देखा। सभी दलों द्वारा स्वीकृत कुछ प्रथाएं हैं जिन्हें मानना पड़ता है।

श्री कृ० च० मोरे (हतकंगले) : विधि संत्रालय की चर्चा में मुझे बोलने का जो अवसर दिया गया है उसके लिए मैं आभारी हूं। विधि मंत्रालय के कार्य सर्वथा एक सलाहकार के से हैं अतः इस के दो विभाग विधि कार्य विभाग और विधान विभाग हैं।

यह स्पष्ट है कि विधि मंत्रालय में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। इसके कार्य में गतिशीलता नहीं है। विधान के मामलों में यह पहल नहीं करता।

एक या दो मामलों में मंत्रालय संविधान की भावना के अनुसार कार्य नहीं कर पाया है। मंत्रालय का कार्य संविधान में दिये गये निदेशक सिद्धांतों के अनुसार नहीं हो रहा। हमारी योजना का ध्येय समाजवादी समाज की रचना रखा गया है जो कि निदेश सिद्धांतों के अनुकूल है। आशा की जाती है कि विधि मंत्रालय भी इन सिद्धांतों के अनुसार ही यह कार्य करेगा। योजना आयोग ने देश में प्रजातंत्र बनाये रखने के लिये सराहनीय कार्य

किया है। मंत्री महोदय इस बात का अध्ययन करें कि क्या, विशेषकर चुनाव व्यय के संबंध में, जनता का प्रतिनिधित्व अधिनियम में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : श्रीमान, विधि से संबंधित हर बात विधि मंत्रालय के अधीन होनी चाहिये ; किन्तु यहां न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य गृह-कार्य मंत्रालय के पास है। विधि मंत्री को इस क्षेत्र की अधिक जानकारी है, इसलिये विधि मंत्री की सिफारिश से न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिये।

श्रम और श्रम विवाद समवर्ती सूची में दिया हुआ है ; किन्तु न्यायाधिकरणों आदि की नियुक्ति में केन्द्र का कोई हाथ नहीं होता। उनमें नियुक्त अधिकतर व्यक्ति अयोग्य होते हैं। इन व्यक्तियों का चुनाव विधि मंत्रालय द्वारा होना चाहिये।

पिछले दस वर्षों में हमारे न्यायाधीशों के कार्य का स्तर काफी गिर गया है। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में भी राजनैतिक प्रभाव का बोल बाला है।

केवल चुनाव आयोग के संबंध में ही विधि मंत्री की सलाह का महत्व होता है, किन्तु वहां भी, किसी सदस्य के अनर्ह घोषित किये जाने पर गवर्नर के पास जाना पड़ता है, और गवर्नर का अर्थ सरकार से है। किसी मंत्री अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति के अनर्ह घोषित किये जाने पर निर्णय करने में काफ़ी देर लगाई जाती है। चुनाव आयोग द्वारा भी प्रतिवेदन पर विचार करने में दो या तीन महीने लग जाते हैं। इस कार्य को शीघ्रतापूर्वक किया जाना चाहिये।

बार परिषदों का कार्य उपयुक्त रूप से होना चाहिये। अधिवक्ता अधिनियम का बार बार संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : सभा में कोरम नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब कोरम हो गया। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : दंड प्रक्रिया सहिता के नये संशोधन का विधि मंत्री द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण किया जाये। यह ज्यूरी पद्धति के विरोध में है। शहरों में ज्यूरी पद्धति ने काफ़ी अच्छा काम किया है। गांवों में भी अब न्याय पंचायतें स्थापित की जा रही हैं, तब ज्यूरी पद्धति को समाप्त करना उचित नहीं है।

न्यायालयों की प्रक्रिया अधिक महंगी है। लोगों को न्याय प्राप्त करने में काफी रुपया व्यय करना पड़ता है। स्टाम्प का मूल्य भी अधिक रखा गया है। गरीब लोग न्याय प्राप्त नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि विधि मंत्री इस ओर ध्यान दें। यद्यपि न्यायालयों की शुल्क राज्य का विषय है, किन्तु १८७० का न्यायालय शुल्क अधिनियम केन्द्रीय सरकार का ही अधिनियम है। इसका संशोधन किया जाये।

उच्चतम न्यायालय में भी शुल्क की दरें बहुत ऊंची हैं। जमानत के लिये ही २५०० रुपये देने पड़ते हैं।

[श्री उ० यू० त्रिवेदी]

जैसा कि श्री दाजी ने कहा है गरीबों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विचार किय जाये। केवल यही पद्धति नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये यह उपबन्ध किया जाये। अन्य जातियों के लोगों में भी गरीब पाये जाते हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और रेलवे में अम्पायर नियुक्त करते समय विधि मंत्रालय से परामर्श नहीं लिया जाता। और संदेहात्मक चरित्र के लोग मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर दिये जाते हैं। इस संबध में निगरानी की आवश्यकता है।

Shri Sinhasan Singh : (Gorakhpur) Mr. Chairman, I partly agree with whatever my predecessor has said about law Ministry. The reference to the Supreme court and to the Attorney General should be made by this Ministry and not by the Home Ministry as was clear from the attitude adopted by the Home Minister during the discussions which were held in the morning in respect of the crisis going on in U. P.

The House would like to know as to what is the latest position about the bill brought forward on the recommendations of the Commission set up to enquire into the workings of charitable and religious endowments. Some of countries' problems can be solved if the property of the religious endowments scattered all over the country is utilized in a proper way.

Several times in the past it was assured in the House that efforts were being made to see that a legal aid committee is set up for giving legal aid to the poor. The prevalent rate of court fee is so high that it has become difficult for the poor to secure justice. The process of the court is also lengthy. Steps should be taken to see that poor people get expeditious and free justice.

Steps should also be taken to see that the separation of Judiciary and Executive is finalized in all the states.

Criminal cases should be entrusted to civil courts as if there is substantial decrease in the number of civil suites.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

Steps should be taken to form All India Judicial Service. It would go a long way in promoting national integration in the country.

Some educational limit should be prescribed for the Members of Parliament so that members are not elected for the seats only on the basis of money or something else.

श्री रा० बरुआ: (जोराहट) उपाध्यश महोदय, श्रीमन्, नंत्रालय ने अभी तक लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला है। प्रतिवेदन में केवल मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के कार्य का ही उल्लेख है। वर्तमान अथवा भविषय की नीति के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। कानून का शासन हमेशा से ही खतरे में रहा है। मंत्रालय को चाहिये कि लोगों में कानून के शासन के प्रति निष्ठा उत्पन्न करें। कानून के शासन का अर्थ बदलते हुये समय के साथ बदलता रहता है। अतः हमें उचित

प्रकार की कानूनी शिक्षा देने की आवश्यकता है। हमारी बहुत सी संस्थाओं में अब भी कानून संबंधी पुरानी बातें ही पढ़ाई जाती हैं। अतः कानून के शिक्षा संबंधी पहलू पर भी इस मंत्रालय का नियंत्रण होना चाहिये ।

संविधान के अनुसार बिना गवर्नर की सलाह लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो सकती। इससे न्यायाधीश कार्यपालिका का अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इस अनुच्छेद का संशोधन किया जाये ।

न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों आदि कानून का प्रशासन करने वालों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाये ।

गरीबों के लिये कानूनी सहायता देने के लिये धन की आवश्यकता है और इस संबंध में विधि मंत्री विवश है। वे केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के संबंध में ही ऐसा कर सकते हैं। इस संबंध में विधि मंत्री को चाहिए कि अन्य मंत्रियों से परामर्श करें ।

विधि मंत्रालय को चाहिये कि अनुच्छेद ३२४ (५) और ९८ (२) में दिये अनुसार चुनाव आयुक्त और दोनों सदनों के सचिवालयों के बारे में अधिनियम बनायें ।

उड़ीसा में और केरल में उपचुनाव शीघ्र ही करवा दिये जाने चाहियें ।

मंत्री महोदय अपने उत्तर में यह भी बतायें कि क्या यह सच है कि अनुच्छेद २२६ में उपबंधित न्यायाधिकरण आदि के अधिकारों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Demands of the Law Ministry should not be passed since there is no law and order in the country. Today the intoxicated majority in an Assembly does not only make laws, but also awards punishment, which is against the spirit of our constitution.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : एक औचित्य का प्रश्न। राज्य विधान मंडल के निर्णय की ओर निर्देश करना क्या विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को बताया है कि हम उसकी चर्चा यहां नहीं कर सकते ।

Dr. Ram Manohar Lohia : I am talking about the Law Ministry. The majority cannot shut my mouth. I am talking about a principle. In America the highest authority is the Supreme Court, and if somebody says that the House of Representatives there has a right to award punishment to anybody, he will be laughed at. Similarly, if a mad majority in any Legislative Assembly tries to do any harm to the security of an individual.....

Shri K. N. Tiwary (Bagaha). On a point of order, Sir. It is not proper to call the majority of a Legislative Assembly as mad.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक विधान सभा को पागल नहीं कह सकते इसलिये वह यह शब्द वापस ले लें ।

Dr. Ram Manohar Lohia : I am referring to a Majority.

मैंने तो यह कहा है कि किसी विधान मंडल में अगर एक पागल बहुमत यदि···

उपाध्यक्ष महोदय : विधान मंडल में सभी काम बहुमत द्वारा किये जाते हैं, इसलिये यह शब्द वापस लिया जाय।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : एक औचित्य का प्रश्न। डा० लोहिया को अधिकार है कि वह एक काल्पनिक मामले की व्याख्या दें।

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक विशिष्ट मामले की चर्चा कर रहे हैं। इसलिये इस शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

Dr. Ram Manohar Lohia : Even if a majority acts against the security of a single individual it will be called mad. Once Socrates was put to death by the majority then. But today every body says that the majority then acted in a mad manner. Therefore, it is the primary duty of the Law Ministry to see that the security of an individual is maintained. If it cannot do so, it is certainly acting against the constitution, and in a whimsical manner.

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : एक औचित्य का प्रश्न। यदि वह सामान्य रूप से विधान सभाओं की चर्चा कर रहे हैं तब भी किसी विधान सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है। वह तो सरकार के लिये "मौज का राज" शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : Today, what is happening in our country. A common man is being denied justice, but the big men and big officers, even if they have committed serious most crimes, are first of all not arrested, and even if they are arrested they are set free before they complete their term of imprisonment. Such practices can hardly promote the administra ion of justice in the country.

Justice is delayed, courts, especially at the district level, take a very long time to decide the cases, which results in the loss of millions of rupees to the farmers and other people. Incidents of murder are on the increase. Hundreds of men are being murdered in the broad day light. We must find out the reasons behind all this. I think the Ministry of Law is itself responsible for this. People are being provoked by oft-repeated references to incidents of border violations and the conditions of minorities in Pakistan. Such things shake the respect for law which the people cherish. Some of our laws are also responsible for the creation of such situations in which law and order is not found. Under criminal section 109 thousands of innocent people have been put under arrest. Poor and innocent people are imprisoned on flimsy and false charges. From the British days, these elements have been maintaining law and order; Goondas, Police and big men. They all work in collusion with each other. Groondas harass the common people and police associates itself with the Goondas.Big people keep themselves alo f and lead their own luxurious life, unconcerned with what happens outside, unless Government tries to remedy this situation, no law and order can be maintained.

Here in Delhi when an educated person is released on bail he is asked to put a thumb impression. I have a personal experience. Five persons made me put my thumb impression by force when I refused to put my signatures.

Then we have a tendency to always look to Britain for legal guidance. Law and justice are prevalent in other countries also, like Russia, America, Germany, etc. We should also see how they work.

श्री नी० चं० चटर्जी (बर्दवान) : वर्ष १९५२ में मैं इस संसद् में आया और तब पहली बार मेरे कहने पर इस मंत्रालय संबंधी मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई थी। परन्तु एक सुझाव मैंने दिया था कि न्यायपालिका को विधि मंत्रालय के अन्तर्गत रखा जाय जो अभी तक स्वीकर नहीं किया गया। अंग्रेजों के काल से न्यायपालिका को गृह मंत्रालय के अन्तर्गत रखा गया। इसका कारण यह था कि तब गृह मंत्री अंग्रेज होता था और विधि मंत्री एक भारतीय। परन्तु अब इस अंग्रेजों के काल की परम्परा को समाप्त करना चाहिए। यदि न्यायपालिका विधि मंत्रालय के अन्तर्गत होती तो उत्तर प्रदेश में जो संवैधानिक झगड़ा उत्पन्न हुआ है वह न होता।

एक मेरा यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया था कि विधि आयोग बनाया जाय। परन्तु यह खेद का विषय है कि बहुत से परिनियमों को स्थिति के अनुसार बदला नहीं गया। मैं इस आयोग के काम से सन्तुष्ट नहीं हूं। परिवर्तित स्थितियों को देखते हुये विशेषकर वाणिज्यिक विधियों में काफी रूपभेद लाने की जरूरत है।

सर तेज बहादुर सप्रू के काल के पश्चात न्याय प्रशासन में शीघ्रता लाने के लिये कुछ नहीं किया गया अब समय आ गया है कि विधि मंत्री एक अखिल भारतीय आयोग नियुक्त करें जो यह देखे कि किस प्रकार मुकदमे शीघ्रता से निपटाये जा सकते हैं। न्याय करने में इस समय बहुत विलम्ब होता है। मास्को में हम पीपुल्स कोर्ट में गये और यह देख कर चकित रह गये कि एक मुकदमा जो १९ नवम्बर को दायर किया गया था वह २१ नवम्बर को निपटा दिया गया। परन्तु यहां पर सालों तक एक मुकदमा चलता रहता है। कल एक मुकदमे के सिलसिले में मैं उच्चतम न्यायालय में गया। वह मुकदमा १९५८ में शुरू हुआ था और कल उसका निर्णय हुआ है।

अलीगढ़ में मैंने देखा कि वकील हड़ताल कर रहे थे चूंकि न्यायालयों में अत्यधिक भ्रष्टाचार पाया जाता है। न्यायालयों से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। यह भ्रष्टाचार विशेषतया निम्न कोटि के स्टाफ में पाया जाता है।

श्री स० मो० बनर्जी : उत्तर प्रदेश में एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। हमें इस बारे में निर्णय लेना है कि संविधान सर्वोच्च है अथवा विधान मंडल। कारंजिया साहब ने भी कहा था कि हमारा एक लिखित संविधान है और कि यह संसद् संविधान के अनुसार ही गठित है। मेरा अनुरोध है कि महान्यायवादी सभा में आयें और इस संकट के बारे में स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

गरीब लोगों को वैधिक सहायता देने के बारे में कई वचन दिये गये। बार एसोसियेशन ने उन वकीलों के नाम भी दिये जो गरीब लोगों के लिये मुकदमे लड़ने को तैयार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष में क्या कदम उठाये गये हैं। आज एक किसान को अदालत में मुकदमा दायर करने के लिये अपनी भूमि का एक भाग पहले से ही बेचना पड़ता है। यह एक अत्यंत दुखद स्थिति है जिसका समाधान होना चाहिए।

आज दण्डाधीश इस कारण स्वतंत्रता से कोई निर्णय नहीं ले सकते चूंकि उनकी कान्फीडेन्शियल रिपोर्टें अतिरिक्त जिला दण्डाधीशों द्वारा दी जाती हैं और अतिरिक्त जिला दण्डाधीशों की रिपोर्टें जिला दण्डाधीशों द्वारा दी जाती हैं। इस कारण वह न्याय नहीं कर पाते।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, २५ मार्च १९६४/चैत्र ५, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday the 25th March, 1964 Chaitra 5, 1886 (Saka.)

GMGIPND—LS III—212 (Ai) LS—16-6-64—600.